सोमवार,
२२ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, २२ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नीलोखेरी बस्ती

***११७२. सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि नीलोखेरी बस्ती को पंजाब सरकार को दे दिया गया है ?

(ख) हस्तांतरित परिसम्पत का कुल मूल्य क्या है ?

(ग) ऐसी कौन-कौन संस्थाएं हैं जो केन्द्र की सम्पत्ति रही हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां, नीलोखेरी बस्ती का प्रशासनात्मक नियंत्रण पंजाब सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

(ख) ३.०४ लाख रुपये, जिस में अस्पताल, स्कूल तथा पशु चिकित्सालय के पूंजीगत परिसम्पत की लागत सम्मिलित है जिन का कि मुफ्त हस्तांतरण किया गया है ।

(ग) ऊपर (ख) में वर्णित के अतिरिक्त शेष सब ।

सरदार हुक्म सिंह : भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी विनियोजन कुल कितना है ?

श्री ए० पी० जैन : बिलकुल नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या नीलोखेरी तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री ए० पी० जैन: पुनर्वास के मामलों के लिए नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां नीलोखेरी का सम्बन्ध है, अन्य किन-किन मामलों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की गयी है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे यह नहीं मालूम कि नीलोखेरी में सामुदायिक परियोजना प्रशिक्षण तथा अन्य केन्द्रों के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है । किन्तु नीलोखेरी में पुनर्वास के मामले में कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री बी० के० दास : यदि अधिक रुपये की आवश्यकता हुई, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार देगी अथवा पंजाब सरकार देगी ?

श्री ए० पी० जैन : बस्ती पूरी हो चुकी है और प्रशासनात्मक कार्यों के अतिरिक्त और रुपये की आवश्यकता नहीं है ।

फरीदाबाद विकास बोर्ड

***११७३. श्री वी० पी० नायर :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद विकास बोर्ड का अपना स्वयं कोई विधान है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस समय फरीदाबाद विकास बोर्ड का कोई संविहित विधान नहीं है । इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : तब क्या मैं जान सकता हूं कि इस तीन वर्ष फ़रीदाबाद का प्रशासन किन नियमों के अंतर्गत चलता रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : प्रशासनात्मक रूप से, सरकार ने एक बोर्ड की स्थापना की है, किन्तु कानूनी रूप से, वहां जो कुछ किया जा रहा था उस का उत्तरदायित्व इस मंत्रालय का था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं कम से कम यह जान सकता हूं कि यह संगठन अर्ध सरकारी संगठन है अथवा सरकारी संगठन ?

श्री ए० पी० जैन : यह एक सरकारी संगठन है, केवल इस बात को छोड़ कर कि बोर्ड में कुछेक गैर-सरकारी अधिकारी थे ।

श्री वी० पी० नायर : सरकार कब तक नियम बनाने तथा प्रकाशित करने की आशा करती है ?

श्री ए० पी० जैन : विधेयक का प्रारूप विचाराधीन है । मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया जायेगा ।

दवाइयों का आयात

***११७४. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री गत दो वर्षों की तुलना में दवाइयों के आयात की वर्तमान स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सन् १९५३ में आयात की गयी दवाइयों का मूल्य ११.८२ करोड़ रुपये था और सन् १९५२ और १९५१ में आयात की गयी दवाइयों का मूल्य क्रमशः १२.८४ करोड़ रुपये था तथा १४.०७ करोड़ रुपये था ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या निकट भविष्य में यह देश विदेशी औषधियों का आयात बन्द कर सकेगा ?

श्री करमरकर : निकट भविष्य में नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात के लिए कोई कदम उठाया है कि विदेशी आयातित दवाइयों की प्रतियोगिता से प्रभावशाली देशी दवाइयां बाजार से बाहर न हो जाएं और क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस मामले में सरकार किसी प्रक्रम पर स्वास्थ्य मंत्रालय से भी परामर्श करती है ?

श्री करमरकर : स्वास्थ्य मंत्रालय से हम बराबर परामर्श करते रहते हैं और वास्तव में हमारी आयात नीति स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों पर निर्भर है । आयातों की मात्रा सामान्यतः सम्बन्धित वस्तुओं की देशी उपलब्धता पर आधारित होती है ।

नेपाल को अनुदान

***११७५. श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** १९ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत अब तक नेपाल को विकास परियोजनाओं के लिए कितनी और किस प्रकार की सहायता दे सका है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए भारत कितनी वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो चुका है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). सिद्धान्त रूप में भारत सरकार नेपाल की कुछ विकास परियोजनाओं का व्यय वहन करने को सहमत हो गयी है, किन्तु चूंकि इन परियोजनाओं का काम अभी अधूरा है, इसलिए इतना शीघ्र यह बतलाना कठिन है कि अब तक नेपाल को कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि नेपाल सरकार ने अपने देश के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो भारत सरकार जिन परियोजनाओं के लिए ऋण देगी वे उस योजना का अंग होंगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी सहायता से नेपाल सरकार ने अपने देश के पुनर्निर्माण की एक योजना तैयार की है। उस की प्रार्थना पर हम ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ट आई० सी० एस० पदाधिकारी, श्री के० बी० भाटिया को भेजा है जो नेपाल में टेक्नीकल सहायता के संचालक होंगे।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार को बतलाया है कि सहायता अथवा ऋण के रूप में उसे कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई विशिष्ट राशि नहीं बतलाई गयी है किन्तु हमारे सम्मुख कुछ योजनाएं हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि नेपाल ने अन्य देशों से भी ऋण अथवा सहायता की मांग की है, और यदि हां, तो क्या यह भारत सरकार की नेपाल सरकार को सहायता देने में असमर्थता के कारण है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण के अतिरिक्त, नेपाल को कोई और ऋण भी दिया गया है, और यदि हां, तो क्या उस पर कोई ब्याज लगेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह सूचना मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी तक अंतिम रूप से समायोजन नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार

*११७६. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि "हाल के वर्षों में सब से अधिक भ्रष्टाचार उन मामलों में हुआ है, जहां व्यापारियों ने परमिटों और अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन भेजे हैं;" तथा

(ख) परमिट और अनुज्ञप्तियां देने में भ्रष्टाचार के कितने मामले १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में पकड़े गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०**]

सदन की साधारण जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन चार वर्षों में नियंत्रण-आदेशों के उल्लंघन के मामलों की संख्या ६२३ और विभागीय अनियमितताओं के मामलों की संख्या १०१ थी तथा अनुचित भेंट (रिश्वत) देने-लेने के सम्बन्ध में ३४ मामलों में सन्देह हुआ था।

श्री दाभी : रिश्वत के ३४ मामलों में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ?

श्री करमरकर : रिश्वत के सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

एक व्यक्ति को दंडित किया जा चुका है। दस व्यक्तियों के बारे में विभाग द्वारा या विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा जांच चल रही है। छः व्यक्तियों को सेवा से निकाल दिया गया था या बहिष्कृत कर दिया गया था।

श्री दाभी : इन में से कितने घोषित (गजटेड) पदाधिकारी थे ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री दाभी : शेष ७३४ मामलों में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, और उन में से कितने घोषित पदाधिकारी थे ?

श्री करमरकर : मैं घोषित पदाधिकारियों की संख्या पृथक् न बता सकूंगा और न मैं तत्काल उन व्यक्तियों की संख्या बता सकूंगा जिन में विरुद्ध कार्यवाही की गई है। फिर भी मैं इतना बता सकता हूं कि संबंधित काल में बारह फ़र्मों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाहियां की गई थीं। चार मामलों में दोष सिद्ध हुआ और चार छूट गये। शेष अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री बी० पी० नायर : विवरण से बता चलता है कि मामलों की संख्या बढ़ गई है। मैं जान सकता हूं कि क्या इन मामलों को पकड़ने की व्यवस्था की कार्यदक्षता अनुपात में इन मामलों की संख्या से कम है ?

श्री करमरकर : मैं अनुपात तो नहीं बता सकता, पर शायद लोग नई चालें सीखते जाते हैं और चालाक बनते जाते हैं, इसी से हमारे भरसक प्रयत्न करने पर भी मामलों की संख्या बढ़ गई है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र

*११८०. **श्री बी० के० दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए समाज शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रविष्ट होने वाले और उत्तीर्ण होकर निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या; तथा

(ख) उन केन्द्रों में प्रशिक्षण-काल तथा पाठ्य विषय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के खंडों (ब्लाकों) के लिए भरती किये गये २०८ शिक्षार्थी जनवरी, १९५४ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दो टोलियों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ३१६ है।

(ख) पांच महीने। प्रशिक्षण के मुख्य विषय है :—

(१) समाज-सेवा।

(२) देहाती अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और सहकारिता।

(३) ग्राम विस्तार सेवाएं।

(४) समाज शिक्षा तथा संबद्ध विषय।

(५) धर्म, इतिहास तथा संस्कृति।

श्री बी० के० दास : इन विस्तार सेवा-खंडों के लिए कुल कितने सामाजिक व्यवस्थापकों की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री हाथी: योजना-काल के लिए २२४० सामाजिक व्यवस्थापक आवश्यक होंगे।

श्री बी० के० दास: प्रत्येक विस्तार-खंड (ब्लाक) के लिए कितने समाज-शिक्षा-व्यवस्थापक निश्चित किये गये हैं ?

श्री हाथी : प्रत्येक खंड (ब्लाक) के लिए दो।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या प्रशिक्षण प्रादेशिक भाषाओं में दिया जाता है, जिस से वे देहाती क्षेत्रों में अधिक कार्यदक्षता-पूर्वक कार्य कर सकें ?

श्री हाथी : वह पूर्णतः प्रादेशिक भाषाओं में ही नहीं दिया जाता, पर लोगों को विभिन्न प्रदेशों से भरती किया जाता है।

श्री लक्ष्मय्या : मद्रास तथा आंध्र में कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री हाथी : केवल पांच ही केन्द्र हैं– हैदराबाद, नीलोखेरी, शान्ति निकेतन, गांधीग्राम और इलाहाबाद ।

श्री बी० के० दास : क्या सभी खंडों (ब्लोक्रों) में प्रौड शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री हाथी : सामुदायिक परियोजना के ब्लाकों में प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

विस्थापित व्यक्ति (अधिवास)

*११८४. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी बस्तियों या उपनगरों में विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को दिये जाने वाले मकानों के स्वरूप के विषय में कुछ अनुदेश भेजे हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि पांच या पांच से कम सदस्यों वाले परिवारों को एक कमरे वाले मकान तथा पांच से अधिक तथा नौ तक सदस्यों वाले परिवारों को इस से दूना अधिवास दिया जायेगा ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उल्हासनगर की बस्ती में पांच से अधिक तथा नौ तक सदस्यों वाले परिवारों को एक कमरे वाले मकान दिये गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो कारण क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) तथा (ख)। इस प्रकार के कुछ अनुदेश नहीं दिये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिडवानी : १० × १२ के कमरों के नियतन के बारे में क्या निदेश दिये गये हैं ? मेरी समझ में यह बात कहीं पर बताई गई थी। क्या ६–८ सदस्यों वाले परिवारों के लिए इसे उपयुक्त माना जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : सामान्यत: हम ५ व्यक्ति प्रत्येक मकान की दर से पैसा दे रहे हैं। उदाहरणार्थ उल्हासनगर में, जहां जनसंख्या ६०००० है, हम ने १७७०० लिवास-इकाइयां मंजूर की हैं, जिन में से कुछ दो कमरों वाली और तीन कमरों वाली हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि इन के बनने से पहले पांच से अधिक तथा नौ तक सदस्यों वाले परिवारों को एक कमरे वाले मकान दिये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वस्तुत: नये मकानों के बनाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो बनने थे सब बन चुके हैं। अब कुछ विद्यमान मकानों के पुनरुद्धार की समस्या है ।

श्री गिडवानी : वह मैं जानता हूं । मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार को विदित है कि १० × १२ वाले एक कमरों के मकान पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को दिये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मकानों का नियतन बम्बई सरकार करती है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार करती है ।

श्री सारंगधर दास: क्या माननीय मंत्री को विदित है कि प्रधान मंत्री ने हाल में बम्बई में एक परिवार को एक कमरे वाला मकान देने की निन्दा की थी ? क्या इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : इस मंत्रालय को मिलने वाले आवंटन के अन्तर्गत हम यथासंभव अधिक अधिवास देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ११८५ ।

श्री कृष्णाचार्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं ने प्रश्न संख्या ११८५ कहा था ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रश्न संख्या ११८२ नहीं रखा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । प्रश्न संख्या ११८२ ।

अपहृत व्यक्तियों की खोज

***११८२. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में भारत तथा पाकिस्तान में खोजे गये अपहृत व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : १९५३ वर्ष में पाकिस्तान में ३२४ अ-मुस्लिम अपहृत व्यक्ति प्राप्त हुए और अपने सम्बन्धियों को वापस लौटा देने के लिये भारत भेज दिये गये। उसी काल में भारत में २९६६ मुस्लिम अपहृत व्यक्ति भारत में प्राप्त हुए, जिन में कि २०४० पाकिस्तान भेज दिये गये।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : खोजे गये इन व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति प्रत्यर्पण-शिविरों में रखे गये थे और कितने पुनर्वास-केन्द्रों में भेज दिये गये थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह: इन व्यक्तियों में से प्रत्यर्पण शिविरों में कोई भी नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि २०४० पाकिस्तान भेज दिये गये हैं। शेष को उन के सम्बन्धियों को लौटा दिया गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : हाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी बहुत से अपहृत व्यक्ति को प्राप्त करना है। तो मैं जान सकता हूं कि लगभग कितने व्यक्तियों की खोज अभी होनी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि संख्या जान सकना संभव नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान में खोज की प्रक्रिया धीमी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हमें इस बात का कोई डर नहीं होना चाहिए।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री हमें बता सकेंगे कि पाकिस्तान में अभी कितने और व्यक्तियों का पता लगाना है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं अपना उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

कटक आकाशवाणी केन्द्र

***११८६. श्री संगण्णा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने कटक आकाश बाणी केन्द्र की शक्ति एक किलोवाट से बढ़ा कर दस किलोवाट करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो कब से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान्। आकाशवाणी के कटक केन्द्र की शक्ति को १ किलोवाट से बढ़ाकर १० किलोवाट करने का निश्चय हो गया है।

(ख) अभी तक कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। आशा है कि १९५५-५६ के अन्त तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा।

श्री संगण्णा : क्या यह मध्यम तरंग वाला ट्रांसमीटर है अथवा छोटी तरंग वाला ट्रांसमीटर है ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री संगण्णा: सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिकतम कितनी शक्ति की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है आजकल कटक केन्द्र के लिये यह उचित शक्ति है।

टी० सी० ए० द्वारा फिल्म यूनिटों का प्रस्ताव

***११८७. श्री बर्मन :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि टीं० सी० ए० ने भारत को दो फिल्म यूनिट देने का, जैसा कि १९५३–५४ की अनुपूरक मांग में कहा गया है, कोई प्रस्ताव दिया था?

(ख) यदि हां, तो क्या यूनिट आ गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् । फिल्म विभाग के लिये जिन नये यूनिटों की अनुमति मिल गई है उन में से दो के लिये केवल कुछ सामग्री प्राप्त करने का प्रस्ताव था ।

(ख) कुछ सामग्री आ गई है तथा शेष सामग्री के शीघ्र आने की आशा है ।

श्री बर्मन : स्टुडियो खोलने के लिये विभाग ने जो सामग्री मंगाई है उस की मुख्य मुख्य मदें क्या हैं ?

श्री करमरकर: इस योजना के लिये हम जो सामग्री आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं उस में दो फिल्म केमरा, एक ऐनीमेशन, केमरा, दो मोबियोलाज़, एक मैगनैटिक रिप्रोड्यूसर सहित साउण्ड रीडर, आदि हैं ।

बेकारी

***११८८. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या योजना मंत्री सदन के पांचवे सत्र में बेकारी पर पारित हुये संकल्प का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि बेकारी दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं तथा इस में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : योजना आयोग ने अब तक लगभग १५८ करोड़ की लागत के कार्यक्रम स्वीकार किये हैं । राज्य में कार्यान्वित करने के लिये स्वीकृत योजनाओं का विवरण ४ मार्च १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था। केन्द्रीय मंत्रालयों की स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में 'समा-योजनों' का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह जानने की कोशिश की गई है कि हिन्दुस्तान में बेकारों की संख्या कितनी है ?

श्री हाथी : ठीक संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह जानने की कोशिश की गई है कि जो सरकारी कर्मचारी छांटे गये हैं उन में से अब तक कितने बेकार पड़े हैं, और क्या उन को काम देने की कोई योजना बनायी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : कितने कर्मचारी बेकार हैं और क्या इन लोगों की पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी : वास्तव में राज्य सरकारें योजनायें कार्यान्वित कर रही हैं । स्वभावतः योजनाओं को लागू करने का परिणाम होगा अधिक काम परन्तु यह कहना कठिन है कि छांटे गये इन व्यक्तियों में से ठीक कितने लोगों को पुनः नियुक्त किया जायेगा ।

श्री टी० के० चौधरी : स्वीकृत कुल धन में से कितने धन की आगामी वर्ष के आय व्ययक में व्यवस्था की गई है ?

श्री हाथी : धन बहुत से राज्यों को बांटा गया है । यह ऋण के रूप में राज्यों को दिया जायेगा ।

श्री टी० के० चौधरी : आगामी वर्ष के आय व्ययक में कुछ धन की व्यवस्था अवश्य की गई होगी । वह धन कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्यों में कितना धन बांटा गया है ?

श्री हाथी : आगामी वर्षों के लिये कुल धन १५८ करोड़ है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बेकार स्त्रियों की अत्यधिक संख्या की दृष्टि से, क्या राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं में से किसी में भी स्त्रियों के लिए विशेष कार्यों का ध्यान रखा गया है ?

श्री हाथी : बहुत सी योजनायें हैं जिन का वर्णन बहुत से लगातार पृष्ठों में है । कुछ ऐसी योजनायें हैं जो कदाचित स्त्रियों के लिये लाभदायक होंगी । परन्तु मैं यह ठीक नहीं बता सकता कि वे योजनायें कौन कौन सी हैं, उन के लिये कौन कौन सी हैं । परन्तु इस प्रश्न पर सम्पूर्ण रूप में विचार किया जा सकता है ।

कालटेक्स तेल शोधक कारखाना

*११८९. **श्री रघुरामय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में ही केन्द्रीय सरकार के एक पर्यवेक्षण दल ने विशाखापटनम में कालटेक्स तेल शोधक कारखाना की स्थापना के लिए स्थान का पर्यवेक्षण आरम्भ किया था; तथा

(ख) यदि हां, तो पर्यवेक्षण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां ।

(ख) १ जून, १९५४ से पहिले पर्यवेक्षण के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

श्री रघुरामय्या : क्या पर्यवेक्षण दल से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिस में पत्तन क्षेत्र के पास स्थान के लिये अस्थायी सुझाव दिया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : हां, श्रीमान् । अब तक दक्षिण क्षेत्र बैंगलोर से यह सूचना मिली है कि पर्यवेक्षण कार्य प्रगति कर रहा है ।

श्री रघुरामय्या : मेरा प्रश्न यह था कि क्या पर्यवेक्षण दल से अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिस में पत्तन क्षेत्र में स्थान का अस्थायी सुझाव दिया गया है ।

श्री आर० जी० दुबे : इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं है ।

श्री तेलकीकर : परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार तेल उद्योग को एक बड़ा उद्योग समझती है, तथा यदि हां, तो अमरीका पाकिस्तान फौजी गठबन्धन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई नई परिस्थिति की दृष्टि से क्या सरकार का विचार तेल शोधक कारखाने की स्थापना कालटेक्स द्वारा करने के सम्बन्ध में उस कम्पनी के साथ हुए समझौते को रद्द करने का है ?

श्री आर० जी० दुबे : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निकोटीन

*११९१. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की निकोटीन मंगवाई जाती है; तथा

(ख) तम्बाकू के कचरे से निकोटीन तैयार करने को प्रोत्साहित करने के निमित कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सीमा-शुल्क विवरणों में निकोटीन का आयात पृथक नहीं दर्शाया जाता है । आवश्यकता के आधार पर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औसतन प्रतिवर्ष लगभग एक टन आयात की जाती है और कोई २५००० रुपये की लागत का अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) निकोटीन सल्फेट तैयार करने की एक प्रक्रिया खोज निकाली गई है और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने उस का एकस्व प्राप्त किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् इस प्रक्रिया को काम में लाये जाने के सम्बन्ध में अनेक दलों से पत्र-व्यवहार कर रही है।

श्री सी० आर० चौधरी: प्रति वर्ष कितना तम्बाकू का ऐसा चूरा व्यर्थ जाता है, जिस से लाभ के साथ निकोटीन निकाली जा सकती है ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि देश में प्रति वर्ष ३ करोड़ ८० लाख पौंड तम्बाकू का चूरा और २ करोड़ ५० लाख पौंड तम्बाकू के डण्ठलों के उपलब्ध होने का अनुमान लगाया जाता है।

श्री मेघनाद साहा: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा प्राप्त किये गये एकस्व के काम में लाये जाने के लिये एक ग़ैर सरकारी समवाय के साथ कितने समय से पत्र व्यवहार चल रहा है ?

श्री करमरकर: मुझे यह पता नहीं है कि कितने समय से पत्र-व्यवहार हो रहा है, परन्तु बहुत हाल ही से पत्र-व्यवहार हुआ है।

श्री मेघनाद साहा: क्या माननीय मंत्री किसी अगले दिन यह जानकारी दे सकते हैं ?

श्री करमरकर: डण्ठलों के औद्योगिक उपयोग की संभावना की ओर पहली बार सरकार का ध्यान सन् १९४९ से रहा है। जैसा कि मैं ने बताया, मुझे मालूम नहीं है कि पत्र-व्यवहार कब से चल रहा है, परन्तु मैं इस का पता करूंगा।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

११९३. श्री दशरथ देव: क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा सरकार द्वारा उस राज्य में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के निर्मित कितनी गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहण की गई है;

(ख) इस में से कितनी भूमि आदिम जाति के लोगों की है तथा कितनी भूमि दूसरे लोगों की है; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि के लिये कोई प्रतिकर दिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) कोई १९००० एकड़ (१९५० से १९५३ तक)।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री दशरथ देव: क्या यह सच है कि त्रिपुरा क्षेत्र में सरकार ने आदिम जातियों के लोगों से जिन में से प्रत्येक के पास केवल दो या तीन एकड़ से कम ही भूमि थी बहुत से भूखंड अधिग्रहण किये हैं ?

श्री ए० पी० जैन: यह भाग (ख) से सम्बन्धित है, जिस के विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री दशरथ देव: इन भूभागों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन: मूल्यांकन भू-अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती: क्या आदिम जाति वालों की भूमि के अधिग्रहण का संरक्षण संविधान द्वारा नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो संविधान के निर्वचन का मामला है।

श्री दशरथ देव: मैं ने यही प्रश्न पिछले वर्ष पूछा था और माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही थी। अब एक वर्ष बीत चुका है। मैं जान सकता हूं कि जानकारी का एकत्रित किया जाना कब तक पूरा होगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह प्रश्न लगभग एक महीना पहले रखा गया होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि पिछले वर्ष यही प्रश्न पूछा गया था और यही उत्तर दिया गया था ।

श्री ए० पी० जैन : मुझे इस के विषय में पता नहीं है । मैं इस का पता करूंगा ।

नमक

***११९४. श्री बी० सी० दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चार हजार नमक कर्मकरों की हड़ताल के परिणामस्वरूप फरवरी, १९५४ के अन्तिम सप्ताह से उड़ीसा राज्य में ह्यमा की नमक की फैक्टिरियों में काम रुक गया है;

(ख) नमक कर्मकरों द्वारा काम रोके जाने के क्या कारण हैं; तथा

(ग) हड़ताल के कारण नमक के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुब) : (क) तथा (ख). सरकारी जानकारी यह है कि गेजम नमक फैक्टरी ह्यूमा में लगभग २५०–३०० कर्मकरों ने, १९५४ में कर्मकरों को दी जाने वाली मजूरी के सम्बन्ध में नमक अनुज्ञप्तिकों और कर्मकरों के बीच मतभेद होने के कारण, नमक बनाने की ऋतु के प्रारम्भ में, काम करना बन्द कर दिया था ।

(ग) ऐसी सूचना मिली है कि सभी कर्मकरों ने काम प्रारम्भ कर दिया है । इसलिये नमक के कुल उत्पादन में कोई विशेष कमी होने की संभावना नहीं है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार को इस बात का पता है कि नियोजकों ने लगभग ९० कर्मकरों को काम पर वापस नहीं लिया है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी, नहीं, मुझे पता नहीं है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार को कर्मकर कार्मिक संघ की मांगों की कोई प्रति या कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी, नहीं, सरकार को इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु मैं निवेदन कर दूं कि सुपरिन्टेंडेंट ने हस्तक्षेप किया है और कुछ अन्तरिम प्रबन्ध स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री बी० सी० दास : क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम नमक कर्मकरों पर लागू होता है और यदि नहीं, तो क्या मजदूरों को जिन की मजदूरियां स्वच्छन्द रूप से कम की जा रही हैं, कोई विधि द्वारा संरक्षण दिया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह मामला मुख्यतया राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री बी० सी० दास : मेरा प्रश्न यह था कि क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम नमक कर्मकरों पर भी लागू होता है, और यदि नहीं, तो उन को विधि द्वारा क्या संरक्षण दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने पहले से बता दिया है कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री के० के० बसु : अधिनियम का संचालन राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हो सकता है । परन्तु उन्हें यह बताने की स्थिति में होना चाहिये कि क्या यह नमक कर्मकरों पर लागू होता है ।

श्री आर० जी० दुबे : मैं इस का पता करूंगा ।

चाय बागान

***११९५. श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ नवम्बर,

१९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में जितने एकड़ भूमि पर चाय बोई जा सकती हैं और वास्तव में जितनी भूमि पर बोई जाती है, इन दोनों के बीच इतना अन्तर होने का क्या कारण है; तथा

(ख) इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या सरकार उपाय करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ठीक ठीक कारण बता सकना कठिन है । संभवतः बागानों के लिये जारी की गई अनुज्ञप्तियों के कम प्रयोग में लाये जाने के कारण पिछले वर्ष चाय उद्योग द्वारा अनुभूत वित्तीय कठिनाइयां तथा उस के बाद की कठिनाइयां हो सकते हैं ।

(ख) सरकार इस के सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कर सकती है । भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति अनुज्ञापत्र देने के लिये उत्तरदायी है, परन्तु यह बात बागान लगाने वालों पर निर्भर है कि वे इन अनुज्ञापत्रों का उपयोग करते हैं या नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार के ऐसा मानने के कोई कारण हैं कि चाय की खेती के विस्तार का विनिमयन करने वाले नियम इतने कठोर हैं कि उन्हों ने अधिक भूमि में चाय बोने के लिये रुकावटें पैदा कर दी हैं ?

श्री करमरकर : जी, नहीं, हमें ऐसा मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती है कि हमारे चाय क्षेत्र में अधिक कमी होने तथा चाय के उपभोग में अधिक वृद्धि होने के साथ, यह उद्योग निकट भविष्य में ही संकट की ओर अग्रसर हो रहा है ?

श्री करमरकर : जी, नहीं, इस समय तो यह प्रगति की ओर जा रहा है ।

श्री के० के० बसु : भारतीयों के चाय बागानों का कितने भाग ने चाय विस्तार बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास भारतीय और गैर भारतीय चाय बागानों के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बर्मन : चाय के निर्यात के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस बात को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी कि यदि बागानों को दिया गया अभ्यंश उन के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो वह अभ्यंश उन दूसरे बागानों को हस्तांतरित कर दिया जाये, जो इस का उपयोग कर सकें, ताकि चाय की खेती की कुल भूमि कम न हो सके ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र निस्सन्देह जानते हैं, देश में चाय का वर्तमान उत्पादन हमारे निर्यात की तुलना में संतोषजनक है ।

दूसरी बातों के सम्बन्ध में, हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

चावल का हाथ से कूटना

*११९६. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के सम्बन्ध में पूछे गये अणुपूरक प्रश्नों के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि ४,२५,००० रुपये की धन-राशि को हाथ से कूटे चावल के उत्पादन के लिये किस प्रकार से काम में लाया जायेगा और किस समय तक यह धन-राशि व्यय की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : किस प्रकार से यह धन राशि व्यय की जायेगी इस योजना को विस्तार पूर्वक बताने वाले विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]** यह धनराशि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को दे दी गई है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि योजना आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने तथा इस सदन द्वारा उस के स्वीकृत किये जाने के समय से चावल मिलें स्थापित करने के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां सरकार द्वारा दी गई हैं ?

श्री करमरकर : मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हम ने hullers के आयात को प्रतिबन्धित कर दिया है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि हाल ही में योजना आयोग ने हाथ से कूटे जाने तथा मिल द्वारा कूटे जाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री करमरकर : योजना आयोग की सिफ़ारिशें हैं कि किन्हीं विशिष्ठ अवस्थाओं के अतिरिक्त बड़े पैमाने के उद्योग के अग्रेतर विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये दूसरे उत्तम पोषण तथा सेवा योजन के दृष्टिकोण से 'हल्र्स' क़िस्म की चावल मिलों को धीरे धीरे हाथ से चावल कूटने वाली मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित कर के बन्द कर दिया जाय, तथा तीसरे, कूटने के तरीकों के स्थान पर धान पछोरने वाली पत्थर की चक्कियां लगा हाथ से कूटने की प्रणाली में सुधार किया जाये।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हाल ही में १३ फ़रवरी, १९५४ को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक बैठक हुई थी जिस में सभी सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि कोई निर्णय करने से पहले इस प्रश्न की जांच करने के लिये इस विषय की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाये।

श्री सिंहासन सिंह : योजना आयोग की रिपोर्ट से पूर्व चावल मिलों की संख्या कितनी थी और इस समय उन की संख्या कितनी है ?

श्री करमरकर : मेरे पास चावल मिलों की संख्या सम्बन्धी सूचना नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामों तथा अन्य स्थानों पर हल्र्स प्रकार की मशीनों के लिये अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध कोई कठोर आदेश जारी किये हैं ?

श्री करमरकर : समस्त प्रश्न विचाराधीन है, जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया, और हम ने कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

शक्तिजनक मद्यसार पर समुद्रपार अधिभार

*११९८. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ में तेल समवायों को समुद्रपार अधिभार (सरचार्ज) के रूप में दी गई रक़म १९५२ में भारत में बनाये गये शक्तिजनक मद्यासार पर दी गई रक़म की तुलना में बढ़ गई है; तथा

(ख) उन समवायों को सन् १९५३ में भारतीय शक्ति जनक मद्यासार पर अधिभार के रूप में दी गई रक़म ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में स्थिति को बतलाने वाला एक विरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

श्री विश्वनाथ राय : अधिभार की यह प्रणाली कब तक चलती रहेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस को पहले ही बन्द कर दिया गया है और वह अन्तिम तिथि जब तक इसे लिया गया जून १९५३ थी।

श्री टी० एन० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में पैट्रोल में शक्तिजनक मद्यसार को मिलाने के प्रश्न को

तेल समवायों द्वारा किये जाने के लिये हस्तान्तरित करने के स्थान पर स्वयं अपने नियंत्रण में लेने की प्रस्थापना करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि जब तक कि इन उत्पादों के वितरण का सम्पूर्ण कार्य सरकार द्वारा नहीं ले लिया जाता है ऐसा करना संभव नहीं होगा। इस समय तो ऐसा करना संभव नहीं मालूम होता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य

***१२००. श्री सूर्य्य प्रसाद :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत दिल्ली व अन्य किन किन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है; तथा

(ख) ये निर्माण कार्य कितनी लागत के हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४४]**

श्री सूर्य्य प्रसाद : क्या यह सही है कि इन कामों पर निरीक्षण के हेतु नियुक्त सरकारी कर्मचारी ठेकेदारों से मिल कर घटिया क़िस्म का मसालाज इस्तैमाल करने में मदद करते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बहुत जनरल सवाल है, किसी ख़ास काम के मुताल्लिक़ हो तो मैं दरयाफ्त कर सकता हूं।

श्री सूर्य्य प्रसाद : क्या यह सत्य है कि नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में जो फ्लैट्स बने हैं, वह घटिया मसाले के बने हैं जो मज़बूत नहीं कहे जा सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

समाचारीय चलचित्र

***१२०१. श्री के० के० बसु :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'इंडियन न्यूज़परेड' (भारतीय समाचार) के अतिरिक्त किन्हीं अन्य समाचारीय चलचित्रों के भारत में प्रदर्शित किये जाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचारीय चलचित्र सेवा अभिकरणों के नाम;

(ग) क्या उन को सेंसर किया जाता है, और यदि हां तो किस के द्वारा;

(घ) क्या समाचारों का उन के समाचारीय मूल्य तथा निष्पक्ष आधार के अनुसार समुचित रूप से परिनिरीक्षण किया जाता है; तथा

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि अमेरिकन पैरामाउंट समाचार ऐजेन्सी ने कोरिया सम्बन्धी कुछ ऐसे चल चित्रों को, जिन में ऐसी घटनाओं को दिखाया गया है जो वास्तव में वहां नियुक्त किये गये भारतीय प्राधिकारियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के एकदम विपरीत हैं, प्रदर्शित किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय चलचित्र विवेचन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने पर कोई भी समाचारीय चलचित्र भारत में प्रदर्शित किया जा सकता है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय चलचित्र विवेचन बोर्ड उस के समक्ष प्रस्तुत किये गये समाचारीय चलचित्रों को प्रमाण पत्र देता रहा है, यह चलचित्र इन के द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं :—

(१) पैरामाऊंट इन्टरनेशनल फ़िल्म्स इनकारपोरेटेड, संयुक्त राज्य अमरीका।

(२) ब्रिटिश मूवीटोन न्यूज़ लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन।

(३) मैट्रो गोल्डैन मेयर, संयुक्त राज्य अमरीका ।

(४) जे० आर्थर रैंक आर्गेनाईज़ेशन लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ।

(घ) केन्द्रीय चलचित्र विवेचन बोर्ड के अधिकार केवल यह देखने तथा जांच करने तक ही सीमित हैं कि कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं । समाचारीय चलचित्रों का किसी अन्य दृष्टि से परिनिरीक्षण करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार को यह विदित है कि समाचारीय चलचित्र समाचारों का प्रचार करने के लिये होते हैं और अमेरिकन पैरामाउंट न्यूज़ ऐजेन्सी द्वारा दिखाये गये कुछ समाचारीय चलचित्र, जो कि कोरिया के युद्ध बन्दियों के प्रति अमरीकन सैनिकों के व्यवहार के सम्बन्ध में थे, उस क्षेत्र में नियुक्त हमारे प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का प्रतिवाद करते हैं ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान् । जहां तक हमें विदित है ऐसा नहीं है ।

श्री के० के० बसु: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूज़ एजैन्सियों समाचारों का प्रचार करने के लिये होती हैं, क्या सरकार प्रदर्शन के लिये तैयार किये जाने से पूर्व उन के समाचारीय मूल्य का परिनिरीक्षण करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री करमरकर: जी हां, श्रीमान्; इस सम्बन्ध में हमारे स्वविवेक मूल अधिकारों, विचार तथा अभिव्यक्ति द्वारा सीमित है । इस के अनुसार हम ने विशिष्ठ वर्गों के अन्तर्गत निदेश जारी किये हैं । अपनी जांच समितियों के पथ प्रदर्शन के लिये बोर्ड द्वारा निदेश जारी किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: चलचित्र विवेचन बोर्ड को दिये गये मार्ग-प्रदर्शन नियमों को ध्यान में रखते हुए —एक नियम यह है कि किसी ऐसी बात को पास न किया जाये जो कि परस्पर मैत्री भाव रखने वाली शक्तियों के सम्बन्धों के लिये हानिकर हो, तथा यह बात भी है कि समाचार निष्पक्ष प्रकार का होना चाहिये—क्या यह सच नहीं है कि अमरीकनों द्वारा किये गये अत्याचारों पर पर्दा डालने वाले कोरिया सम्बन्धी अनेकों समाचारीय चलचित्र, जो कि पैरामाउंट न्यूज एजैन्सी द्वारा दिखाय गये हैं या दिखाये जा रहे हैं, पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण हैं और बन्दियों पर इस बात का दोषारोपण करते हैं कि उन्हों ने बुरा व्यवहार किया है ?

श्री करमरकर: मैं व्यक्तिगत चलचित्रों के सम्बन्ध में तो कह नहीं सकता हूं, परन्तु जिस सीमा तक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उसी सीमा तक काट छांट की जाती है ।

श्री साधन गुप्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि संविधान का मूल अधिकारों वाला खंड इन समाचार एजेंसियों पर किस प्रकार लागू होता है क्योंकि यह तो विदेशी हैं ?

श्री करमरकर: हमारे मूल अधिकार भारत में किये गये सभी कार्यों पर लागू होते हैं, और क्योंकि यह प्रश्न भारत में चलचित्रों के प्रदर्शन से सम्बन्ध रखता है इसलिये वह लागू होता है ।

श्री साधन गुप्त: उस में नागरिकों का उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

कलकत्ता रेडियो स्टेशन

*१२०२. **श्री साधन गुप्त:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आॅल इंडिया रेडियो, कलकत्ता के

३०० मीटर तथा ४४७·८ मीटर मध्यम तरंग वाले ट्रांसमीटरों का क्रमशः विस्तार क्या है; तथा

(ख) ४४७·८ मीटर ट्रांसमीटर के लगाने की लागत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कलकत्ता से ३०० मीटर वाले दिन-सेवा प्रेषण का विस्तार लगभग ८३ मील है। रात्रि के समय प्रेषण को ४०० मील की दूरी तक संतोषजनक ढंग से सुना जा सकता है।

४४७·८ मीटर मध्यम तरंग प्रेषण का सेवा विस्तार लगभग २० मील है।

(ख) स्टेशन पर उपलब्ध एक छोटी तरंग के ट्रांसमीटर को मध्य तरंग वाले ट्रांसमीटर में परिवर्तित कर दिया गया है। लगाने की अनुमानित लागत २,००० रुपये है।

श्री साधन गुप्त : क्या ३०० मीटर तथा ४४७·८ मीटर के ट्रांसमीटरों पर एक ही कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, तथा यदि ऐसा है, तो ४४७·८ मीटर वाले ट्रांसमीटर को लगाने का कारण क्या है ?

श्री करमरकर : इसे उस वेव लैंथ विशेष का लाभ उठाने के लिए लगाया गया था। यदि हम ने इस अधिकार का प्रयोग न किया होता तो यह अधिकार कालातीत हो जाता।

चाय (उत्पादन का खर्च)

***१२०३. श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२–५३ तथा सन् १९५३–५४ में प्रति पौंड चाय के उत्पादन का खर्च कितना था ?

(ख) पिछले चाय संकट के समय सरकार ने उत्पादन के खर्च को घटाने के लिए क्या उपाय किये थे ?

(ग) इन उपायों के फलस्वरूप सन् १९५३–५४ में उत्पादित प्रति पौंड चाय के खर्च में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ग). ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) आसाम तथा बंगाल सरकारों ने चाय उत्पादकों को चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को अनाज के रियायती दामों पर दिये जाने को अस्थायी रूप से बन्द करने की अनुमति दी थी।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि भारतीय चाय संघ के प्रधान ने सन् १९५२ में मन्दी से हानि होने के बारे में एक वक्तव्य दिया था तथा अब उन्हें अधिक लाभ होने से हानि हो रही है और कि वे दोनों से रक्षा चाहते हैं जिस के लिए उन की इच्छा है कि मजूरी को न बढ़ाया जाय ?

श्री करमरकर : सरकार का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया है, परन्तु मैं देखता हूं कि खाद्य सम्बन्धी रियायतों के हानिपूर्ति के बदले मजूरी को पूर्ववत कर दिया गया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि बहुत से बागानों में इसे पूर्ववत नहीं किया गया है ?

श्री करमरकर : मैं सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पश्चिमी बंगाल के बागानों में मज़दूरों को निश्चित दरों के अनुसार नगद भत्ता दिया जाता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि राव समिति की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन का औसत खर्च १ रुपये से १ रुपये ४ आने तक था जबकि इस समय उत्पादन खर्च उससे बहुत कम है ?

श्री करमरकर : उस समिति ने उत्पादन की लागत का विस्तृत आधार पर अनुमान किया था। उन्होंने सन् १९५२ के सम्बन्ध में आंकड़े दिये थे जो उत्तर भारत के बारे में

१८ से २२ आने तथा दक्षिण भारत के बारे में १६ से २० आने तक थे ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि चाय उद्योग की खर्च व्यवस्था के सम्बन्ध में जांच पड़ताल के लिए जो एक वर्ष से अनिश्चित स्थिति में चला आता है सरकार की एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जो प्रस्थापना थी उसका क्या हुआ ?

श्री करमरकर : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

मिश्रित धातु पर संरक्षण शुल्क

***१२०४. श्रीमती इलापाल चौधरी :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विदेशों से मिश्रित धातु तथा विशेष इस्पातों के आयात पर कोई संरक्षण शुल्क लगा रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार की शुल्क की दर क्या है ?

(ग) इस प्रकार का आयात इस समय किन किन देशों से किया जा रहा है ?

(घ) पिछले तीन वर्षों में भारत में मिश्रित धातु तथा विशेष इस्पात की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ब्रिटिश निर्माण पर यथामूल्य ३१ १/२ प्रतिशत तथा गैर-ब्रिटिश निर्माण पर यथामूल्य ४४ १/१० प्रतिशत ।

(ग) ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स, स्वेडन, जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रिया, कनाडा, हालैंड तथा बैल्जियम ।

(घ) १२,८३८,८१ टन ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्योंकि टाटा इस इस्पात का निर्माण नहीं करता है । मैं जान सकती हूं कि इन इस्पातों पर इतना अधिक शुल्क क्यों लगाया गया है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह एक संरक्षण शुल्क है जो स्वदेशी उद्योग के संरक्षण के अभिप्राय से लगाया गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : भारत में उन विशेष इस्पातों तथा मिश्रित धातुओं का निर्माण करने वाले जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है कौन से कारखाने हैं ?

श्री करमरकर : अधिक निर्माण करने वाले निर्माता टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी है जिसका उत्पादन ११३० टन से १२१० टन तक है; मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बम्बई का उत्पादन १००० टन है; मेंटल एण्ड स्टील फैक्टरी (जो मुख्यतः अपने प्रयोग के लिए ही निर्माण करते हैं) का उत्पादन २४०० टन है । बड़े बड़े कारखाने यही हैं । कुछ छोटे छोटे कारखाने भी हैं ।

पांडिचेरी

***१२०५. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी में पुलिस ने लगभग ७० कार्यकर्त्ताओं के एक गुट पर, जो विदेशी बस्तियों के भारत संघ में विलय की मांग करते हुए जलूस के रूप में जा रहे थे, हिंसात्मक प्रहार किया था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने व्यक्तियों को चोटें आई थीं; तथा

(ग) क्या यह सच है कि कार्यकर्त्ताओं के तीन नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तथा उन पर राजद्रोह के अभियोग लगाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). भारत सरकार की सूचना है कि कोई ७० कार्यकर्ताओं ने भारत में विलय की मांग करते हुए २ तथा ३ मार्च

को पांडिचेरी के कूचों में जलूस निकालना था। यद्यपि प्रदर्शन शान्तिमय था, तथापि पुलिस ने प्रदर्शकों पर प्रहार किया तथा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तीन नेताओं को बुरी तरह से पीटा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घावों के सामान्य या गहरे होने के बारे में कुछ पता नहीं है। बाद में एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, परन्तु हमें पता लगा है कि अब वे सब छोड़ दिये गये हैं।

भारत सरकार ने इस प्रदर्शन के प्रति हिंसात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में फ्रांसीसी अधिकारियों से विरोध प्रकट किया है क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से भारतीय ओर के सीमा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस विशेष घटना के बाद कोई और भी घटनायें हुई हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य समाचार पत्र पढ़ते हैं। तब से बहुत कुछ हो चुका है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस विरोध के अतिरिक्त भारत सरकार इस समस्या को हल करने तथा भारत में विलय के उद्देश्य से किन्हीं और उपायों के करने का विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस विरोध के बाद बहुत कुछ हुआ है, तथा स्पष्ट है कि स्वयं फ्रान्सीसी उपनिवेश बस्तियों के अन्दर भारत से विलय की मांग के लिए स्वयंमेव आन्दोलन चल पड़ा है। उन क्षेत्रों के लोगों की विलय की इच्छा का इससे अधिक कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हमारा पक्ष सदैव यह रहा है कि इसे शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये। अब जबकि नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं के सदस्यों, मंत्रियों तथा औद्योगिक कार्यकर्ताओं के पृथक् पृथक् प्रतिनिधित्व में लोगों ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया है कि जनता की इस इच्छा को अब एक निश्चित मामला समझा जाये, हम आशा करते हैं कि सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण के लिए कदम उठाये जायेंगे।

श्री वल्लाथरास : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि फ्रान्सीसी अधिकारियों ने ग्राम्य क्षेत्रों में इस आन्दोलन को बल से तथा डरा धमका कर दबाने के लिए पूर्ण तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विस्तार से तो नहीं, परन्तु ऐसी कुछ सूचनायें हमें मिली हैं तथा वह भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं।

बिहार में रेशम उद्योग

***१२०६. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में रेशम उद्योग के विकास के लिए बिहार राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : पिछले दो वर्षों में बिहार में रेशम उद्योग के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है, तथापि राज्य सरकार के एक अधिकारी को जापान में रेशम के कीड़े के पालने के उद्योग में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इस पर अनुमानित खर्च १७,००० रुपये आया था जिसके आधे भाग को केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने तथा शेष आधे को राज्य सरकार ने पूरा किया था। इसके अतिरिक्त एक मुगा तथा टसर लपेटने की मशीन तथा तीन एरी कातने की मशीनें भी जिनकी लागत ३३५ रुपये है, राज्य सरकार को बिना मूल्य दी गई हैं।

श्री झूलन सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार से

ऐसी सहायताओं के लिये कोई प्रार्थना की थी ?

श्री करमरकर : गत दो वर्षों में बिहार सरकार के राज्य में टसर रेशम केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में केवल एक रेशम कीड़ा पालन विकास योजना भेजी है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर ली गई है ?

श्री करमरकर : यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विचाराधीन थी और प्राविधिक विकास समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि बोर्ड का सचिव बिहार की यात्रा करे और उक्त राज्य में एक टसर रेशम केन्द्र की स्थापना के प्रश्न पर सरकार को परामर्श दे ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मध्य प्रदेश राज्य को कोसा रेशम उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कोई सहायता दी गई थी ?

श्री करमरकर : मध्य प्रदेश बिहार से भिन्न है और इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व-सूचना अपेक्षित होगी ।

सूती वस्त्र उद्योग

*१२०७. **श्री एस० एन० दास** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के कार्यपन्न दल की किसी भी महत्वपूर्ण सिफ़ारिश के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकी है; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये निर्णयों की महत्वपूर्ण रूपरेखायें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) । कार्यपन्न दल की सिफ़ारिशों की वस्त्र जांच समिति के, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, निर्देश पदों से सीधा सम्बन्ध है । कुछ सिफ़ारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति को बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५] ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि वस्त्र उद्योग के अभिनवीकरण सम्बन्धी इस दल की सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं, और यदि हां, तो इन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिये कब कार्यवाही की जायेगी ?

श्री करमरकर : हमने एक काफ़ी बड़ा विवरण सदन पटल पर रखा है । उस विवरण में जो बातें नहीं आई हैं वह विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त दल द्वारा की गई सिफ़ारिशों की संख्या ९२ है और सदन पटल पर रखे गये विवरण में केवल १५ बातों का ही निर्देश है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यही सम्पूर्ण सूची है अथवा कुछ महत्वपूर्ण विषय अभी भी विचाराधीन हैं, और यदि ऐसा है, तो वह क्या हैं ?

श्री करमरकर : सदन इस बात का अनुभव करेगा कि दल द्वारा की गई समस्त सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में कोई उत्तर देना कितना कठिन है ? यदि मेरे माननीय मित्र को किसी विषय विशेष में रुचि हो, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से सूचना दूंगा ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह रिपोर्ट सरकार को १९५२ में प्राप्त हुई थी, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार द्वारा सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में इतना समय क्यों लिया गया ?

श्री करमरकर : रिपोर्ट १९५२ में तैयार थी । वह १९५३ में जारी की गई । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अन्य समिति, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार कर रही है, अपना कार्य

कर रही है, यह सरकार के विचाराधीन ही चली आई है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*१२०८. **श्री बी० के० दास**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत विकास खंडों में अब तक कौन से कार्य प्रारम्भ किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक खंड के लिये आवंटित व्यय को इन कार्यों पर किस प्रकार वितरित किया गया है; तथा

(ग) क्या धन अथवा श्रम के रूप में स्थानीय अंशदान उक्त व्यय का भाग होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख)। राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है, परन्तु कार्य मदें 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संगठन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रसार' नामी पैम्फ़लेट में बताये गये कार्यक्रम के सामान्यतः समनुरूप होंगे।

(ख) ऐच्छिक अंशदान आवंटित व्यय के अतिरिक्त होंगे।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य कार्य मदों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सदैव किया जाने वाला सामान्य व्यय भी इस व्यय का भाग होगा अथवा उसके अतिरिक्त होगा ?

श्री हाथी: यह अतिरिक्त व्यय होगा।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अब जो कार्य प्रारम्भ किये गये हैं केवल वहीं किये जाने हैं अथवा काम के चालू हो जाने पर उनको धीरे धीरे प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री हाथी: यह तो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

श्री एन० एम० लिंगम्: मैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों की देख भाल के लिये निश्चित किये गये अभिकरण के सम्बन्ध में ज्ञात कर सकता हूं उदाहरण के लिये, यदि कोई सड़क ग्रामवासियों द्वारा बनाई गई है, तो मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि बाद को उस सड़क की देख भाल कौन सा अभिकरण करेगा ?

श्री हाथी: सामान्यतः वही वह अभिकरण होगा जिसे साधारणतः उसकी देख भाल करनी चाहिये। अर्थात् यदि वह ग्राम पंचायत है, तो अभिकरण ग्राम पंचायत होगा; यदि वह स्थानीय बोर्ड है, तो अभिकरण स्थानीय बोर्ड होगा; यदि वह नगर पालिका है, तो अभिकरण नगर पालिका होगी।

कोक बनाने योग्य कोयले की कमी

*१२११. **श्री बर्मन**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ समय से पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार ज़िलों में कोक बनाने योग्य कोयले की अत्यधिक कमी है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय है 'भोजन पकाने वाले' कोयले (सौफ्ट कोक) से है 'कोक बनाने' योग्य कोयले से नहीं। हाल ही में इन स्थानों से सौफ्ट कोक की कमी की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उत्तरी बंगाल को कोयला मुकामा घाट तथा भागलपुर के मार्ग से भेजा जाता है, यह सीमित मार्ग है और यह कमी गत दो महीनों में इस मार्ग से कोयला भेजे जाने पर अनेक दिनों तक लगे रहे प्रतिबन्धों तथा परिसीमाओं के कारण हुई थी।

श्री बर्मन : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मुकामा घाट तथा भागलपुर पर कोयले के परिवहन में शुष्क मौसम में पानी के उथले होने के कारण कठिनाई पड़ती है, और यदि ऐसा है, तो क्या रेलवेज़ से देशी नावों को काम में लाने के लिये कहा जायेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना की जानी चाहिये । मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि हाल ही में उसने प्रदाय स्थिति में सुधार करने के लिये कार्यवाही की है ।

श्री के० के० बसु : हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या जलपाईगुड़ी जिले की बकराकोटा कोयला खदानों से उपलब्ध कोयले की राख को ब्रिक किल्लिंग (ईंटों के पजावे की) पद्धति द्वारा सौफ्ट कोक बनाने के लिये काम में लाया जायेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : इस मामले की जांच नहीं की गई है ।

पटसन जांच आयोग

*१२१२. **श्री के० के० बसु :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन जांच आयोग द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की आशा है;

(ख) क्या उसकी नियुक्ति के बाद उसके निर्देश-पदों को अधिक व्यापक किया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो ये नये पद क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)

(क) इस महीने के अन्त तक ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० के० बसु : जहां तक लागत के ढांचे तथा श्रमिकों के कार्यभार एवं कार्यकाल की जांच का सम्बन्ध है, क्या सरकार इस काम के लिए एक नई समिति नियुक्त करने का अथवा विद्यमान आयोग के निर्देश-पदों को अधिक व्यापक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी अभी वेतन के ढांचे की जांच का आश्वासन देने वाली अधिसूचना जारी की गई है, क्या उसको पटसन जांच आयोग के निर्देश-पदों में सम्मिलित करना सम्भव नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विवाद का अंग है । इसके अलावा, वह जानकारी कौनसी चाहती हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जबकि यह मामला पहले ही सदन के सामने है, तो फिर आयोग के निर्देश-पदों को अधिक व्यापक बनाने में कौन सी अड़चन है ?

श्री करमरकर : इस समिति के अपने विशेष निर्देश-पद हैं । उसने सात महीनों से अधिक काल तक काम किया है । इस अन्य प्रश्न को पृथक् रूप से निबटाना ही हमारे लिए अधिक सुविधाजनक होगा ।

जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० की समाप्ति

*१२१३. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० बम्बई के प्रबन्धकों ने ३१ मार्च, १९५४ से अपने धंधे की समाप्ति घोषित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण; तथा

(ग) काम से हटाये जाने वाले लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में सरकार के ३१ मई, १९५३ के संकल्प के अनुसार केवल पुर्जे जोड़ कर मोटर गाड़ियां तैयार करने वाली फर्मों को अपना काम बन्द कर देने के लिए कहा गया है ।

(ग) इसके बारे में करने लायक कोई निश्चित चीज नहीं है । फिर भी सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता करने के संभाव्य मार्गों की खोज कर रही है ।

श्री संगण्णा : इस समाप्ति का प्रभाव कितने श्रमिकों पर पड़ता है ?

श्री करमरकर : जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० के कारण ११७८ श्रमिकों पर । अन्य फर्मों से सम्बद्ध आंकड़े मैं तुरन्त नहीं दे सकता ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं उन लोगों की कुल संख्या जान सकती हूं जो सरकार की इस नीति के कारण काम से हटाये गये हैं ?

श्री करमरकर : मैं कह चुका हूं कि काम से हटाये जाने वाले श्रमिकों की कुल संख्या तो मेरे पास नहीं है किन्तु हम उन्हें निर्माण कारखानों में काम पर लगवाने की अधिकतम कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती ए० काले : अब तक कितनों को काम पर लगाया गया है ?

श्री करमरकर : मेरी राय में अभी कोई फर्म बन्द नहीं हुई है ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० की समाप्ति के कारण एक हजार से अधिक श्रमिक बेकार बन जाएंगे । क्या सरकार ने इन्हें फिर से काम पर लगाने की कोई योजना बनाई है; और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री करमरकर : जो फर्में मोटर गाड़ियों के निर्माण का काम जारी रखने वाली हैं उन्हें हम यह सलाह दे रहे हैं कि अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार वे इनमें से अधिकतम श्रमिकों को जिन्हें वे उपयुक्त समझें, काम पर लगा लें ।

मध्य भारत में गृह उद्योग

***१२१४. श्री सूर्य्य प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गृह उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये मध्य भारत को १९५२-५३ में कितना धन दिया गया; और

(ख) इस धन में कितना भाग सहायता और कितना ऋण के रूप में दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १०७६४९ रुपए ।

(ख) सारी राशि सहायता के रूप में दी गई थी ।

श्री सूर्य्य प्रसाद : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम जो राज्य सरकार खर्च करती है वह किन किन राज्य संस्थाओं को दी जाती है, क्या कोई इसकी सूची माननीय मंत्री के पास पहुंचती है ?

श्री करमरकर : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : वे उन संस्थाओं के नाम जानना चाहते हैं जिन्हें सहायता मिली है ।

श्री करमरकर : मैं अपने माननीय मित्र को हथ-करघा उद्योग के अधीन के मोटे शीर्ष बता सकता हूं । एक शीर्ष यह है: हथ-करघा से बनने वाली वस्तुओं के नमूने बनाना और उन वस्तुओं की बिक्री करना, करघों के

सुधारे हुए नमूनों को सहायता देना, सहकारी समितियों द्वारा प्रबन्धित करघों को सहायता देना। दूसरा शीर्ष यह है: अन्य कुटीर उद्योगों का विकास; अर्थात् दो चलते-फिरते भाण्डारों की स्थापना। मेरे पास इतनी ही जानकारी है जो मैं बता सकता हूं।

श्री एन० एल० जोशी: मध्य भारत सरकार ने वस्तुतः कितना पैसा खर्च कर लिया है ?

श्री करमरकर: मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री राधेलाल व्यास : उक्त राज्य की सरकार ने कितनी राशि के लिए प्रार्थना की थी ?

श्री करमरकर: कौन से वर्ष के लिए ?

श्री राधेलाल व्यास: उसी कार्य के लिए जिसके बारे में आंकड़े दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसी वर्ष १९५२–५३ के लिए, जिसके बारे में जानकारी मांगी गई थी।

श्री करमरकर: इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पास काफ़ी सामग्री है किन्तु इसे ढूंढने में कुछ समय लगेगा।

राज्यों की विकास योजनायें

***१२१५. श्री एस० एन० दास:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने अपनी वह विकास योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिनका १९५४–५५ में केन्द्रीय सहायता द्वारा अर्थ संधारण होगा; तथा

(ख) यदि की हैं, तो इन परियोजनाओं पर कुल कितना धन खर्च किया जायगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट **४, अनुबन्ध संख्या ४६**]।

श्री एस० एन० दास : १९५४–५५ के लिए ऋण मंजूर करने से पूर्व क्या सरकार ने उन परियोजनाओं के कार्यसंचालन की जांच की थी जोकि १९५३–५४ में मंजूर की गई थी ?

श्री हाथी: सामान्यतः यह परियोजनाएं वही हैं जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं, यह नई परियोजनाएं नहीं हैं, परन्तु इन पर काम शुरू करने से पूर्व राज्य सरकारें यह हमारे पास भेज देती हैं तथा यहां इनके बारे में यह जांच की जाती है कि यह किस शीर्ष के अन्तर्गत आ जाती हैं।

श्री एस० एन० दास: विवरण से पता चलता है कि केवल छः अथवा सात राज्य १९५४–५५ के लिए अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर सके हैं, अन्य राज्यों द्वारा यह परियोजनाएं प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, उसके कारण क्या हैं ?

श्री हाथी: दूसरे राज्यों से यथासम्भव शीघ्रता से अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सूची समाप्त हुई है, अब हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं जिनका कि अभी उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री पी० एन० राजभोज: श्रीमान्, मेरा एक प्रश्न है, इसका नम्बर ११९२ है।

श्री ब्रह्म चौधरी: मेरे प्रश्न का नम्बर ११९० है।

श्री मेघनाद साहा: मैं चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ११८३ का उत्तर दिया जाये।

श्री तिमय्या: मेरे प्रश्न का नम्बर ११८५ है।

अध्यक्ष महोदय: नम्बर ११८५ बाद में आ जायगा, पहले हम श्री ब्रह्मोचौधरी के प्रश्न संख्या ११९० को लेते हैं।

पाकिस्तान को इमारती लकड़ी का निर्यात

*११९०. **श्री ब्रह्म चौधरी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में आसाम से कुल कितनी इमारती लकड़ी पूर्वी पाकिस्तान भेजी गई;

(ख) ऐसे निर्यात का कुल मूल्य क्या था;

(ग) क्या आसाम से इमारती लकड़ी से व्यापारियों को इमारती लकड़ी पूर्वी पाकिस्तान भेजने के लिए कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं; तथा

(घ) यदि दी जाती हैं, तो वे सुविधाएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है, [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७] ।

(ग) तथा (घ) । रेलवे शहतीरों तथा गुरजन लट्ठों को, जो कि भारत में प्लाईवुड बनाने के काम आता है, छोड़ कर बाकी सब तरह की इमारती लकड़ी मार्ग-पारपत्रों पर आसाम से पूर्वी पाकिस्तान भेजी जा सकती है । गुरजन लट्ठे लुशाई पर्वतीय ज़िले के लुंगलेह सब-डिवीज़न से लाइसैंसों के आधार पर पाकिस्तान भेजे जा सकते हैं, इस सब-डिवीज़न से यह लकड़ी भारत नहीं लाई जा सकती है । पाकिस्तान के साथ हमारे जो व्यापार करार होते हैं, उनमें आसाम की इमारती लकड़ी शामिल करने की प्रत्येक कोशिश की जाती है ।

श्री ब्रह्म चौधरी : क्या सरकार आसाम के आदिम जातीय क्षेत्रों के इमारती लकड़ी उत्पादकों को सहायता देने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : हमारी सहानुभति सदैव उस क्षेत्र के साथ है ।

पूना रेडियो स्टेशन

*११९२. **श्री पी० एन० राजभोज:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आल इण्डिया रेडियो के पूना स्टेशन में इस समय अपर्याप्त सुविधाएं तथा स्थान उपलब्ध हैं; तथा

(ख) यदि प्राप्त हुई हैं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पी० एन० राजभोज : यह पूना स्टेशन बढ़ाने का गवर्नमेंट जो विचार कर रही है और इसके लिए जो स्कीम बनी है, वह कब शुरू होने वाली है ?

श्री करमरकर : किस के बढ़ाने के बारे में, पावर बढ़ाने के बारे में या ट्रांसमीटर बढ़ाने के बारे में ।

श्री पी० एन० राजभोज : ट्रांसमीटर की पावर बढ़ाने के बारे में ।

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को मालूम है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्री हाल ही में उस प्रयोजन के लिए पूना गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री साहा चाहते हैं कि प्रश्न संख्या ११८३ का विशेष रूप से उत्तर दिया जाये ।

श्री मेघनाद साहा : जी हां, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री तिमय्या : मेरे प्रश्न संख्या ११८५ के बारे में आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ११८३ का उत्तर पहले दिया जायगा । हां, प्रधान मंत्री जी ।

बरुच योजना

***११८३. श्री मेघनाद साहा : (श्री रघुनाथ सिंह** और **श्री एम० एल० द्विवेदी** की ओर से): —क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरूच योजना की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अणु शक्ति के नियंत्रण के सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स में ब्रिटेन के राज्य मंत्री मि० सिल्वन लायड के उत्तर और वक्तव्य की ओर गया है; जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन अणुशक्ति नियंत्रण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना का समर्थन करता है ; और

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल के देशों या उनके प्रधान मंत्रियों से परामर्श किया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) तथा (ख)। सरकार को बरूच योजना तथा ब्रिटिश 'हाउस आफ कामन्ज़' में इस सम्बन्ध में दिए गए उत्तरों की जानकारी है ।

(ग) ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ कोई मशवरा नहीं किया । हमें मालम नहीं कि क्या दूसरे देशों के साथ मशवरा किया गया था अथवा नहीं ।

श्री मेघनाद साहा : ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को किसी तरह से वचन बद्ध कर सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ! माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि हमारा एक स्वतन्त्र देश है । उन्हें इस बात को भली भांति समझना चाहिये ?

श्री मेघनाद साहा : मैं इस बात को भली भांति जानता हूं परन्तु मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस विशिष्ट मामले पर ध्यान दिया है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार ने हमें एक तरह से वचनबद्ध किया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार को कोई वचनबद्ध नहीं करा सकता है न तो ब्रिटिश सरकार ने और न संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने हमें इस मामले की ओर निर्देश किया है । इसलिए उत्तर देने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं हुआ । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमारा इस प्रस्थापना के प्रति क्या रवैया होगा तो मैं निवेदन करूंगा कि अवसर निकल आने पर हम इस पर अवश्य अपने विचार प्रकट करेंगे । हम किसी तरह भी इन योजनाओं के बारे में वचनबद्ध नहीं ।

श्री मेघनाद साहा: क्या निकट भविष्य में इस मामले पर चर्चा होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सदन में, क्या ?

श्री मेघनाद साहा : जी हां। इस योजना के महत्व को दृष्टि में रखते हुये मैं यही चाहता हूं कि इस विषय पर निकट भविष्य में इस सदन में चर्चा होनी चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा हम इस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं जैसे कि हम किसी अन्य विषय पर ऐसा कर सकते हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि हमारा इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं क्योंकि जहां तक अणु शक्ति अथवा अणुशस्त्रों का सम्बन्ध है, हमारे देश का कोई विशेष महत्व नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैस चूल्हा संयंत्र

***११७७. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में स्थित दुर्गापुर में एक गैस-चूल्हा संयंत्र लगवाने का विचार रखती है;

(ख) यदि रखती है तो क्या उस संयंत्र के लगवाने के सम्बन्ध में योजना तथा प्राक्कलन तैयार किये गये हैं; तथा

(ग) इस संयंत्र के लगवाने पर क्या लागत आयेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय तक केन्द्रीय सरकार ने दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में स्थित दुर्गापुर में गैस-चूल्हा स्थापित करने का कोई फैसला नहीं किया है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ऐसा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना पर विचार कर रही है । यह परियोजना, योजना आयोग को 'पश्चिमी बंगाल योजना' की एक 'समन्वय' परियोजना के रूप में निर्दिष्ट की गई है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के प्राक्कलन के अनुसार इस परियोजना पर ९ करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

"घानी" तेल

***११७८. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या घानी तेल के उत्पादन में निरन्तर रूप से खराबी आती जा रही है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कितनी घानियां बेकार पड़ी हैं;

(ग) उपभोग के लिए शुद्ध तेल उपलब्ध करने के निमित्त क्या घानियों को कोई अर्थ-सहायता दी गई है अथवा दी जायेगी; तथा

(घ) देश में उपभोग के लिए कितना प्रतिशत घानी तेल तैयार किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । घानियों द्वारा जो तेल निकाला जाता है, उसके उत्पादन में कमी हुई है ।

(ख) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति की एक उप-समिति ने इस प्रश्न की जांच की ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) लगभग ३३ प्रतिशत ।

वाणिज्य दूतावासों के कार्यालय

***११७९. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां चालू वर्ष में वाणिज्य दूतावासों के कार्यालय खोले गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री० अनिल के० चन्दा) : चालू वर्ष में भारत के सामान्य वाणिज्य दूतावास जेनेवा और मैडागास्कर में खोले गये । हमने अक्रा और हांगकांग में नवीन आयोग और हैदराबाद (सिंध) में एक सहायक उच्च आयोग की स्थापना भी की है । विशुद्ध दृष्टि से वे वाणिज्य दूतावासों के कार्यालय नहीं हैं, लेकिन यह भी उनका एक कार्य है ।

विदेशों में प्रदर्शन कक्ष

***११८१. श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बेल्जियम, फिलिपाइन्स और श्रीलंका में भारत की निर्यात योग्य वस्तुओं के प्रदर्शन कक्ष स्थापित करने का अनुमानित व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८] ।

द्वितीय डी० डी० टी० संयंत्र

***११८५. श्री तिम्मय्या :** क्या **उत्पादन** मंत्री दिनांक ११ अगस्त, १९५३ को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९४ की ओर निर्देश करेंगे और बतायेंगे कि द्वितीय डी० डी० टी० संयंत्र आरम्भ करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : द्वितीय डी० डी० टी० संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के प्रश्न की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का फिर से बसाया जाना

***११९७. श्री गणपतिराम :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिसम्बर १९५३ तक कितने विस्थापित व्यक्ति बसाये गये और उनमें कितने हरिजन परिवार थे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उत्तर प्रदेश में बसाये जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी संग्रहीत की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रख दी जायेगी । हरिजन परिवारों के सम्बन्ध में अलग सांख्यकी नहीं रखी गई है ।

क्रूड (अपरिष्कृत) तेल

***११९९. श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम के नागौरकाटिया तेल कूप संख्या १ में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है ?

(ख) इस कुएं का क्रूड तेल का दैनिक उत्पादन कितना है ?

(ग) क्रूड तेल से बने हुए शुद्ध तेल का प्रति गैलन अनुपात क्या होगा ?

(घ) क्या इसके कोई उपोत्पाद भी हैं और यदि हैं तो वे क्या हैं और किस अनुपात में हैं ।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक रूप से बताने की पद्धति नहीं है :

(ग) और (घ) । विभिन्न उत्पादों का प्रतिशत देने वाला विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४६] ।

साबुन उद्योग

***१२०९. श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में साबुन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक सरकारी जांच समिति की स्थापना हेतु भारतीय साबुन तथा सौन्दर्य प्रसाधन निर्मात्री संस्था के अध्यक्ष की मांग की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार नहीं समझती है कि इस प्रकार की जांच के लिये कोई गुंजायश है ।

जापानी डाक्टरों का मिशन

***१२१०. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जापानी भैषजिक उद्योग के लिये भारत से कच्चा माल प्राप्त करने की सम्भावना के लिये हाल ही में यहां एक जापानी डाक्टरों का मिशन आया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जापान को इस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध कराने से सहमत है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मुझे मालूम है कि एक जापानी मेडिकल व्यापार मिशन हाल ही में भारत आया था लेकिन जापान को कच्चा माल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इसने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया ।

मैसूर के लिए औद्योगीकरण परियोजनाएं

२१८. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगीकरण परियोजनाओं के लिये मैसूर सरकार को वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कौन सी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण पत्र संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५०] ।

नमक

२१९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में जापान को निर्यात किये गये नमक की मात्रा कितनी है; और

(ख) उक्त निर्यात से कितनी रकम वसूल हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) ६८ लाख मन ।

(ख) ४५,२१,००० रुपये (भाड़े सहित) ।

इस्पात

२२०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) १९५३ में स्वदेश में इस्पात के उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(ख) १९५१ और १९५२ में उसकी समनुवर्ती मात्रा कितनी है ।

(ग) उक्त तीन वर्षों में आयात किये गये इस्पात की मात्रा कितनी है; और

(घ) वे देश जहां से १९५३ में इस्पात का आयात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ)। विवरण पत्र संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५१] ।

विमानों द्वारा आयात

२२१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पौधों, फूल पत्तियों तथा जड़ों के विमानों द्वारा आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख)। भारत में विमान अड्डों पर निरोधा सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं । विदेशों से कीड़ों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिये विमान द्वारा इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि फसल पर उनका प्रभाव न पड़ने पाये ।

बन्दूक, पस्तोल, आदि

२२२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

१९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में अब तक कितने मूल्य के बन्दूक, पिस्तौल आदि विदेशों से भारत में बेचने के लिये मंगाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : आयात किये जाने वाले प्रत्येक प्रकार के बन्दूक, पिस्तौल का विस्तृत ब्यौरा सरकारी सांख्यकी में अलग नहीं लिखा जाता है। पिछले तीन वर्षों में आयात किये गये अस्त्रों के हिस्से और उनका सम्पूर्ण मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५२]।

आसाम में हथकरघा उद्योग

२२३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये आसाम सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कौनसी परियोजनाएं अनुमोदित हुईं; और

(ग) अनुमोदित परियोजनाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम सरकार को मंजूर की गई रकमें और वित्तीय सहायता के विभिन्न रूप क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। विवरण पत्र संलग्न है। **देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५३]।

बीड़ी का निर्यात

२२५. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९४७–४८ से १९५२–५३ तक पाकिस्तान और श्रीलंका को निर्यात की गई बीड़ियों की मात्रा का अलग अलग, वर्ष वार ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५२–५३ में १ करोड़ ५६ लाख रुपये के मूल्य की २,४२२,००० पौंड बीड़ियां पाकिस्तान को और ८३ लाख रुपये के मूल्य की २,०२३,००० पौंड बीड़ियां श्रीलंका को निर्यात की गई थीं। १९५२ के पूर्व निर्यात की गई बीड़ियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इत्र

२२६. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से १९५३ तक कितने मूल्य के इत्र मंगाये गये; और

(ख) क्या यहां की मांग को पूरा करने लिये स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इस समय हमारे पास बाहर से आयात किये गये इत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार एवं नौवहन से सम्बद्ध लेखे में इन की कोई भी अलग मद नहीं रखी गई है।

(ख) हां, श्रीमान्।

अमरीका से आयात किया गया इस्पात

२२७. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-अमरीकी प्राविधिक सहकारी कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष में कुल कितना लोहा और इस्पात आयात किया गया;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा गांव के लोहारों और खेतिहरों को आवंटित की गई, और खेती के औज़ार बनाने वाले कारखानों को कितनी मात्रा दी गई;

(ग) इन कारखानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी मात्रा आवंटित की गई है; और

(घ) किस प्रकार यह लोहा और इस्पात इन कारखानों और कारीगरों को दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक। दो विवरण संलग्न हैं। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]।

(घ) लोहा तथा इस्पात (उत्पादन एवं वितरण का नियंत्रण) आदेश, १९४१ के अधीन लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा नियुक्त पंजीबद्ध स्टॉकधारियों और नियंत्रित स्टॉकधारियों ने इस लोहे और इस्पात का आवंटन किया था।

टैंगर टिनप्लेट

२२८. श्री के० के० बसु : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में टैंगर टिनप्लेट (साथ लगने वाली रांग चढ़ी लोहे की चद्दर) की लगभग मांग कितनी है;

(ख) किस आधार पर इसकी आयात अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं;

(ग) १९५० से १९५३ तक वर्षवार कितनी टिनप्लेटों का आयात किया गया;

(घ) १९५३ और १९५४ में आयात की गई टिनप्लेटों की मात्रा कितनी है; और

(ङ) क्या इस प्रकार के आयात की मात्रा की कोई सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोई भी विश्वस्त प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ङ)। ३७ से जी से ऊपर की टैंगर टिनप्लेटों को छोड़ कर क्योंकि भारत में इनका निर्माण नहीं हो पा रहा अन्य सभी टिन प्लेटों की आयात अनुज्ञप्तियों को इस समय जारी नहीं किया जा रहा है। यदि लोहा और इस्पात नियंत्रक को इस बात का संतोष प्राप्त हो कि इन टैंगर टिनप्लेटों की मांग अधिक है तथा इनके मूल्य उचित हैं, तो वे इनके आयात के लिये अनुज्ञप्ति जारी किया करते हैं।

(ग) और (घ)। एक विवरण संलग्न है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में धन का लगाया जाना

२२९. श्री वल्लाथ रास : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी उद्योग क्षेत्र में जो कुल धन लगाया, उसके आंकड़े १ मार्च, १९५४ को क्या थे;

(ख) राज्यों द्वारा राज्य के उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं पर जो धन लगाया गया, उसके राज्यवार आंकड़े १ मार्च, १९५४ को क्या थे; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) की कितनी परियोजनाओं ने अभी उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं किया है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग) तक। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६] शेष जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जाएगी।

चाय के मूल्य

२३०. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में (१) कछार, (२) दार्जिलिंग, (३) आसाम (कछार को छोड़ कर), (४) पश्चिमी बंगाल, (दार्जिलिंग को छोड़ कर) और (५) दक्षिण भारत में तथा भारत भर में चाय का औसत मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५७]।

कागज

२३१. **श्री राम दास** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के विविध विभागों में १९५२-५३ और १९५३-५४ में काम में लाए जाने के लिए कुल कितने मूल्य का हाथ से बनाया गया कागज़ खरीदा गया; और

(ख) इसी अवधि में खरीदे गये भारतीय मिलों में बने कागज़ और आयात किए गए कागज़ का अलग-अलग मूल्य कुल कितना है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)

१९५२-५३	कुछ भी नहीं।
१९५३-५४	३,२१,००० रुपये।

	(ख) भारतीय मिलों का बना कागज	आयात किया गया मिलों का कागज़
१९५२-५३	५ करोड़ रु०	१ लाख १० हजार रुपये।
१९५३-५४	६ करोड़ रु०	२ लाख २८ हज़ार रुपये।

अंक २ | सोमवार
संख्या २७ | २२ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

——:०:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग १७६३]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण [पृष्ठ भाग १७६३—१७६४]

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग १७६४—१८४८]

संसद सचिवालय नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

41 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, २२ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

३ म० प०

राज्य परिषद से संदेश

सचिव : मुझे सदन को सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा १३ मार्च, १९५४ को पारित प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वादों तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाते हुए मैं सदन पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २—लोक सभा का १९५३ का पांचवां सत्र।

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७—लोक सभा का १९५३ का चौथा सत्र।

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२—लोक सभा का १९५३ का तीसरा सत्र।

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३—लोक सभा का १९५२ का दूसरा सत्र।

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १३—लोक सभा का १९५२ का पहला सत्र।

[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १—५]

सामान्य आयव्ययक

अध्यक्ष महोदय : आज सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का अन्तिम दिन है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में कितना समय लेंगे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : लगभग एक घंटा।

अध्यक्ष महोदय : इस लिए एक घंटा उनके लिए आरक्षित रक्खा जाएगा। इसका अर्थ है कि हमें ६ बजे तक चर्चा समाप्त कर देनी है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : चर्चा के दौरान में, साम्यवादी दल के एक सदस्य

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

द्वारा उठाए गये एक प्रश्न पर श्री बी० आर० भगत ने कहा कि उद्योगपतियों के नफे में वृद्धि नहीं हुई है और इसलिये नफे को कम या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैंने विभिन्न कम्पनियों की प्रकाशित नफा सूचियों को देखा है, मैं इस निदान पर पहुंचा हूं कि यदि हम सारे उद्योगों की स्थिति पर समग्र रूप से विचार करें, तब तो हम पाते हैं कि भारत के उद्योग अभी विकास के क्रम में है तथा नफे की राशि थोड़ी ही आती है; किन्तु यदि हम अच्छी स्थिति के कुछ उद्योगों को देखें तो हम वास्तव में नफा-स्फीति के प्रश्न पर आते हैं। इसलिए स्फीत-लाभ को वास्तव में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अन्यथा, आप पूंजी निर्माण के प्रश्न का हल कैसे करेंगे ?

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए ।]

इस देश के अधिकतर उद्योगों पर विदेशियों का स्वामित्व है। इसलिए उनके द्वारा अर्जित समस्त लाभ भारत से बाहर भेज दिया जाता है। तब भारत में पूंजी निर्माण का क्षेत्र कहां रह जाता है ? केवल एक तरीका रह जाता है कि मजूरी में कमी करके पूंजी निर्माण का प्रयत्न किया जाए। वास्तव में ऐसा प्रयास किया भी गया है। पिछली बार जब चाय-बगान में संकटकाल उपस्थित हुआ था तो आसाम सरकार ने मजदूरों की मजूरी घटा दी थी और कहा था कि जो हानि हुई है वह पूरी हो जाने पर ही मजूरी बढ़ायी जाएगी।

गत कई वर्षों से भारत में यही हो रहा है। यदि यही चीज़ जारी रही तो, मजदूरों के लिए कोई भविष्य नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मजूरी का रुपया ही देश में रहता है जबकि नफे की राशि देश से बाहर भेज दी जाती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं : देश में पूंजी निर्माण किस प्रकार हो ? पूंजी निर्माण यदि पूंजीपतियों के हाथों होना है, तब तो इसे देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाने वाला है जैसा कि गत कुछ वर्षों में हुआ है। उद्योगों के विकास के लिए उन्होंने कहीं भी कदम नहीं बढ़ाया है। इसलिए इसके लिए कोई दूसरा मार्ग अपनाना होगा। वह दूसरा मार्ग केवल यही हो सकता है कि सरकार अधिक अधिकार अंगीकृत करे और पूंजीपतियों के हाथों से अतिरेक नफा लेकर उस राशि से एक विकास निधि निर्मित करे और यदि वास्तव में वे विकास कार्य में सहयोग देने के लिए आगे आएं तो उन्हें यह राशि वापस कर दी जाए। इसके बिना निर्मित पूंजी को विकास कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

मजदूरों की मजूरी से पूंजी-निर्माण करने की सरकार की मनोवृत्ति बहुत अनुचित है। यदि सरकार वास्तव में यह समझती है कि मजूरी में से पूंजी निर्माण किया जाए, तो एक तरीका है। हमें निर्वाह वेतन दीजिए और फिर हमसे त्याग करने को कहिए। हम सहर्ष अपना वेतन कम करने को तत्पर हो जायेंगे। किन्तु न्यूनतम वेतन में से आप स्वैच्छिक कटौती करने की आशा कैसे कर सकते हैं ? हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है और मजदूर को न केवल अपना वरन् अपने परिवार के बेरोज़गार लोगों का भी गुज़ारा उस छोटे से वेतन से करना पड़ता है। इसलिए करारोपण नीति में सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि कर का भार मध्य वर्ग पर तथा मजदूर वर्ग पर

न पड़े। किन्तु जूतों और साबुन पर कर लगा कर सरकार ने उन्हीं पर कर-भार लाद दिया है। आप २५० करोड़ रुपए के नोट छाप कर तैयार करना चाहते हैं। इसमें मूल्यों में वृद्धि होगी ही, चाहे वह कम ही क्यों न हों। इस प्रकार एक ओर तो करारोपण से और दूसरी ओर मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता और मजदूरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पूंजीपति वर्ग को अधिक नफा होगा एक ओर करारोपण की नीति से और दूसरी ओर मूल्य वृद्धि से। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब कि हमारे पूंजीपति मित्रों ने आय-व्ययक की प्रशंसा की।

मैं समझता हूं कि २५० करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी, माननीय वित्त मंत्री उस पर विचार करेंगे तथा देश के मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग के प्रति कुछ सहृदयता प्रदर्शित करेंगे।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सभापति जी, जिस दिन से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट निकाला है कई प्रकार की आलोचनायें हो रही हैं। डैफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत लोग आलोचनायें कर रहे हैं। और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह जो डैफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है यह हम लोगों को जताल खाते में ले जायगी यानी यह ज़रूरी हो जायगा कि इनफ्लेशन का युग फिर आ जायगा। मैं समझता हूं कि जब वे लोग यह कहते हैं कि डैफिसिट फाइनेंसिंग से इन-फ्लेशन फिर आ जायगा तो उनका मतलब यह होता है कि हमारी सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती। परन्तु मैं यह नहीं मानता। हमारे वित्त मंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और अभी तक जिस प्रकार से काम करते आये हैं, और जो आपके सामने रिपोर्ट है, उससे आपको समझना चाहिए कि हमारे यहां चीजों के दाम कम हो गये हैं और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। हां यदि आप एक दम से हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहें तो वह चीज़ तो नहीं हो सकती है। हमारा देश अनडेवेलप्ड देश है और अगर रकम मिलने का और कोई तरीका न हो तो सिवा डेफिसिट फाइनेंसिंग के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चाहे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग द्वारा अच्छी रकम खर्च के देश की उन्नति में विश्वास के साथ लग जाएं चाहे मायूसी धारण करके हाथ पर हाथ दिए बैठे रहें। इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को इस तरह से एक दम रूल आउट कर देना ठीक नहीं है, परन्तु डेफिसिट फाइनेंसिंग करते समय हमारे वित्त मंत्री जी यह देखें कि हमारा जो रुपया प्रोडक्शन में लगाया जाता है वह ठीक से काम में आता है और आगे प्लानिंग का काम ठीक से होता है। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री जी जब से यह कहना चाहूंगा कि प्लानिंग जो किया जाता है वह ठीक है परन्तु एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन का प्लानिंग और भी अच्छी तरह से होना चाहिए और प्लानिंग करते समय यह देखना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे हम ठीक से काम-याबी से कर सकेंगे या नहीं और उसको कामयाब करने में कौन कौन चीज़ की आव-श्यकता है। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्लान में यह बात मान ली गयी थी कि सन् १९५४ में हमारा देश शुगर में सेल्फसफीशेंट हो जायगा। यानी १५ लाख टन शुगर पैदा करने लगेगा। परन्तु यह चीज़ किस तरह से होगी, कौन सी चीज़ की तरक्की करने से होगी, कैसे होगी कि जिससे अगर हम एक बार सेल्फसफीशेंट हो जायं तो फिर वह हमारी हालत कायम रहे यह भी हमको देखना चाहिए। परन्तु यह जो चीज़ सन् १९५४ में होने वाली थी वह हमारे यहां सन् १९५२ में ही हो गयी। अब मैं देख रहा हूं कि सन् १९५२ के बाद से

[श्री झुनझुनवाला]

प्रोग्रेसिव डिकलाइन हो रहा है। जिससे कि हमारे देश में शुगर में सेल्फसफीशेंसी हो सकती है, यानी गन्ने के दाम में कमी होने से, यानी गन्ने की एकड़ पीछे अधिक उपज होने से, उसमें हम देखते हैं कि सन् १९५२ से प्रोग्रेसिव डिकलाइन हो रहा है। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि प्लानर लोगों के सामने कौन सी चीज़ थी जिस के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सन् १९५४ में सेल्फ सफीशेंट हो जायेंगे और फिर वह चीज़ कायम रहेगी हालां कि समय खास अनहोनी की बात दूसरी है। यदि सेल्फसफीशेंसी का मतलब यही है कि एक बार किसी ने जो गुड़ का गन्ना है उसका गुड़ न बना कर उसकी चीनी बना ली, तो इससे तो हमारी प्रोडक्शन की ताकत नहीं बढ़ी और मेरी समझ में यह ठीक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आफ प्लान नहीं है। अतएव मैं वित्त मंत्री जी से यह कहूंगा कि प्लानिंग करते समय और उसका एग्जीक्यूशन करते समय यह देखना चाहिए कि बेहतर सुपरवीजन हो और हमारे देश में अधिक प्रोडक्शन हो सके। यह चीज़ वित्त मंत्री महोदय को ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं, हां एक दम से परफेक्शन तो नहीं है। इनफ्लेशन कम हो रहा है और हम डिफ्लेशन की ओर जा रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और वह इनफ्लेशन को नहीं आने देंगे और जो पये खर्च करेंगे वह अच्छी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेंगे।

अब मैं एक बात और मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। वह बात यह है कि जिस दिन हमारे जो सभापति जी अभी बैठे हैं, वह बोल रहे थे तो वह कह रहे थे कि जो सभासद लोग हैं, वह हमारे वित्त मन्त्री को इस तरह पकड़ते हैं जैसे कि कुछ लोग ने हाथी की सूंड को पकड़ा था, किसी ने आंख को पकड़ा था, किसी ने पूंछ पकड़ी थी, किसी ने बदन पर हाथ रखा था, इसी तरह हमारे वित्त मन्त्री जी के ऊपर भी हर एक मैम्बर कोई तो कहीं पकड़ लेता है, और कोई कहीं और उनकी आलोचना करने लगता है। कोई क्या चीज़ पकड़ता है, कोई क्या चीज़ पकड़ता है। मैं इस तरह एक चीज़ तो पकड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो उनकी समस्त चीज़ को देख कर देश की उन्नति किस तरह से हो सकती है, उसको पकड़ूंगा। मैं उनकी आंख की ओर भी पकड़ूंगा, कान की ओर भी पकड़ूंगा, उन की बुद्धि को भी पकड़ूंगा और सब से बेशी जो चीज़ है, वह उनके हृदय को मैं पकड़ना चाहता हूं।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): हृदय खाली नहीं है।

श्री झुनझुनवाला: परन्तु मुझे एक बात का डर है और वह यह कि वह इतने बुद्धिमान हैं कि अपनी बुद्धि से जो उनके हृदय में बात आती है वह रुक जाती है। और दूसरे के हृदय की जो बात होती है उसको भूल भुलावे में कर के वह अपने हृदय की बात को भी भुला देते हैं। अतएव मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि देश की उन्नति की ओर ध्यान रखते हुए वह अपने हृदय को भी ज़रा सा खुला रखें, केवल बुद्धि का ही व्यवहार न करें। बुद्धि का व्यवहार अवश्य करना चाहिये, लेकिन थोड़ा हृदय का भी ख्याल रखें। जो लोग आजकल कुछ जनता के लिये बोलते हैं या कहते हैं, उन से कह दिया जाता है कि यह तो एक किस्म का फैड है, सुपरस्टीशन है। लोग इंटैलीजैन्स से नहीं, सैंटीमेंट से बातें करते हैं। मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहता हूं कि मेरे में उतनी बुद्धि तो नहीं है जितनी उनमें है कि हृदय के असली भाव को बहस से

छिपा देवें परन्तु मैं कुछ बुद्धि लगा करके और हृदय भी लगा कर के देखता हूं कि जो नीति अभी हमारी सरकार ने अख्तियार कर रखी है, उससे जो हमारी बेरोज़गारी का प्रश्न है वह कैसे हल होगा, यह हमारी समझ में नहीं आया। जैसे कि हम अपने यहां के उद्योग धंधे वालों को बाहर के उद्योग धंधे वालों से प्रोटैक्शन देना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, उसी तरह से जो हमारे गांव के और कुटी के उद्योग धंधे थे, मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि आज उन के बारे में भी विचारिये, देखिये कि किस खुश हाल तरह से वह थे और आज उनका क्या हाल हुआ है। यह भी सोचिये कि यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और कितने आदमी उससे बेरोज़गार हो गये हैं। इस बात के ऊपर हृदय खोल कर मन्त्री महोदय ज़रा विचार करें और इस बात को ज़रा हृदय से देखें। यदि आप उन उद्योग धंधों को फिर से चालू नहीं करेंगे तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कैसे उन की बेरोज़गारी खत्म होगी। मैं यह बात कोई फैडिज्म से नहीं कहता, सैंटीमैंट से नहीं कहता। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जो आप की स्कीम है, जो आपका प्लान है, जो आप की पांच वर्ष के लिये योजना है और आगे के लिये भी जो आप योजना करना चाहते हैं, उससे किस तरह से हमारी बेकारी दूर होगी और उन लोगों का दुःख किस तरह से मिटेगा, क्योंकि मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से आता हूं जहां पर कि इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं। वहां न तो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं। और बाहर के जो बड़े उद्योग धंधे थे उन्होंने जो कुछ भी हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उन को एक दम से खत्म कर दिया है। जहां हम जाते हैं वहां पर ही बेरोज़गारी है। इन बेरोज़गारों को खाने को नहीं मिलता। अब आप यह देखिये कि यदि एक दिन के लिये हम बेकार हो जाते हैं, कुछ दिन, पांच सात दिन, हम को काम नहीं मिलता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है। इसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना है। हमारे जो ३४ करोड़ आदमी हैं उनमें से कितने आदमियों को रोजगार मिल रहा है और कितने अभी अनएम्प्लायड हैं।

अब समय अधिक हो रहा है, कहना तो इस पर बहुत था, लेकिन अब अधिक नहीं कह सकता। इसलिये मैं आप को एक बात यहां बतलाना चाहता हूं कि आप बड़े उद्योग धंधे क़ायम तो करें, हम को इस से कोई ऐतराज़ नहीं है, परन्तु मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जहां पर हमारे गांव के और कुटी के उद्योग धंधों को आपके इन बड़े उद्योग धंधों से मार डाला जाता हो, उन को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती हो, तो उस तरह के बड़े उद्योग धंधों को आप तब तक प्रोत्साहन न दीजिये जब तक कि आप उन ऐसे गांव वालों के लिये भी कोई उपाय न निकाल सकें, उनको कोई दूसरा रोज़गार न दे सकें। मैंने यहां प्लानिंग कमीशन के सम्बन्ध में पालियामेंट में ही नन्दा साहब से प्रश्न किया था। उनसे पूछा था कि आप की जो यह स्कीम है, उससे आप हम को यह बतलाइये कि पांच वर्ष के अन्दर गांव की कितनी बेरोज़गारी को आप दूर कर सकेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि यह तो इस पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तरक्क़ी कर सकते हैं। यह तो प्लानिंग की कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। जो वहां के उद्योग धंधे थे वह इन बड़े उद्योग धंधों से खत्म हो गये और इस वजह से वहां की आज क्या हालत हो रही है, यह हम लोग सब देख रहे हैं। अब प्लानिंग हो रही है तब हम उसी विषय में यह पूछते हैं कि आप उनकी बेरोज़गारी किस तरह से दूर करेंगे तो उसका वह यह जवाब देते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे हमारी तरक्क़ी होती जायगी, वैसे वैसे यह सब काम होगा। जब आप कोई ऐसा जवाब नहीं दे

[श्री झुनझुनवाला]

सकते हैं तो एक इसका उपाय है, और यह निश्चित उपाय है, कि जितने भी हमारे गांवों के और कुटी के उद्योग धंधे थे, उन सब को आप रिवाइव कीजिये और उनको रिवाइव करके उनकी जो चीज़ें हैं, उनको तब तक रहने दीजिये जब कि आप उनके लिये कोई दूसरा एम्पलायमेंट नहीं दे सकें। उनकी चीज़ों का आप व्यवहार कीजिये। हमारे सोमानीजी और तुलसीदास जी आदि जो लोग हैं उनको चाहिये कि उन लोगों की चीज़ों को यह व्यवहार में लायें। इन को समझना चाहिये कि सन् १९०५ और सन् १९०६ में जब स्वदेशी आन्दोलन चला उस समय यहां की जनता ही थी कि जिसने आपकी सहायता की थी, जिसने आप के मील का कपड़ा विदेशी मील के कपड़े से दुगुने दाम देकर और खराब क्वालिटी का कपड़ा पहना। इसीलिये आप इतनी तरक्क़ी कर सके हैं।

अतएव मैं चाहता हूं कि जितनी हमारी गांव की चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहां पर बनती हैं, उन सब चीज़ों का व्यवहार कीजिये और उन को उत्साहित कीजिये ताकि वे अपने उद्योग धंधों को फिर से जारी करें। अगर आपके पास इसके अतिरिक्त और कोई दूसरे उपाय हैं तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करके बतलाइये। अगर नहीं बतला सकते हैं तो सिवाय इसके कोई दूसरा उपाय नहीं है और इसका आप ज़रूर अवलम्बन कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो अनएम्पालयमेंट है वह कम होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह बेरोज़गारी बनी रहेगी और कम से कम जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूं वहां के लोगों को सन्तोष नहीं होगा और वे तकलीफ में ही रहेंगे।

बस, अब में इतना कह कर बैठ जाता हूं, केवल एक बात और कह देता हूं जिस में मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा। हमारे कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर ने एक स्पीच देते हुए कहा है:

"We as a Government have now taken away the political significance of Khadi to some extent and have begun to emphasise the economic significance of it."

इस सम्बन्ध में हम को केवल यह कहना है कि यदि खादी और इस प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं इसमें कोई पोलीटीकल सिग्निफिकेंस पहले थी तो अब वह किसी तरह कम नहीं है, उसकी पोलीटिकल सिग्निफिकेंस अधिक ही है। अतएव यह जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, यह जो उन्होंने निर्णय किया है, मेरी समझ में यह निर्णय ग़लत किया है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): श्रीमान्, सभापति महोदय, ११६६.५८ करोड़ रुपये के नोट चल रहे हैं। गत वर्ष के थोक मूल्य के सामान्य आंकड़े ३८१·५ हैं और फरवरी १९५४ में ये आंकड़े ५९५·० हो गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में तथा १ अप्रैल से दो वर्षों के काल में जो ऋण-धन परिचालन में आयेगा उससे मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि हो जायेगी तथा वेतन इतने बढ़ जायेंगे कि मुझे तो उसका विचार करने से ही कंपकंपी आती है।

मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री का आय-व्ययक विवरण सन्तोषजनक नहीं है। पिछले १५ अगस्त से बल्कि कुछ पहिले से प्रधान मंत्री यह बताते रहे हैं कि हमारे देश के बाहर हुई कुछ घटनाओं के फलस्वरूप कितना बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि पड़ौसी देश के

फौजी गठबन्धन से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमारे देश में एकता, एकत्व तथा तत्परता का भाव होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने देश में जो चिन्तामय उत्सुकता का भाव उत्पन्न किया है उसकी थोड़ी सी अभिव्यक्ति आय-व्ययक में भी होती। यह आय-व्ययक विवरण में नहीं है। आय-व्ययक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश का असैनिक व्यय बढ़ गया है इस वर्ष के रक्षा व्यय में गत वर्ष की अपेक्षा मुश्किल से ६ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। तात्पर्य यह है कि हमें शस्त्रीकरण किये बिना ही कुछ ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे जनता को यह विश्वास हो जाये कि आसपास से खतरे की स्थिति उत्पन्न होने पर हम देश की रक्षा करने के लिये तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री प्रधान मंत्री की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न करते।

मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री खाते तथा आंकड़े रखने में दक्ष हैं। परन्तु मुझे उस ढंग के बारे में अनेकों सन्देह हैं जिसमें छोटे छोटे ऋणों, राज्यों को सहायता-अनुदानों, विशेष विकास तथा अन्य विधियां और विदेशी आर्थिक सहायता के खाते रखे जाते हैं। जहां तक राजस्व तथा व्यय का सम्बन्ध है, व्याख्यात्मक ज्ञापन में वास्तविक आंकड़े दिये जाते हैं। परन्तु मुझे उस ऋण के जो प्राप्त किया जायेगा, तथा छोटी छोटी बचतों के वास्तविक आंकड़े नहीं मिलते हैं। प्राप्ति के खाने में आपको बहुत सी ध्यान देने योग्य बातें मिलेंगी। यदि १९५०-५१ के वर्ष से अब तक के आंकड़ों को देखें तो हमें विदित होता है कि आय व्ययक के आंकड़ों में तथा संशोधित आंकड़ों में बड़ा अन्तर है। इसके अतिरिक्त, मैं सदन का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। १९५२-५३ के लिये व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ संख्या ५३ पर १९५२-५३ के लिये नये ऋणों के आय-व्ययक आंकड़े २६·०६ करोड़ दिये हैं, जबकि १९५३-५४ के लिये व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ५८ पर १९५२-५३ के लिये नये ऋणों के आय-व्ययक आंकड़े ३९·०६ करोड़ दिये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह १३ करोड़ का अन्तर कैसे हो गया। मेरा अभिप्राय यह है कि जब तक वास्तविक आंकड़े विदित नहीं होते हैं तब तक भारत सरकार की ऋण लेने की नीति के सिद्धान्तों पर कोई निश्चय करना इस सदन के लिये कठिन है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, १९५०-५१ से १९५३-५४ तक आय-व्ययक तथा संशोधित आय-व्ययक शीर्षक के अन्तर्गत पुनः अनेकों विभिन्नतायें दिखाई पड़ती हैं। यदि ज्ञापन में पिछले वर्ष की वास्तविक राशि के साथ साथ बहुत से वर्षों के वास्तविक आंकड़े दिये हों, तो मैं समझता हूं कि यह कठिनाई नहीं होगी।

अब मैं सहायता अनुदानों पर आता हूं। जहां तक राज्यों को दिये गये ऋण का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि आय-व्ययक ज्ञापन में कहीं भी वास्तविक आंकड़े नहीं दिये हैं। आगामी वर्ष के व्याख्यात्मक ज्ञापन में भी आय-व्ययक के आंकड़ों तथा संशोधित आंकड़ों में बड़ी विभिन्नता है। जो धन राशियां राज्य सरकारों के नाम अग्रिम धन के रूप में दिखाई गई हैं उनमें वे धन-राशियां सम्मिलित नहीं हैं जो विशेष विकास तथा अन्य निधियों से दी गई हैं। यह कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि भविष्य में वित्त मंत्री तथा साधारण रूप में वित्त मन्त्रालय हमें एक एकत्रित विवरण दें ताकि हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकें कि ये ऋण राज्यों को किस ढंग में दिये जाते हैं।

आप देखेंगे कि योजना काल से लेकर अब तक राज्यों को दिये गये अग्रिम धनों, आदि का योग दिया है। ६६७ करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये हैं। १९५१-५२ से १९५४-५५ तक ९८·९३ करोड़ रुपये

[डा० लंकासुन्दरम]

अनुदान के रूप में, राज्यों को ऋण के रूप में ४४९·७८ करोड़ रुपये, ११९·६७ करोड़ रुपये विशेष विकास तथा अन्य निधियों से दिये गये हैं। आपको स्मरण होगा कि अनुमान समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि अग्रिम धनराशियों की पुनः प्राप्ति आसान नहीं है। अतः मैं अपने माननीय मित्र श्री तुलसी दास से सहमत हूं कि इस सदन को तत्काल ही कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये जिससे यह विश्वसनीय हो जाये कि ये ६६७ करोड़ रु० तथा योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में दिये जाने वाले अनिश्चित धन का राज्य सरकारें पूर्ण खाता रखेंगी।

अन्त में, मैं सदन का ध्यान विदेशी सहायता की ओर आकर्षित करता हूं। हम देखते हैं कि बहुत से अग्रिम देय दिये गये हैं। सदन को विदित होगा कि संसार बैंक अनुदान के रूप में नहीं अपितु ऋण के रूप में सहायता देता है। २१ अप्रैल १९५३ को उत्तर दिया गया था कि बैंक से अनेक रूपों में १०.९८ करोड़ डालर प्राप्त हुये हैं। भारत अमरीकी टैक्निकल सहकारिता समझौतों के अन्तर्गत लगभग ८·३५ करोड़ डालर प्राप्त हुये हैं। नार्वे, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से भी ऐसी ही सहायता मिली है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि इन सब ऋणों की तालिकायें बनाई जानी चाहियें। हम यह ठीक तरह जानना चाहते हैं कि ये सब सहायतायें तथा उपहार बाहर से विदेशी अनुदान-सहायता के रूप में अथवा ऋण के रूप में प्राप्त किये जाते हैं।

यह जाने बिना, कोई भी निश्चय करना हमारे लिये असम्भव है। मेरी शिकायत यह है कि उनके आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि आगामी आय-व्ययक विवरण में जो कुछ मैंने कहा है उसके अनुसार खातों में सुधार करने के लिये कुछ किया जायेगा।

श्री एस० एन० अग्रवाल (वर्धा) : श्री एच० एन० मुकर्जी ने घाटे की व्यवस्था का 'हिप्पोपोटेमस' (गैन्डा) के रूप में वर्णन किया है। परन्तु मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस देश में सर्वाधिकारवाद के 'हिप्पोपोटेमस' को न भूलें। क्योंकि लैनिन ने कहा था "जनतन्त्रवाद वह मध्यवर्गीय धारणा है जो क्रान्तिकारी श्रमजीवियों द्वारा अवश्य समाप्त होनी चाहिये।" मैं चाहता हूं कि वह इस बात को याद रखें। उन्होंने त्रावनकोर-कोचीन में रस्सा बनाने वाले मज़दूरों के विषय में भी कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके छिले हुए व सूखे हाथों को देखा है। हमें उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है। मेरा विचार है कि उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिये सरकार यथाशक्ति कार्यवाही करेगी। परन्तु भारत में और उस देश में, जहां से श्री एच० एन० मुखर्जी को स्पृहा मिलता है, एक बड़ा अन्तर यह है कि भारत में इन मज़दूरों को अपनी पसन्द की सरकार बनाने का अधिकार है जबकि वहां ऐसा नहीं है। अतः मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस देश में जब हम जनतन्त्रवाद की बात करते हैं, तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये होना चाहिये, न कि केवल साम्यवादी दल के लिये हो, तथा दूसरों के लिये केवल सुनने तथा आज्ञापालन के लिये हो।

श्री बी० जी० देशपांडे ने हमारी "सक्रिय तटस्थता" की नीति के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं, और उन्होंने आग्रह किया है कि हमें रूस या अमरीका से सहायता लेनी चाहिये। मैं उनसे तथा उनके दल से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें मांगने का विचार त्याग देना चाहिये, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना

चाहिये, तथा हमें बैसाखी पर निर्भर बच्चों की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि इस आयव्ययक में आयुध वृद्धि के लिए विशेष अधिक राशि नहीं रखी गई है और हमारी सरकार की नीति भय के कारण आयुधों का ढेर लगाने की नहीं है । हमने पाक-अमरीकी सैनिक संधि का विरोध न केवल अपने देश के खतरे के कारण किया है बल्कि इससे पश्चिम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चलने वाले एशियायी देशों के संघर्ष का प्रवाह भी उलटा हो जाता है । हमारे राष्ट्र पिता ने हमें बताया था कि किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आत्मिक शक्ति है । इसी अहिंसात्मक उपाय से हमें स्वाधीनता मिली थी । हमारे राष्ट्र नेता ने भी वही नीति अपनाई है, अतः आशा है कि सभी दल इस नीति का समर्थन करेंगे । डा० खरे ने कहा था कि देश को रशीद, रउफ और रफी से मुक्ति दिलाई जाए । मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि देश को सभा, संघ और साम्यवादियों से पीछा छुड़ाइए, जो भारतीय राजनीति के अभिशाप बने हुए हैं ।

कई वक्ताओं ने बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का निर्देश किया था । यह विषम समस्या है और सरकार को इसका समाधान खोजना होगा । यह सच है कि भारत सरकार और योजना आयोग ने इसके लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपायों की घोषणा की है और इसके लिए योजना में लगभग १७५ करोड़ रुपय बढ़ाए हैं, परन्तु इतने से ही काम न चलेगा । थोड़े से बुनियादी या बड़े बड़े उद्योगों को खड़ा करने से ही हमारे कर्त्तव्य की इति-श्री नहीं हो जाती ।

हाल में अ० भा० कांग्रेस समिति द्वारा देहली के देहाती क्षेत्रों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि खेतिहरों की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति १५० रुपए ही है । वर्ष में ३–४ महीने उनके पास विशेष काम नहीं रहता है । भारत सरकार और अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रयत्नों के होते हुए भी अनेक ग्रामोद्योग नष्ट होते जा रहे हैं । गांवों की वास्तविक स्थिति को बिना समझे बनाई गई सारी योजनाएं व्यर्थ जाती हैं । यदि उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए और गांधी जी के विकेन्द्रीकृत तरीके को अपनाते हुए कुछ किया जाए, तो हम निकट भविष्य में ही पूरी रोजगारी की आशा कर सकते हैं ।

योजनाओं के लिए मंजूर की गई पूरी राशि व्यय नहीं हो पाती और वित्त मंत्री ने इसकी चर्चा की है तथा एक ज्येष्ठ अधिकारी प्रशासनीय प्रक्रिया का पुनरीक्षण कर रहा है । परन्तु मेरा सुझाव है कि यह महान् कार्य प्रशासकों के ऊपर ही न छोड़ कर इसमें अनुभवी संसद् सदस्यों को भी लगाया जाए, तभी सुन्दर प्रतिफल निकल सकेंगे । पदाधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि लोक-कल्याण राज्य की स्थापना में उनको महान् योगदान देना है, तभी ये प्रक्रियाएं सफल हो सकेंगी ।

श्री तुलसीदास किलाचन्द ने "क्रमिकता तथा परिवर्तन-विरोधिता" के लिए वित्त मंत्री की सराहना की है । परन्तु एक लोक-कल्याण राज्य में यह सराहनीय बात नहीं कही जा सकती । आशा है योजना आयोग और सरकार यह भली भांति समझ लेंगे कि देश को आर्थिक तथा सामाजिक स्वाधीनता दिलाने के लिए तेजी से काम करना होगा । माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि वह कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं । परन्तु वह कुछ भी हो, संविधान में ही इन निदेशात्मक तत्वों का उल्लेख है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देने और धन का कुछ लोगों के हाथों में संचय रोकने के लिए प्रयत्न करेगा । आशा है, सरकार धनिकों और

[श्री एस० एन० अग्रवाल]

निर्धनों के इस भारी अन्तर को दूर करने के लिए तुरन्त आगे बढ़ेगी । जब तक यह न होगा, जनता में उत्साह पैदा नहीं हो सकता ।

इस आयव्ययक में, जो मुख्यतः विकास वाला आयव्ययक है, वित्त मंत्री ने विकास, शिक्षा, चिकित्सा आदि के विशेष व्ययों को पृथक्-पृथक् बताया है मेरा निवेदन है कि इन विकास परियोजनाओं के लिए अप्रत्यक्ष कराधान को न अपना कर हम प्रत्येक परियोजना के लिए कुछ प्रत्यक्ष कर सम्बन्धित व्यक्तियों के ऊपर लगाएं । फिर हमारे देश में पूंजी तो विशेष नहीं है, पर श्रम की पूंजी अवश्य है और उसका विदोहन करके अर्थात् स्वयंसेवकों और श्रमदाताओं की सहायता से भी परियोजनाओं को पूरा करने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए । आयव्ययक केवल रुपया आना पाई का कुशलतापूर्वक संतुलन कर देना ही नहीं है । हमें अपने देश की इस परिसंपत् का भी उपयोग करना चाहिए ।

अब मैं कर प्रस्तावों के विषय में एक दो बातें कहूंगा । विदेशी कपास पर आयात-शुल्क न लगाने से देश के किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा, यह स्पष्ट नहीं है । फिर उन्होंने सब प्रकार के सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क लगाई है या केवल विदेशी कपास से बने कपड़ों पर । पहली स्थिति में भारतीय किसानों पर कुछ न कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा । साबुन पर सामान्यतः शुल्क लगाने के स्थान पर दैनिक उत्पादन के अनुसार कर लगना चाहिए और छोटे उत्पादकों को छूट देकर लीवर ब्रदर्स जैसे बड़े उत्पादकों पर विशेष कर लगना चाहिए । माननीय मंत्री ने मितव्ययिता और त्याग की बात कही है, परन्तु जब तक हम सब लोग स्वयं यह आदर्श जनसाधारण के सामने न रखें, हम उससे इसकी आशा नहीं कर सकते । यह उच्च व्यक्तियों को ही प्रारम्भ करना पड़ेगा । फिर दिल्ली की मानवीय हलचल की अपेक्षा यदि यह आयव्ययक सेवाग्राम में तैयार किया जाया करे, तो इससे जनसाधारण पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

लोक-वित्त के विषय में महात्मा गांधी ने एक सिद्धांत वाक्य बताया था कि इसकी परीक्षा यही है कि किसी निर्धनतम और दुर्बलतम व्यक्ति से पूछा जाए कि इस विशेष प्रस्ताव से क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा अर्थात् दूसरे शब्दों में क्या इससे करोड़ों भूखों नंगों को आर्थिक स्वराज्य मिल सकेगा । मेरा विचार है कि लोक-वित्त के प्रत्येक विशेषज्ञ को यह सिद्धांतवाक्य सदैव अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए ।

भारत एक महान् देश है और हमें उससे सारी दुनियां के पुनर्निर्माण की पूरी पूरी आशा है । पर इसके लिये हमें अपनी सफलताओं को भी देखना होगा । हमें देश में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से आमूल सुधार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और देश में प्रजातन्त्र, शान्ति और स्वाधीनता की स्थापना के लिए आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए । हम में वह दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे हम आकाश के भी तारे तोड़ सकें और बड़े-बड़े पर्वतों को भी डिगा सकें ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आज इस बहस के आखिरी दिन में खड़ा हुआ हूं और मुझ को आशा थी कि शायद आज आखिरी दिन ये गवर्नमेंट की बेंचें खाली न रहें और मैं कुछ अपनी बात मंत्रियों को उन मंत्रियों को सुना सकूंगा जिन के विभागों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था । इन दिनों में जब सब विभागों के सम्बन्ध में बहस होती है, क्योंकि जब बजट उपस्थित किया जाता है तो उस में

सभी विभागों के अनुमान होते हैं और उस समय हर विभाग का प्रश्न लाया जाता है, ऐसे दिनों में मुनासिब यह है कि सब मंत्रीगण यहां पर बैठे रहें और सुनें और समझें कि उन के विभाग के बारे में क्या कहा जा रहा है। अकेले वित्त मंत्री का यहां पर उपस्थित होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि उन के सुपुर्द वे विभाग तो हैं नहीं जो उन का दिया हुआ पथा व्यय करते हैं, वित्त मंत्री तो रुपया बांटते हैं, खर्च उस को दूसरे करते हैं, मुनासिब होता अगर वे यहां पर उपस्थित होते ।

अस्तु, अभी हम होली की ऋतु में हैं और होली की ऋतु के बाद यहां इट्ठे हुए हैं। गुलालों का आकाश हम ने देखा है। कहीं कहीं गुलाल के साथ गर्द का गुब्बार भी देखा है। यह हमारा बजट भी होली के आकाश के समान गुलाल और गर्द से छाया हुआ है। हमारी पंचवर्षीय योजना में दोनों मिले हुए हैं, इन चन्द मिनटों में मुझे सब ब्योरों में नहीं जाना है, परन्तु जहां मैं मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना में कुछ रंगीनी है, दिलों को प्रसन्न करने वाली वस्तु है, वहां मुझ को बहुत व्यर्थ का आडम्बर और गर्द का गुब्बार भी दिखायी देता है और मैं पूछना चाहता हूं कि जिन दीन और ग़रीब भाइयों से हमारा देश भरा पड़ा है और जिन के बारे में अभी मेरे मित्र श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने गांधी जी का एक उद्धरण पढ़ा और उन दीनों ग़रीबों की झोंपड़ियों में इस योजना से क्या अब तक हुआ। इस से अगले दो वर्षों में उन को क्या लाभ हो जायगा, इस बात में मुझे बहुत गहरा सन्देह है। मुझे इस पंचवर्षीय योजना से यह नहीं दिखाई देता कि हमारे गांवों की दशा कुछ बहुत उन्नत होने वाली है, उस के लिये तो योजना का कुछ रूप रंग अलग होना चाहिये।

मैं ने दो एक बार कहा है कि गांवों का एक नया निर्माण होना चाहिये, युग बदलने के लिये मैं ने वाटिका गृह योजना की बात रखी है जिस में मैं ने कहा है कि गांव के हर कुटुम्ब के लिये घर हो और हर एक घर के साथ आधी एकड़ भूमि हो, ऐसा अगर हो जाय, तो आप देखेंगे कि क्या सूरत बनती है। मुझ को ऐसा याद पड़ता है कि एक बार वित्त मंत्री ने कुछ शब्दों में मेरी इस बात का स्वागत सा किया था, परन्तु मुझ को तो मालूम नहीं कि आज तक यह जो रुपये खर्च हुए, कई सौ करोड़, जो अब तक खर्च हो चुके, इस रक़म का कोई एक टुकड़ा किसी ऐसे एक गांव के भी बसाने में खर्च हुआ ।

मेरी यह कल्पना थी कि हर सूबे में या हर ज़िले में एक एक गांव तो इस नमूने का बन जाता। मुझे नहीं मालूम होता है कि आज देश भर में इस योजना पर एक भी गांव बसाया गया हो। दो सौ चार सौ घर इस तरह के बसाये जाते, हर घर में आधा एकड़ भूमि होती, बीच में सड़कें होतीं और यह यत्न होता कि वह स्वस्थ रह सकें। मुझे इस के लाभ पर और अधिक नहीं कहना है। आशा थी कि कुछ होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे यह मालूम होता है कि इस पंचवर्षीय योजना में शहरी ढंग से रहने वाले लोगों का ध्यान है। देहाती लोगों के लिए यह योजना बहुत अधिक करने वाली नहीं है ।

मैं गांवों में बढ़ती हुई बेकारी देख रहा हूं। यहां चर्चा होती है पढ़े लिखों की बेकारी की। ऐसा लगता है कि जो देहाती लोग हैं, गांवों के मज़दूर हैं उन की तरफ़ ध्यान नहीं है। उस सब के लिए दूसरी तरह की योजना की आवश्यकता है ।

मुझे थोड़े से शब्द भाषा के सम्बन्ध में कहने हैं। मेरा निवेदन है कि भाषा के प्रश्न पर हमारे शिक्षा विभाग के भीतर सजगता नहीं है। ऐसा लगता है कि वह ऊंघता हुआ विभाग है। चार वर्ष बीत गये हिन्दी के सम्बन्ध में उन्हों ने क्या किया ?

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : शत्रुता ।

श्री टंडन : छोटे छोटे कुछ चार पांच शब्द कोष सामने आये हैं जिन में बहुत रुपया बरबाद हुआ है । उस दिन मेरे मित्र गोविन्द सहाय जी ने पूछा हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि जो काम संविधान सभा ने शब्दों के बारे में कर दिया था अर्थात् संविधान का अनुवाद हिन्दी में हो चुका और हिन्दी शब्द स्वीकार हो चुके, क्या आप उन शब्दों को भी बदलने में लगे हैं । उन्हों ने जवाब दिया कि हां हम बदलने में लगे हैं । उन्हों ने पूछा कि क्या आप संविधान की यानी कांस्टीट्यूशन की अवहेलना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हां । अवहेलना का मतलब उन्होंने नहीं समझा । स्पीकर साहब ने उनको मतलब समझाया तब उन्होंने कहा, नहीं । मुझे अपने शिक्षा मंत्री की इल्मियत में सन्देह नहीं, बहुत आलिम हैं । शिक्षा विभाग से हम यह आशा करते हैं कि वह हिन्दी को प्रगति दे । लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का हिन्दी का ज्ञान बहुत कम है । मैं ने सुना है कि वह बंगला बोल सकते हैं । बंगला भाषा में 'अवहेलना' बहुत साधारण प्रचलन का शब्द है, परन्तु उस शब्द की भी उनको जानकारी नहीं थी । मुझे इसके लिए शिकायत नहीं है । मैं सच मुच हृदय से उनका आदर करता हूं, यह मैं आप से अपने हृदय की बात कहता हूं । लेकिन आदर होते हुए भी यह मेरा निवेदन है कि यह जो हिन्दी के चलाने का काम है यह उनकी शक्ति के बाहर है । तब क्या किया जाय ? वह शिक्षा मंत्री हैं । जो काम अब तक हम ने देखा उसमें तो उस विभाग में कोई चेतना नहीं दिखायी देती । मेरा निवेदन है कि या तो इस के लिए एक स्थायी आयोग कमीशन बना दिया जाए जिसके कामों में शिक्षा विभाग दखल न दे और जिस को हिन्दी का काम करने का पूरा अधिकार हो, या एक नयी मिनिस्ट्री बनायी जाय । जरूरत यह है कि बिल्कुल एक नयी मिनिस्ट्री बनायी जाय जो कि हिन्दी को चलाने के लिए.....

एक माननीय सदस्य : गोविन्द दास ।

श्री टंडन : मेरे दिमाग में कोई खास आदमी नहीं है । मुझे खुशी होगी अगर आप आकर के काम करें । लेकिन कोई ऐसा आदमी बनाया जाय जो कि इस काम को लग कर के करे और जिस में चेतनता हो ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि नया मंत्री आवश्यक है, तो पुराने को क्यों न हटा दिया जाए ?

श्री टंडन : तो मेरा निवेदन यह है कि यह विषय विचार करने का है । मैं आगे बढ़ता हूं । समय थोड़ा है ।

राष्ट्रपति के पास उर्दू का मसला आया है । मेरे सूबे के बारे में मांग आयी है कि वहां उर्दू एक क्षेत्री भाषा के रूप में स्वीकार की जाय, एक उर्दू की यूनीवरसिटी बनायी जाय जहां उर्दू में शिक्षण हो । उर्दू के माने केवल उर्दू शब्द नहीं हैं बल्कि उर्दू और फारसी लिपि है । सवाल लिपि का है । यही असली सवाल है । तो आज फारसी और अरबी लिपि का सपना हमारे भाई देखते हैं और आये हैं राष्ट्रपति के पास कि इस को जारी किया जाय । मुझ को ऐसा दिखलायी पड़ता है कि दिमाग गलत है । इस दिमाग में कुछ मुसलिम लीग के दिमाग की बू है । आज भी वह अपने को पूरा भारतीय मानते हुए भी इस देश का जो चलन है उसमें अपने को प्रविष्ट नहीं करना चाहते हैं । हमारे सामने किसी अलग कल्चर का सवाल नहीं है । एक भाई ने लखनऊ में कहा कि हमारा मुसलमानी कल्चर कुछ ईरानी है । हम को मौका

होना चाहिए कि हम उस के ग्रनुसार काम कर सकें, उर्दू के द्वारा। क्या ग्राज हमारे देश में इस तरह के दिमाग की ज़रूरत है ? यह सांप्रदायिकता है। मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं। मैं फारसी भी जानता हूं। मुझे फारसी में मज़ा ग्राता है। उर्दू में मुझे रुचि है लेकिन हमारे देश में क्या ग्राज इन भाषाग्रों पर ज़ोर देने की ग्रावश्यकता है, इस लिपि की ग्रावश्यकता है ? कैसा तमाशा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो ग्राज मुस्लिम लीग की हार हो रही है उस का बड़ा कारण यह है कि वह उर्दू जबान को बंगालियों के ऊपर लादना चाहती है। बंगाली उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे भी मुसलमान हैं। उर्दू सब मुसलमानों को मान्य हो, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहां के सभी रहने वाले जो मुसलमान हैं वे भी इस प्रश्न को उस रूप में, मुसलमानी रूप से, न बढ़ावें। मेरा निवेदन है कि यह जो ग्रनेक मांगें की गई हैं वे ज्यादातर गलत हैं। यह एक सही बात है कि ग्रगर कोई उर्दू पढ़ना चाहे तो उस के ऊपर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ग्रौर मैं जानता हूं कि इस बात के लिए हमारे सूबे की गवर्नमेंट ने पूरा मौक़ा दिया है। लेकिन यह कि हमारी ग्रलग उर्दू यूनिवर्सिटी बने, हम ग्ररबी लिपि में ग्रर्जियां दे सकें यह सब गलत मांगें हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की मांगों का साफ जवाब यही है कि वे मानने योग्य नहीं हैं।

हमारी मिनिस्ट्री ग्राज जो काम कर रही है उस के एक ग्राध कामों के बारे में भी मेरा कुछ निवेदन है कि जो जोर देना चाहिए राष्ट्रभाषा पर वह मिनिस्ट्री नहीं दे रही है ग्रौर जो काम कर भी रही है वह सही तरीके से नहीं कर रही है। ग्रभी उन की रिपोर्ट निकली है। उन्हों ने कहा है कि हमारा इरादा एक कोष बनाने का है। वह चाहते हैं कि कानसाइज़ आक्सफोर्ड डिक्शनरी का ग्रनुवाद हिन्दी में हो जावे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ६०,००० रुपया इस काम के लिए हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को देना स्वीकार किया गया है। मैं चाहता था कि शिक्षा मंत्री जी यहां होते ग्रौर मैं उन से पूछता कि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी ने ग्रब तक हिन्दी का जो काम किया है क्या उस का कुछ पता है ? मुमकिन है कि पता हो। लेकिन फिर भी उस की मदद करना उन को मंजूर है। इसी कोष, डिक्शनरी के काम को दूसरी संस्था ने, मशहूर संस्था ने, उठाया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस काम को कर रहा है। उस ने बहुत सा काम ग्रागे बढ़ाया है। उस ने शिक्षा विभाग से कहा कि हमारे कोष के लिए रुपया दीजिए। शिक्षा विभाग ने उन को इन्कार कर दिया। हिन्दुस्तान भर में इस संस्था का नाम प्रसिद्ध है कि इस ने हिन्दी को चलाने में खास हिस्सा लिया है लेकिन उस को इन्कार कर दिया गया। यहां से उस संस्था के पास खत गया कि तुम इस डिक्शनरी के काम को मत उठाग्रो। शायद यह खत इसी मतलब से भेजा गया कि वह काम हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी से लेना था। मेरा निवेदन है कि यह ६०,००० रुपये की बरबादी है। हमें मालूम है कि इसी संस्था की ग्रोर से संविधान का हिन्दुस्तानी में ग्रनुवाद हुग्रा है।

हिन्दुस्तानी में ग्रनुवाद हुग्रा, परन्तु वह ग्रनुवाद ग्राज किस काम में ग्रा रहा है ? कौन उस को उठा कर देखता है? हिन्दी वाले हिन्दी का संविधान देखते हैं, ग्रंग्रेजी वाले ग्रंग्रेजी का देखते हैं। हिन्दुस्तानी ग्रनुवाद के ऊपर जो बहुत सा रुपया खर्च हुग्रा, वह किस काम ग्राया ? तो यह कोष बनाने का जो काम है, ग्रगर मेरी ग्रावाज़ मन्त्री महोदय तक पहुंच सके तो मेरा नम्र निवेदन है कि इस में इस तरह से ग्राप रुपये को मत फेंकिये।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): बहुत कम रुपया है।

श्री टंडन : जी हां।

श्री एस० एस० मोरे : बरबाद करने के लिए ।

श्री टंडन : रुपया तो कोश के काम में आप लगायें, लेकिन यह काम उस को दीजिये जो कर सकता है, सम्मेलन है, नागरी प्रचारिणी सभा है, काशी की, यह संस्थाएं हैं जिन्हों ने इस काम को किया है और कर रही हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इस समय लगभग २२५ आदमी काम कर रहे हैं । वह सोसायटी जिस को आप ने काम दिया है कोई ठोस सी चीज़ नहीं है । मैं पूछूंगा कि क्या उस सोसायटी में दस आदमी भी काम करने वाले हैं ? आज आप के रुपये से वह आदमी रख लें तो दूसरी बात है । मुझे उस संस्था का विरोध नहीं करना है, पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारा रुपया ठीक काम में लगना चाहिये ।

मुझे एक बात और कहनी है और फिर मैं बैठ जाऊंगा । कुछ इधर हमारे शिक्षा विभाग ने एक फैशन सा निकाला है अकादमियों के खोलने का । एक नाच सीखने के लिये अकादमी खुली है, नाच और संगीत अकादमी । एक साहित्य अकादमी खुली है, अकादमी क्या है ?

आचार्य कृपालानी : एक आदमी ।

श्री टंडन : यह नया शब्द हम को शिक्षा विभाग ने दिया । तीसरी एक कला की अकादमी खुलने वाली है । हमारे भाई धीरे से कहते हैं कि यह शब्द पुराना है । जी, हिन्दी में यह शब्द नया है, अंग्रेजी में पुराना है, उस का उच्चारण भी दूसरा है । हमारे यहां जो यह साहित्य और एकादमी, इन दो शब्दों का इस होली की ऋतु में विवाह कराने का यत्न है, ऐसे विवाह कुछ ऐसे पुरोहित कराया करते हैं, कुछ सरस्वती पुत्र होते हैं वे शब्दों का विवाह कराना जानते हैं । यह अनमेल शब्द मुझे उचित नहीं लगता । लेकिन शब्दों की बात छोड़ कर मेरा निवेदन यह है, गहरी दृष्टि से, संजीदगी से, कि इन चीज़ों के ऊपर रुपया बरबाद करना अच्छा नहीं । मैं इन में रुपयों की बरबादी देखता हूं, मैं साहित्य का भी प्रेमी हूं और शायद लोग न जानते हों कि संगीत का भी प्रेमी हूं । परन्तु इस तरह से संगीत और नाच की अकादमी, यह मुझे बेतुकी लगती है । लखनऊ में किसी समय ऐसी अकादमी, नाम उस का अकादमी नहीं था, वाजिद अली शाह ने भी खोल रखी थी ।

आचार्य कृपालानी : प्रत्येक युग के वाजिद अली शाह होते हैं ।

श्री टंडन : कैसरबाग आज भी उस की याद दिलाता है । लेकिन उन का जो मुख्य घर था उस में आज हमारी गवर्नमेंट ने अकलमन्दी कर के एक विज्ञान का घर खोल दिया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन यह है कि हमारे सामने बहुत गहरे काम हैं । हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने हमारा ध्यान खींचा है कि आज हमारे देश की स्थिति गंभीर है । तो एक तरफ़ तो हमारी यह स्थिति रहे और दूसरी तरफ़ हम नाच और गाने के ऊपर विशेष ध्यान दें और रुपया लगायें, मुझे यह ठीक नहीं लगता ।

मेरा यह निवेदन है कि ऐसे प्रयत्नों में पैसा न लगे, अच्छे कामों में लगे । शिक्षा विभाग के लिए आवश्यकता यह है कि वह राष्ट्रीयता की तरफ़ ध्यान दे और राष्ट्रभाषाको मदद दे । यह साहित्य अकादमी जो बनी है, उसके विषय में एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं । मुझ को तो ऐसा लगता है कि हिन्दी को कुछ खिसका देने का असर इस के भीतर है । चौदह भाषाओं का यह एक संगम है, मैं अकादमी से संगम शब्द अच्छा समझता हूं, १४ भाषाओं का यह एक साहित्य संगम है । सब भाषाओं की हमें आवश्यकता है । हम उन को मदद दें, लेकिन

यहां हम क्या मदद देंगे । आवश्यकता यह थी कि अपने अपने राज्यों में उन को मदद दी जाय, उन को हम कुछ अनुदान ग्रांट्स दें । मगर यहां पर इस साहित्य संगम से उन भाषाओं का भला होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । और उल्टी बात क्या रखी गयी कि १४ भाषाओं में एक हिन्दी है । पांच हजार रुपये का इनाम हिन्दी के लेखक को दिया जायगा । उन्हों ने कहा है कि हम हर एक भाषा के लेखक को पांच पांच हज़ार रुपया इनाम देंगे । पांच हजार रुपये का एक इनाम हिन्दी को मिल जायगा जो राष्ट्रभाषा है, जिस के बोलने वालों की आबादी भी इतनी अधिक है । पांच हज़ार रुपया उर्दू वालों को भी मिल जायगा । और पांच हजार रुपया दूसरी भाषाओं को भी मिल जायगा । यह क्या चीज़ है ? शायद उन की मंशा तो यह नहीं होगी, लेकिन जो इस का असर होगा वह यह है कि हिन्दी का स्थान जो राष्ट्रभाषा का है उस को शिक्षा विभाग नीचे उतारे । मैं इसीलिये निवेदन करता हूं कि आज आवश्यकता है कि एक स्वतंत्र आयोग बने जो हिन्दी की रक्षा करे और हिन्दी को प्रगति दे, या एक नयी मिनिस्ट्री बने जो केवल इस हिन्दी के काम को करे और जो बाक़ी ११ वर्ष बचे हैं इन के अन्दर हिन्दी को अच्छी तरह चला दे ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता था, परन्तु कुछेक माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यान में रखते हुए उन के प्रश्नों के बारे में कुछ भी न कहना अनुचित होगा । अतः मैं केवल दो एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालूंगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि सारा सदन इस बात से सहमत है कि देश की खाद्य स्थिति पहले से बहुत संतोषजनक है । इस बात के बावजूद कि हमने कुछ अधिक अनाज पैदा किया है, हम वर्तमान स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं । हमारा उद्देश्य न केवल पर्याप्त अनाज पैदा करना है अपितु इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि जनता को पेट भर के खाना मिले तथा उनका भली भांति निर्वाह हो । इस उद्देश्य पूर्ति के लिये हमें काफी लम्बे समय तक संघर्ष करना होगा और हम इस संघर्ष के लिये तैयार हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने एक बहुत ही संगत प्रश्न पूछा । वह हमसे सहमत है कि हम ने अधिक अनाज पैदा किया है परन्तु वह जानना चाहती हैं कि हमारे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कितना अधिक अनाज उत्पन्न हुआ है तथा अच्छे मौसम आदि के कारण कितना पैदा हुआ है । एक वर्ष हुआ जब कि हमने अधिक धान उगाने के लिये जोर का प्रचार शुरू किया । जाहिर है कि हमने इस समूची प्रणाली के अन्तर्गत कम से कम ढाई लाख एकड़ का क्षेत्र शामिल किया है और आंशिक रूप से यह प्रणाली लगभग ३० लाख एकड़ भूमि पर लागू की गई है । लगभग १२ राज्यों से इस सम्बन्ध में हमें सविस्तार आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे कि पता चलता है कि जहां जहां धान उगाने का जापानी तरीका प्रयोग में लाया गया है वहां वहां औसत में प्रत्येक एकड़ भूमि से १५, १६ मन अधिक चावल पैदा हुआ है । अतिशयोक्ति की सम्भावना को कम करने के लिये मैं इसे कुछ और भी कम करने के लिये तैयार हूं । यदि हम यह मान लें कि प्रति एकड़ भूमि से आधा टन अधिक चावल पैदा हुआ है तो ढाई लाख एकड़ से हमें १२५,००० टन अतिरिक्त पैदावार होती है । जहां तक अन्य तीस लाख एकड़ भूमि का सम्बन्ध है हम कम से कम अनुमान यह लगा सकते हैं कि प्रत्येक एकड़ की पैदावार में एक-चौथाई टन की वृद्धि हुई है । तो इस तरह से दोनों का अतिरिक्त उत्पादन पौने नौ

[डा० पी० एस० देशमुख]

लाख टन आ जाता है। यदि हम इस उत्पादन की कीमत वही लगा लें जिस पर कि हमने बर्मा से चावल खरीदा है तो यह लगभग ६० करोड़ रुपये आ जाता है। इसके अलावा कई लाख टन और अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। इस समय आंकड़े आदि उपलब्ध नहीं परन्तु यह बाद में उपलब्ध किये जायेंगे। इस अतिरिक्त उत्पादन का कारण छोटी छोटी सिंचाई परियोजनायें, अच्छा बीज, अच्छी खाद, उर्वरक का अधिक प्रयोग, कृषकों को उधार की सुविधायें, आदि आदि हैं।

दूसरा प्रश्न जिसकी ओर मैं उल्लेख करना चाहता हूं बर्मा के चावल का क्रय है। इसके बारे में तीन सवाल पूछ गये हैं। पहला सवाल यह पूछा गया है कि इसे आयात करने की आवश्यकता क्या थी। श्री गुरु-पादस्वामी हमारे प्राक्कलन से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मतानुसार उत्पादन २ करोड़ ३० लाख टन नहीं अपितु ३ करोड़ ४० लाख टन हुआ है।

श्री एस० एस० मोरे : वह बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े देने में आपको भी मात कर रहे हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी नीति सदा 'बचाव' की रही है। हमें मालूम है कि चावल का अधिक उत्पादन हुआ है और सम्भवतः हमें बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी हम जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, क्यों कि हमें मालूम है कि जनता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है जब कि देश में यह विचार फैल जाता है कि हमारे पास काफी स्टाक मौजूद नहीं। हमें मालूम है कि इस विचार के फैल जाने से सट्टेबाज क्या खेल खेलते हैं तथा कीमतें किस तरह से बढ़ जाती हैं। तो हम बचाव की नीति अपनाना चाहते हैं। यह न केवल अकाल आयोग की धारणा है अपितु अन्य आयोगों तथा समितियों की भी है कि देश में कम से कम दस लाख टन अनाज का रक्षित स्टाक मौजूद रहना चाहिये। यही कारण है कि हमने यह सौदा क्यों किया।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि हमने अधिक कीमत क्यों दी। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि हम ने अधिक कीमत नहीं दी है। यह कहना बिल्कुल गलत तथा ढोंग है कि कम कीमत के प्रस्ताव हमारे पास आये थे। एक महाशय ने इस उद्देश्य के लिये बर्मा जाने के केवल एक महीना पूर्व ही एक फर्म खोली तथा वह प्रत्येक मन पर चार आने कमीशन मांगता था। वह कभी अपने को भारतीय समाजवादी दल का नेता कहता था। परन्तु वापस आने पर जब उसके समाजवादी मित्रों ने उसका स्वागत नहीं किया तो वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना चाहता था।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : उसे कांग्रेस में शामिल कीजिये।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : क्या हम जानना चाहते हैं कि कौन हमारे पास आना चाहता था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि श्री गुरुपादस्वामी जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसके चक्कर में आ गया। मैं भी कई बार एसे लोगों का शिकार बन गया हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसा हूं।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि आप मेरे माननीय मित्र के भाषण को पढ़ लेंगे

तथा उस टिप्पण को भी देख लें जो कि लगभग सभी संसद् सदस्यों में वितरित की गई है, तो आप इन दोनों में ज्यादा अन्तर नहीं पायेंगे ।

यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हम किसी बड़े पूंजीपति का पैसा वसूल करने में दिलचस्पी रखते हैं । इस सौदे का किसी के पैसे की वसूली से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? हम पहली बार चावल आयात नहीं कर रहे हैं । यदि आप गत वर्षों के मूल्यों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ष के दाम निम्नतम हैं । मान लीजिये कि हमने किसी व्यक्ति के कम दामों पर चावल उपलब्ध करने के प्रस्ताव को ठुकरा भी दिया है, तो भी और देश थे जैसे कि ब्रिटेन आदि जो कि उसके इस प्रस्ताव से लाभ उठा सकते थे । वह देश अधिकांश रूप से वही कीमत चुकाने के लिये क्यों तय्यार हुए जो कि हमने दी है ।

यह कहना भी गलत है कि हमने आंखें मूंद कर बर्मा से सड़ा हुआ चावल खरीदा है । हमने बर्मा से अच्छा भक्षणीय चावल खरीदा है । हम ने इस के लिये मान दण्ड तथा किस्म आदि निश्चित किये हैं । यदि यह निश्चित मानदण्ड का होगा, तभी हम इसे आयात करेंगे अन्यथा नहीं । इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जांच पड़ताल होगी । मैं समझता हूं कि मैंने इन तीनो प्रश्नों का उत्तर दिया है ।

श्री ए० एम० टामस : (ऐरणाकुलम्) : क्या यह सत्य है कि गत वर्ष हम केवल ४० पौण्ड प्रति टन तक देने के लिये तैयार थे ? यदि यह सत्य है तो इस वर्ष अधिक कीमत पेश करने का कारण क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रस्ताव करने का यह अर्थ नहीं कि उसे मंजूर भी किया जायगा । ऐसे प्रस्तावों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये । वास्तव में हमारी कुछ आलोचना भी की गई जब कि हमने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति से चावल लेने के लिये तैयार हैं यदि वह इसे भारत लायगा तथा बेचेगा । कोई भी व्यक्ति बाहर से चावल आयात करने के लिय तैयार न हुआ । इस निकाय को भी हमने उनका अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया । और भी कई प्रसिद्ध फर्में थीं जिनका मूल्य कथन उस समय तक हमारे पास था जब तक कि हमने यह सौदा किया । उनमें से प्रत्येक की दर ५० पौंड से ऊपर तथा ६०, ७० पौंड के लगभग थी । ३४ अथवा ३५ पौंड की दर तो टूटे चावल के लिये बताई गई थी ; तथा हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नहीं, श्रीमान् ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि कोई व्यक्ति वह चावल प्राप्त कर सकता था जो कि हम खरीद रहे हैं तो वह निश्चित दर पर प्राप्त कर सकता था । वास्तव में दो एक फर्मों को पहले नुकसान भी पहुंच चुका है । मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि यह शिकायत पूर्णतः ग़लत तथा निराधार है । यह सौदा करते समय हमने देश तथा जनता के हित को अच्छी तरह ध्यान में रखा है ।

और भी कुछेक बातें हैं जो कि अधिक महत्व की नहीं । ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रश्न उठाया गया । भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् यह काम नहीं कर सकती है । यह तो गवेषणा का ही काम कर सकती है । इस ने इस काम के लिय एक योजना तैयार की है तथा यह इस पर ३५,०००

[डा० पी० एस० देशमुख]

रुपये खर्च करने के लिये तैयार है किन्तु शर्त यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार खर्चे का ५० प्रतिशत भाग दे ।

मेरे मित्र डा० खरे के कथन के सम्बन्ध में मैंने उसी समय कहा है कि बर्मा के चावल खरीदने के सम्बन्ध में जो सौदा किया गया है उस से जनता को और अधिक सुविधा मिलेगी तथा मुनाफाखोरों को लज्जित होना पड़ेगा ।

बम्बई से आये दो माननीय सदस्यों ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार जो ऋण आदि देती है उसे उनके सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिये कि क्या उनको उचित रूप से उपयोग में लाया जाता है । केन्द्रीय सरकार को ऐसा करना सम्भव नहीं और न ही राज्य सरकारें यह बात पसंद करेंगी । हम निस्संदेह इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि योजनायें ठीक तरह से तैयार की गई हैं तथा उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पशु-संवर्धन तथा दूध का प्रदाय बढ़ाने का प्रश्न उठाया । हम उनके कथन से पूर्णतया सहमत हैं । उन्हें मालूम है कि सरकार की भी यही कोशिश है । वास्तव में पशु-संवर्धन का काम किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं । इस में समय लगेगा । कुछ भी हो मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि इस सम्बन्ध में सुधार की गुंजाइश है ।

श्री सोमना ने बताया कि छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । गत वर्ष से सरकार ऐसा ही कर रही है । राज्यों को छोटे छोटे सिंचाई कार्यों के लिये अर्थ सहायता दी गई है । हजारों कुंओं, तालाबों, बांधों आदि के लिये भी अर्थ सहायता दी गई है ।

श्रीमती मणिबेन पटेल ने शिकायत की है कि चीनी उत्पादन संतोषजनक नहीं तथा सरकार द्वारा और अधिक चीनी कारखाने खोलने की अनुमति दी जानी चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह सुझाव पहले ही मान चुकी है । वह इस सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिये भी तैयार है । परन्तु हमें यह बात समझनी चाहिये कि उन क्षेत्रों में और अधिक फैक्टरियां खोलने का कोई लाभ नहीं जहां कि गन्ने की कमी है । इस लिये हम उन्हीं क्षेत्रों में फैक्टरियां खोलने की अनुमति देने के लिये तैयार हैं जहां कि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत अधिक है । गन्ना समिति तथा अन्य गवेषणा समितियों की कोशिशों के बावजूद गन्ने के सुधार आदि के काम में प्रगति नहीं हुई है । कुछ भी हो हमारी कोशिशें जारी हैं तथा आशा है कि अगले वर्ष तक हमें कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कि अवश्य ही ध्यान दिया जायगा ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिमजातियां) : श्रीमान्, बजट के सम्बन्ध में बोलने के पूर्व मैं उन दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय शब्दों की ओर निर्देश करूंगा जो पश्चिमी बंगाल के अनुभवी और सुलझे हुए कांग्रेसी नेता श्री अतुल्य घोष के अधरों से मुखरित हुए हैं । उन्होंने बिहार के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं पर मानभूम में जनता पर अत्याचार करने के आरोप लगाते हुए उग्र शब्दावली का प्रयोग किया । उनकी शिकायतों में कुछ भी सार हो लेकिन समूचे राज्य पर आरोप लगाना अनुचित है । मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं क्योंकि बंगाली समाचार पत्र

मानभूम के जिला अधिकारियों अथवा सत्ता में मदान्ध बिहार के कांग्रेसियों की थोड़ी सी भूल का बवण्डर बना देते हैं। जहां तक दक्षिण बिहार के व्यक्तियों का सम्बन्ध है वह कभी भी बंगालियों के विरुद्ध नहीं हैं और देश की अत्यधिक समृद्धिशील भाषा,—बंगाली के प्रति वहां कोई दुराव नहीं है। बंगाल के माननीय मित्र यदि हम से किसी सहानुभूति की आशा रखते हैं तो उन्हें सदैव सावधानी के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिये। यही बात मुझे उड़ीसा के मित्रों से भी कहना है।

बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए मैं कह दूं कि जीवन भर मुझे घाटे की वित्त व्यवस्था से काम पड़ा है। मैं इसका आदी हूं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण अत्यन्त सावधानी और चतुरता के साथ करना चाहिये अन्यथा यह देश के लिये भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देगा। वित्त मंत्री भाषा के प्रयोग में अत्यंत कुशल हैं। मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि भारत के उस राज्य से आया हुआ एक अनुभवी सिविल पदाधिकारी—जिसका आदिवासियों की आबादी की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है लाखों आदिम लोगों के लिये उचित रकम का उपबंध नहीं कर सका है। वह कहते हैं :

> "मेरा विचार है कि मैं सत्यता के साथ यह कहने का अधिकारी हूं कि आगामी वर्षों में खर्च की वृद्धि, अनुमोदित योजना के तदनुरुप, अधिकांशत: विकास कार्यों पर ही है।"

पंच वर्षीय योजना में बड़े मनोयोग से ढूंढ़ने पर भी इन पांच बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला, शिक्षा सम्बन्धी तथा व्यवसाय प्रशिक्षण परियोजनाएं, सड़कें और यातायात, सामाजिक सेवा परियोजनाएं, आर्थिक उन्नति की परियोजनाएं और प्रशासन सेवा का सुधार। मैं सरकार से और विशेष रूप से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अनुच्छेद २७५ और ३३९ को कार्यान्वित किया है। अनुच्छेद ३३९ के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह योजनाओं को क्रियात्मक रूप देने के लिये राज्यों को निदेश जारी करे। मैं हर वर्ष सरकार से यह जानकारी देने के लिये कहता हूं लेकिन अभी तक मुझे मूर्त उत्तर नहीं मिला है। हमसे बार बार कहा जाता है कि पिछड़ी जाति के लोगों से सम्बंधित काम उलझा हुआ और जटिल है। हमसे यह भी कहा जाता है कि प्रशासन सेवा को सुधार कर उसका पुनर्संगठन करना आवश्यक है। मुझे स्मरण है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी संवर्ग बनाया गया है। निस्संदेह ही यह उत्कृष्ट कार्य है। लेकिन क्या इसका अभिप्राय यह है कि आदिम लोग केवल उत्तर-पूर्वी सीमान्त में ही बसते हैं। एजेंसी के विषय में भी मेरे मित्र ने बताया कि एक भी आदिम जाति के व्यक्ति को अवसर नहीं दिया गया है। क्या सरकारी पक्ष का एक भी सदस्य यह कह सकता है कि इन स्थानों पर योग्यता पूर्वक काम करने वाले ग्रेजुएट आसाम की आदिम जाति में नहीं हैं। गत वर्ष जब पूर्वी खण्ड के लिये एक सहायक आयुक्त की नियुक्ति का प्रश्न उठा तो आदिम जाति के समस्त अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिये गये। लगता है जैसे ग़ैर आदिमजाति वाले ही आदिम जाति की समस्याएं हल करने में समर्थ हैं। प्रधान मंत्री सदन में और सदन के बाहर, बार बार कहते हैं कि सही ढंग से काम होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि यह किस तरह सही ढंग है।

मैं श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के इस विचार का समर्थन करता हूं कि यह बात कदापि

[श्री जयपाल सिंह]

सदन के लिये शोभनीय नहीं है कि किसी ऐसे विषय की चर्चा के समय, जिसमें सभी मंत्रालयों की आलोचना करना है, अधिकांश मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मेरा मत है कि एक रीति विशेष निर्धारित की जानी चाहिये ताकि हमें --ग़ैर-शासकीय सदस्यों को अपने समय से हाथ न धोना पड़े। मैं दृढ़तापूर्वक आग्रह करूंगा कि सदन में प्रत्येक सदस्य द्वारा कही गई बात को सुनने के लिये मंत्रियों, उपमंत्रियों और उनके समर्थकों को यहां रहना चाहिये। यह परिपाटी स्वस्थ सिद्ध होगी।

एक और बात से निराशा हुई है। मुझे आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री मंत्रालयों के पुनर्संगठन की कोई योजना प्रस्तुत करते। पुराने ज़माने में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत होती थी। अब 'भूमि' तो गायब हो गई और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये अलग अलग मंत्रालय बन गये। विभागों का वैज्ञानिक वितरण नहीं किया गया है। वित्त मंत्री के समक्ष इस बात पर भी ज़ोर देना है कि वह इस बात पर पूरा ध्यान रखें कि रुपयों का व्यय किस भांति होता है। दामोदर घाटी निगम अथवा हीराकुड या ऐसी ही अन्य किसी योजना में करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाने के बाद इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही की जाती है। यह सुखदायी नहीं है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को मदद देने के विषय पर बहुत सदस्यों ने कहा है। मुझे आश्चर्य है कि सदन के नेता द्वारा बड़े धीमे से इसका विरोध करने पर इस देश में किस कद्र मनोवैज्ञानिक वातावरण उपस्थित हो गया है। माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में पहले ही व्यक्त कर दिया है कि देश की सुरक्षा किसी भी भांति ख़तरे में नहीं है। हम पर्याप्त सशक्त हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान अथवा अमरीका या स्वयं अपनी ही ओर जो अमैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपना लिया है हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। हमारे यहां भी तो अंधमहासागर के पार से वृहद् परिमाण में सहायता आ रही है। क्या हम इसे भूल जाते हैं? क्या हम ईमानदारी पूर्वक यह कह सकते हैं कि हमने सैनिक स्वरूप वाली कैसी भी सहायता प्राप्त नहीं की है? मतलब की बात तो केवल यह है कि हमारे देश की सुरक्षा अखंडित है अथवा नहीं। वित्त मंत्री का कथन है कि देश की सुरक्षा ख़तरे में नहीं है। आप भी तो सहायता ग्रहण कर रहे हैं और दूसरों द्वारा तनिक सी सहायता प्राप्त करने पर आप विचलित हो रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री जयपाल सिंह : मैं इस बात को उचित नहीं ठहराता हूं कि उन्हें सहायता मिलनी चाहिये। उन्हें सहायता लेने दो। लेकिन कतिपय उद्गारों द्वारा इस देश में एक विशेष प्रकार का जो वातावरण बल पकड़ रहा है वह एक स्वस्थ लक्षण नहीं है। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : वित्त मंत्री का विचार है कि देश की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हम सही मार्ग पर हैं। ऐसे ही विचार श्री एस० एन० अग्रवाल द्वारा प्रकट किये गये हैं। त्रावणकोर कुचीन की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नारियल की जटा के उद्योग से सम्बन्धित मजदूरों से उनकी सहानुभूति है तथा मजदूरों को अपनी इच्छानुसार मत देने का अधिकार है। लगता है कि कांग्रेस के सात वर्ष के शासनकाल

और योजना के तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी जनता को द्रव्य तथा लाभ के रूप में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उन्हें केवल मताधिकार की प्राप्ति से ही संतुष्ट होना है। वित्त मंत्री और उनका समर्थन करने वाले दल के अनेक सदस्यों द्वारा इस तरह का दृष्किोण अपना लेना खतरनाक है।

हमारे वित्त मंत्री इस बात के प्रतिपादन का प्रयत्न करते हैं कि हमारे देश का औद्योगिक उत्पाद बढ़ गया है। उस दिन पश्चिमी बंगाल के मिल मालिक संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि राज्य की सोलह मिलों में से केवल चार मिल ही कार्य चालू रख सकने की स्थिति में हैं। यह वित्त मंत्री का मापदण्ड है। हमारी इच्छा है कि हमें सूती कपड़े का निर्यात बाजार मिले। लेकिन जापान के इस क्षेत्र में पदार्पण करने पर क्या स्थिति होगी? मशीनों के औजार बनाने वाले उद्योग के सम्बंध में भी यही बात है। एक दो एककों में अथवा किन्हीं विशिष्ट उद्योगों में उत्पादन बढ़ जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी अर्थ व्यवस्था उन्नत स्तर पर है। बिजली के पंखों और डीज़ल एञ्जिनों के उद्योग में उत्पादन वृद्धि अवश्य हुई है लेकिन इसके साथ ही उक्त उद्योगों की शिकायत है कि उन्हें अपने सामान के लिये बाजार नहीं मिल रहा है। विद्युत शक्ति के आंकड़ों के सम्बंध में मंत्री को गर्व है लेकिन उक्त शक्ति का केवल १८ या २० प्रतिशत भाग ही उपभोग में लाया जा सका है।

विदेशी व्यापार के सम्बंध में भी यही बात है। हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के आयात मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि हो गई है तथा जिन वस्तुओं को हम बाहर भेजते है उनकी कीमतों में २६ प्रतिशत कमी हो गई है। यदि आप प्रत्यक्ष लाभ के रूप में बात करें तो निर्यात व्यापार में हमें हानि हो रही है। देश में मशीनों और तैयार किये गये सामान की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यकता है लेकिन इन वस्तुओं के आयात में कमी हो रही है। इसके विपरीत सरकार की नीति बिजली के सामान को यहां आने देने में वृद्धि करने की रही है। और परिणामस्वरूप स्वदेशी निर्माताओं को हानि हो रही है। निर्यात-आयात व्यापार में विदेशियों का प्रभुत्व है। केवल ३० प्रतिशत पूंजी का सम्भरण भारतीयों द्वारा किया गया है।

जिस देश की सरकार यह कहती है कि वहां औद्योगिक उत्पादन में प्रगति है तो हम आशा करते हैं कि वहां रोजगारी के अनेक क्षेत्र प्रकट होंगे। लेकिन भारत में श्रमिक वर्ग का जीवन देशनांक अस्थिर है। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है लेकिन मूल्य भी थोड़ा बढ़ा है। बेरोजगारी के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। वित्त मंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि विदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में २५ लाख से कम व्यक्ति बेरोजगार नहीं हैं। यद्यपि योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं फिर भी हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों से सहसा ही लोगों को पृथक कर दिया जाता है। कलकत्ता में बारह वर्ष की सेवा वाले ४० स्टेशनरी श्रमिकों को केवल एक दिन का नोटिस देकर अलग कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल के खाद्य विभाग से अनेक युवक कर्मचारियों को भी इसी प्रकार अलग किया जा चुका है। ऐसी है हमारी अर्थ-व्यवस्था जिस पर वित्त मंत्री गर्व करते हैं। कलकत्ता के चाय व्यवसाय में ६००० व्यक्ति और कागज़ उद्योग में हजार व्यक्ति बेकार हैं। जहां तक पूंजी विनियोग का सम्बंध है खास

[श्री के० के० बसु]

खास उद्योगों ने एक वर्ष में लगभग १७ करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है, ६८ करोड़ रुपये की रक्षित निधि जमा की है और ११ करोड़ रुपये लाभांश के रूप में दिये हैं। वित्त मंत्री ने अभी उस दिन बताया था कि विदेशी मुनाफ़े की रक़म १५० करोड़ रुपये है। सरकार और विदेशी समवाय परस्पर मिलकर देश के आर्थिक विकास के लिये रक्षित निधि का उपयोग क्यों नहीं करते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अब दूसरे सदस्य का नाम पुकारना पड़ेगा। माननीय सदस्यों को अनेक अवसर मिलेंगे।

श्री के० के० बसु: मुझे थोड़ा सा और समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, और समय नहीं मिल सकता।

श्री नम्बियार: उन्हें वह परिच्छेद समाप्त करने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को और भी कई अवसर मिलेंगे। मैं ने माननीय सदस्य से भाषण समाप्त करने को कहा था, और उन्हें बहुत समय पहले ऐसा करना चाहिये था। मैं उन्हें फिर कभी बोलने का समय दूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी: (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): उन्हें अपना तर्क सुनाने तो दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने चार मिनट पहले उन्हें भाषण बन्द करने को कहा था। बन्द करने के बजाय वे तर्क देते चले जा रहे हैं। भविष्य में मैं इस सम्बन्ध में बहुत ही कठोर रहूंगा।

श्री कजरोलकर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं दो विषयों पर बोलना चाहता हूं, एक तो हरिजनों के बारे में और दूसरे अन्धों के विषय में। १९५४-५५ के बजट में वित्त मंत्री ने जो रकम शिडयल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए रखी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए एक कमीशन बनाया गया है। शिड्युल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए शिक्षा आदि के लिए जो सुविधायें दी गयी हैं वही बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो हमारी शिक्षा के लिए, अर्थात् शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रकम रखी गयी है वह कम है। तो कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया और रखना चाहिए। इससे बैकवर्ड कम्युनिटी को भी फायदा होगा। उनमें जागृति आ गई है।

सरविसेज़ के बारे में हमारे लिये जो रिज़र्वेशन दिया गया है लेकिन जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है।

अनटचेबिलिटी रिमूवल बिल पेश किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन सन् १९५३ में जो वित्त मंत्री ने अनटचेबिलिटी रिमूवल प्रोपेगेंडा के लिए ५० लाख रुपया रखा था उसका उपयोग संस्थाओं ने और स्टेट गवर्नमेंट्स से नहीं किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो यह ५०,००,००० रुपये की ग्रांट थी यह संस्थाओं के हाथ में अभी तक नहीं आयी और आप जानते हैं कि यह ग्रांट मार्च के अन्त में खत्म हो जायगी।

तो मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगले साल में वह जो ग्रांट बढ़ाना चाहते हैं तो वह अप्रैल से ही शुरू होनी चाहिये। नहीं तो संस्था ने जो यह प्रचार का काम हाथ में लिया है, उस के लिये जो

पैसा खर्चा होता है वह वस्ट हो जायगा । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री इस के बारे में कुछ वचन दें ।

दूसरी बात यह है कि हरिजनों/समस्या के बारे में मैं जहां जहां गया था वहां वहां हरिजनों के लिये पानी के बारे में और ज़मीन के बारे में देखा कि उन की हालत बहुत ही खराब है । बहुत से गांवों में एसी हालत है कि जानवरों के लिए तो अच्छा पानी मिलता है लेकिन हरिजनों को अच्छा पानी नहीं मिल पाता है । यह बात सच है कि गवर्नमेंट कुछ प्रयत्न कर रही है, लेकिन वह प्रयत्न बहुत ही कम है । तो गवर्नमेंट को चाहियें कि इस बात का प्रबन्ध करे कि हरिजन भाइयों को स्वच्छ पानी मिले । पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होना चाहिये ।

ज़मीन के बारे में वेस्ट लैंड के लिये गवर्नमेंट की तो नीति है कि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट लैंड हरिजनों को दी जाय । लेकिन इस का उन को लाभ नहीं मिलता है । अगर कोई कलैक्टर के पास अरज़ी दे तो कलैक्टर बोलता है कि तुम को अफसर के पास जाना चाहिये । जब अफसर के पास जाता है तो अफसर रिकमैंड करता है, लेकिन फिर बाद में कहता है कि जानवरों के लिये चारे के लिये कहां ज़मीन रहेगी । तो हरिजनों के लिये तो ज़मीन नहीं मिल सकती, लेकिन जानवरों के लिये वह ज़मीन रखी जाती है । इस तरह से जानवरों के लिये तो वह लोग प्रेम रखते हैं, लेकिन आदमियों के लिये प्रेम नहीं रखते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जो वेस्ट लैंड है और कल्टीवेबुल लैंड है, वह हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिये ।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज का प्रश्न इतना बड़ा है कि इस के लिये एक सैपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये । लेकिन आज तक उस की ओर ध्यान नहीं दिया गया । शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर तो लिया गया है, लेकिन उन के पास पावर्स नहीं है । वह खाली रिकमैंड करते हैं । हम जब उन के पास जाते हैं और कहते हैं तो वह कमिश्नर कहते हैं कि हम क्या करें, हम ने तो इस स्टेट को लिखा है, उस को बोला है, लेकिन वह सुनते ही नहीं तो क्या करें । तो इस के लिये अमल भी होना चाहिये, काम भी होना चाहिये । हम को जो दस वर्ष के लिये स्पेशल फैसीलिटीज़ हैं, उन में से तीन वर्ष तो निकल गये । अब सिर्फ़ सात वर्ष हैं और इन सात वर्ष के अन्दर हमारी सब कठिनाइयों को निकालना है । इसलिये गवर्नमेंट की इस के लिये सदेच्छा हो तो इस काम के लिये ज़रूर प्रगति होनी चाहिये ।

साथ ही इस शेड्यूल्ड क्लास कमिश्नर के साथ एक ऐसी कमेटी भी होनी चाहिये कि जिस में आफिशियल्स और नान-आफीशियल्स दोनों हों और जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज़ के मामले को देख सकें ।

अब मैं अन्धों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में क़रीब क़रीब २० लाख अन्धे हैं । इन बीस लाख अन्धों के लिये सारे हिन्दुस्तान के अन्दर, सभी स्टेटों को मिला कर, केवल ४० संस्थाएं काम करती हैं । गवर्नमेंट की एक संस्था है जो देहरादून में है । उस के ऊपर बहुत काफी पैसा खर्चा होता है, लेकिन उस का फायदा बहुत सी स्टेटों को नहीं मिलता है, और अन्धों को भी नहीं मिलता है । आप जानते हैं कि एक मिश्र को छोड़ कर भारत में अन्धों की सब से अधिक संख्या है । ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका में प्रति १ लाख व्यक्ति १७५ अन्धे हैं, आस्ट्रेलिया

[श्री कजरोलकर]

में ६६, बल्गेरिया और इटली में ५७, जर्मनी में ६०, और बेल्जियम में ४३ अन्धे हैं जब कि भारत में प्रति लाख जन संख्या में ५०० अंधे हैं। अध्यक्ष पद की ओर पूरे सम्मान से मैं यह बताना चाहता हूं कि अब सरकार अन्धों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले और इन को समाज का एक उपयोगी अंग बनाये। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत में, विशेषतः भारत के गांवों में, अंधों की जनगणना हो, और प्रत्येक गांव में एक एक अस्पताल के साथ आंखों का अस्पताल खोला जाय। आंखों के इन अस्पतालों को पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिए, और अधिक अनुदान मिलने चाहिए। सरकार को प्रत्येक राज्य में अन्धों के उपचार के लिये एक परिषद् बनाना चाहिए और बम्बई की राष्ट्रीय अन्धों की संस्था को स्वीकृति देनी चाहिए। भिन्न भिन्न ग्रामों से आने वाले अन्धों को इसी बात से कल्याण होगा कि उन्हें तरह तरह की प्रशिक्षा दी जाय और बाद में उन्हें काम दिया जाय। बम्बई के औद्योगिक अंध गृह की रिपोर्टों से पता चलता है कि अन्धों को जो भी काम सिखाया जाय उसे वे बहुत ही संतोषपूर्ण ढंग से किया करते हैं। आपको याद होगा कि विगत पक्ष में जब बम्बई की एक गाने बजाने वाली पार्टी यहां दिल्ली आई थी, तो उनकी कला को देखकर यहां कितनी धूम मची थी। उन में से कई ऐसे थे जिन को आल इण्डिया रेडियो में लिया जा सकता था। इसी प्रकार ये अन्धे अध्यापक, गीतकार, गट्ठे बांधने वाले, सफाई करने वाले, टाइप करने वाले, टेलीफोन संचालक, जुलाहे, जिल्द साज़, आदि भी बन सकते हैं। मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि वह सरकारी और असरकारी क्षेत्रों में अन्धों को नौकरी दिलाने के लिए कुछ प्रतिशत जगहों को खाली रखा करे।

रेलों पर अन्धों के साथ रहने वाले आंखों वालों को रियायती टिकट मिलते हैं, लेकिन अंधों को नहीं मिलते। इसके लिए मैं वित्त मंत्री द्वारा रेल मंत्री से इस बात को प्रार्थना करूंगा कि चाहे अंधे के साथ कोई हो या न हो, स्वयं उसको रियायत दी जानी चाहिये। आप देख लेंगे कि अन्धे प्रायः बिना किसी के सहारे यात्रा किया करते हैं।

अंधों की संस्था के अन्दर जो लोग अवैतनिक काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये फेलोशिप के स्कालरशिप उनको देना चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूं।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने वित्त मंत्री पर बड़ी दया आती है, जब मैं यहां देखता हूं कि इस पूरे हाउस के अन्दर चारों तरफ़ से सभी भाई आपके बजट का क्रिटिसिज्म करते हैं, सिवाय दो, चार मेम्बरों के किसी सदस्य ने भी आपके इस बजट की कोई तारीफ़ नहीं की है, इसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, बजट आजकल कोई मामूली बात नहीं है, बजट एक तरीके का शीशा है जिसके अन्दर हम को गवर्नमेंट की पालिसी का पता चलता है कि गवर्नमेंट किस पालिसी से काम कर रही है। इस बजट को देख कर हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ने जो काम उस को पांच साला योजना को सफल बनाने के लिये करना चाहिये था उसको पूरा नहीं किया है। स्वयं वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में हम को बतलाया कि सन् ५३ के अन्दर हमारे देश में बेकारी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। आप को मालूम है कि हामारा जो पांच साला प्लान है यह वित्त मंत्री जी का ही बनाया हुआ है, आप ही उसके मेम्बर थे। बड़े २ और मोटे २ वाल्यूम बना कर वह

पांच साला प्लान हम को दिया गया, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, लेकिन उस प्लान के मुताबिक़ न तो फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम किया और न कामर्स मिनिस्ट्री ने ही काम किया और न गवर्नमेंट के अफ़सरान ने ही काम किया । मेरे हाथ में जो काग़ज़ात हैं ये काग़ज़ात गवर्नमेंट के भेजे हुए हैं किसी अख़बार के कागज़ात नहीं, किसी रासता चलते के कागज़ात नहीं हैं । उनमें हम क्या देखते हैं ? यह प्राग्रेस आफ फाईव ईयर प्लान की रिपोर्ट है । इस के अन्दर हमें क्या बताया गया है ? फ़र्स्ट फ़ाईव ईयर प्लान में कमीशन ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि हमारे देश में बेकारी दूर करने के लिए कौटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ज्यादा ज़ोर दिया जाय । सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च के लिये १५ करोड़ रुपये रक्खे गये थे कि वह इस काम पर ख़र्च करे, लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार ने तीन साल के अन्दर पचास लाख रुपये से ज्यादा ख़र्च नहीं किया है । कहां पन्द्रह करोड़ रुपया और कहां पचास लाख ? इसी के साथ २ इसमें आगे लिखा है कि वह क्या कारण हुआ कि जो इस रुपये को ख़र्च नहीं किया जा सका । खुद यह रिपोर्ट बताती है कि जो उसको तीन बोर्ड बनाना चाहिए थे वह बोर्ड देर से बनाय गये, आल इंडिया खादी बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड । ये बोर्ड क्यों नहीं बनाये गये ? इसके लिये खुद गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, क्यों उन्होंने इनके बनाने में देर की ? जनवरी सन् १९५३ में हमने एक आल इंडिया खादी बोर्ड बनाया, उसने काम शुरू किया और जब उसने अपनी तजवीज़ें रक्खीं तो फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें रोड़ा अटकाया और उसके लिये रुपया मंजूर नहीं किया था । इस रिपोर्ट में लिखा है :

बोर्ड को वित्तीय तथा अन्य स्वीकृति प्राप्त करने में कई प्रकार की कठिनाइयां हुईं ।

यह है फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम, ऐसी दशा में आल इंडिया खादी बोर्ड किस तरह से अपने काम को चला सकता था । इसी के साथ हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब मिलों के ऊपर संकट आया और उनका कपड़ा नहीं बिका तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी छोड़ दी और दूसरी ओर रियायतें मिल वालों को दीं । कहीं ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स भूखे न मर जायं । लेकिन जब हैंडलूम पर काम करने वालों पर संकट आया तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में कामर्स मिनिस्ट्री या फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया ? उनको कोई रिआयतें या छूट दीं ? मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिये क्या प्रबन्ध किया? जब ऐसा कोई कार्य नहीं किया तब ऐसी दशा में बेकारी बढ़ना अनिवार्य ही था ।

यह इतनी मोटी किताबें बजट के सम्बन्ध में हमें दी गयी हैं। वित्त मंत्री ने अंग्रेज़ी में ही तमाम लिटरेचर अपना बांटा है, मानों हिन्दी जानने वालों को इन से कोई काम नहीं लेना है; बजट की सब बातें अंग्रेज़ी जानने वाले ही जानते हैं, हिन्दी वालों को अंग्रेज़ी की किताब दी गयी है ताकि वह उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें । मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों है । आपको यह सब लिटरेचर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में देना चाहिये, जब तक कि अंग्रेज़ी यहां पर प्रचलित है । इसका रास्ता हम को हमारे प्रेसीडेंट साहब ने दिखा दिया है, उन्होंने अपना अभिभाषण हिन्दी में पढ़ा और उसके बाद अंग्रेज़ी में पढ़ा ताकि हिन्दी और अंग्रेजी जानने वाले दोनों इससे लाभ उठायें । आप

[श्री आर० डी० मिश्र]

तमाम लिटरेचर हिन्दी और अंग्रेजी में उस वक्त तक देते रहें जब तक कि अंग्रेज़ी भाषा इस देश की राजभाषा है। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि हिन्दी अब राजभाषा हो चुकी हैं, हिन्दी के प्रति अब उदासीनता का बर्ताव नहीं किया जा सकता है। क्या आप यह समझते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने वाले बजट सम्बन्धी मैथमेटिक्स या गणित अच्छी तरह जानते हैं और शेष जितने हिन्दी वाले हैं वह नहीं जानते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत से अंग्रेज़ी वाले बहुत ही क़ाबिल और होशियार हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हिन्दी वालों में भी कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी वालों को भी मात दे सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस लिटरेचर अर्थात् बजट सम्बन्धी साहित्य को आयन्दा हिन्दी में ज़रूर बांटा करें, क्योंकि यह हमारी पार्लियामेंट की भाषा और हमारे राष्ट्र की भाषा है। इसी के साथ मैं यह देखता हूं कि हमारे वित्त मंत्री साहब किस तरीक़े से काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि फाइनैंस डिपार्टमेंट जो उनका है वह इन को सब बातें बताता है, या नहीं। या वे स्वयं उससे अपने को अलग रखते हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिन्हें देख कर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि गवर्नमेंट चल कैसे रही है ? एक चीज़ सामने आई है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट हाउसिंग मिनिस्टर की तरफ से मुझे प्राप्त हुई है, उसमें यह लिखा है कि हाउसिंग के मामले में एक दिक्कत आ रही है और वह अपनी रिपोर्ट में इस तरह लिखते हैं :

मकानों की कमी का मुख्य वर्तमान कारण यह है कि निर्माण व्यय बहुत बढ़ा हुआ है, अतः सरकार को इसे घटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कम आय वाले लोग अपने लिए मकान की व्यवस्था आसानी से कर सकें। यह है एक मिनिस्टर की रिपोर्ट, लेकिन जब हमारे सामने बजट आता है तो हमको मालूम होता है कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सीमेंट पर पांच रुपया प्रति टन एक्साइज़ टैक्स लगा दिया ताकि बिल्डिंग मैटीरियल और ज्यादा क़ीमती हो जाय, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार गवर्नमेंट की क्या मंशा है ? एक तरफ गवनमेंट कहती है कि दर कम करो और दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि सीमेंट पर टैक्स बढ़ा दो, अब आप बतलाइये किस मिनिस्टर की बात मानें ?

हम इस चीज़ से बड़ी ग़लत पोज़ीशन में पड़ गये हैं, मैं अपनी गवर्नमट से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का परस्पर विरोधी लिटरेचर गवर्नमट की तरफ से हमारे पास नहीं आना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर तमाम मेम्बरान ने कर बढ़ाने की शिकायत की। अभी हमारे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी इसकी शिकायत की कि आपने बेकारी के दूर करने के लिये ग्राम उद्योगों में कोई तरक्की नहीं करी और हैंडलूम को कोई बढ़ावा नहीं दिया। जहां तक हम कांग्रेस वालों का ताल्लुक है हम तो खादी ख़रीदते ही हैं, खादी तो हमारी ज़िन्दगी से वावस्ता है, लेकिन जैसा अभी इस सदन के एक सदस्य ने बतलाया कि हमारे कामर्स मिनिस्टर ने यह कहा है कि अब खद्दर का राजनैतिक महत्व जाता रहा है, हम लोग इसको ठीक नहीं समझते, खद्दर का राजनैतिक महत्व नहीं जा सकता खद्दर का राजनैतिक महत्व यह है कि इसके पहनने वालों ने अंग्रेज़ों को इस देश से बिदा कर दिया और उनको बिदा करने के बाद देश की हुकूमत अपने हाथ में ले ली, यह महत्व ऐतिहासिक है और जब तक हिन्दुस्तान

रहेगा यह राजनैतिक महत्व इस देश में बाक़ी रहेगा । राजनैतिक महत्व के अलावा खद्दर का आर्थिक महत्व यह है कि अगर आप हैंडलूम और खादी को तरक्क़ी देंगे तो देश में बेरोज़गारी दूर होगी । खद्दर का सामाजिक महत्व यह है कि अगर आप खद्दर को अपनायेंगे तो यह जाति पांति और छुआछूत के जितने भेद हैं वह जल्द नष्ट हो जायेंगे, जितने खद्दरधारी हैं उन लोगों में यह ऊंचनीच, छुआछूत और जाति पांति का भेदभाव नहीं है, यह भेदभाव उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिन्होंने खद्दर को नहीं अपनाया है । इसलिये हमें खद्दर की महानता को समझ लेना चाहिये । अभी जब हमारे हिन्दू सभा के जनरल सेक्रेटरी साहब बोले तो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को मदद देने पर बोले और कहने लगे कि अमरीका कृष्ण जी हैं और अमरीका को कृष्ण जी मान कर हमें अर्जुन और दुर्योधन की तरह उसके सिरहाने और पैताने बैठ कर सहायता लेनी चाहिए । हिन्दू संस्कृति का नाम लेने वालों के लिये ऐसा कहना लज्जाजनक है, अमरीका को उनका कृष्ण बनाना शोभा नहीं देता । मैं तो कहूंगा कि भारत कृष्ण है, ऐशिया पांडव हैं और ये जितने यूरोपीय, पाश्चात्य राज्य हैं ये सब कौरव हैं ।

कौरवों को और पांडवों को कृष्ण के पास आना पड़ेगा । वह यह कहेंगे कि तुम हमारी तरफ रहो और फिर यह हमारी मर्जी है कि हम किस तरफ रहते हैं या किस तरफ नहीं रहते । कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था । उन्होंने पांडवों से कह दिया था कि मैं साथ रहूंगा जरूर मगर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा । भारत ने तो कृष्ण की ही निष्काम भावना पालिसी को अपना रखा है । इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि वह ऐसी बातें इस हाउस में न कहा करें । इतना कह कर मैं फिर वित्त मंत्री से कहता हूं कि आपके बजट और आपके तीन साल के काम की रिपोर्ट हमको प्रेसीडेंट साहब ने अपने एड्रेस में दी है और उन्होंने यह सरटीफिकेट इस गवर्नमेंट को दिया है :

हमारी सरकार कुटीर उद्योगों के विकास को विशेष महत्व देती है । किन्तु मुझे खेद है कि इस ओर प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । जब किसी अफसर को "नाट सैटिसफैक्टरी" का सरटीफिकेट दे दिया जाता है तो उसके बाद उसको उस जगह काम करने का हक नहीं रहता है । अगर आपके नीचे किसी अफसर को यह सरटीफिकेट दिया जाय कि उसका काम संतोषजनक नहीं है तो आप उसको निकाल देंगे । तो हमारे सामने प्रेसीडेंट की यह रिपोर्ट आती है कि फाइव इअर प्लान के काम को आपने आगे नहीं बढ़ाया है । मैं आपसे कहता हूं कि आपकी यह रिपोर्ट है कि आपने खद्दर और कुटीर धंधों की उन्नति के बारे में कोई काम नहीं किया है ।

इसके बाद मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि दूसरा सरटीफिकेट हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है । प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस गवर्नमेंट के कामों से खुश नहीं हैं । उन्होंने भी एक लेख लिखा है जो मार्च सन् ५४ के कुरुक्षेत्र में छपा है । उसमें उन्होंने लिखा है :

हमारी सबसे बड़ी कमी आत्म सन्तुष्टता है । हमारा प्रशासन विलम्ब से काम करता है, अतः जनता को चाहिए कि उस पर स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों द्वारा दबाव डालते रहें ।

इसलिये मुझे भी यह दबाव देना पड़ रहा है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को सारा काम प्लान के मुताबिक करना चाहिए । आपने ही प्लान बनाया है, आपने ही उसे छपाया है, आपने ही उसे मंजूर किया है, फिर कौनसी वजह है कि आप प्लान के मुताबिक काम नहीं करते हैं । क्यों

[श्री आर० डी० मिश्र]

आपने १५ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया ? ईस्टर्न इकानोमिस्ट के पढ़ने से मालूम हुआ कि इसकी जांच के लिए वन मैन कमेटी बनायी है। जब आपने इतनी कमेटियां बनायीं और काम नहीं हो पाया तो यह वन मैन कमेटी क्या काम करेगी ? मैं समझता हूं कि आप काबिल आदमी हैं, आप सब बातें जानते हैं।

मैं नहीं जानता अब वन मैन कमेटी क्या रिपोर्ट करेगी। इसलिए मेरा कहना है कि जो पंचवर्षीय प्लान बनाया गया है उसके अनुसार चलिए। इससे देश का अधिक से अधिक भला होगा।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं कुछ ही प्वाइंट आपके सामने अर्ज करूंगा। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया है कि जो भी उन्होंने दो साल में स्कीम में रुपया रखा था उसको स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से खर्च नहीं किया गया। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जिन स्टेटों के बारे में वह ये बात करते हैं उन स्टेटों का मंत्रिमंडल उनके और पार्टी के द्वारा संचालित होता है। ऐसी हालत में किसी अफसर को बहाल करके उसके कारण का पता लगाने की बनिस्बत यह अच्छा होता कि दूसरी कोई मैशिनरी आप उन स्टेटों में कायम करते जो कि विकास का काम करतीं क्योंकि इस काम को करने में मंत्रिमंडल नाकाबिल साबित हुए हैं। अगर आप उन मंत्रिमंडल को हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते तो उन सब जगहों में दूसरी मैशिनरी कायम कर सकते हैं जो कि विकास के काम को आगे बढ़ाये।

मैं सरकार की मजदूर नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। एक ज़माना था कि जब हिन्दुस्तान गुलाम था। और उस वक्त ब्रिटिश की हुकूमत थी। ब्रिटिश के सामने यह प्रश्न था कि उनको वार मटीरियल और दूसरे मटीरियल चाहिएं। उस समय उन्होंने मजदूरों के एकमात्र हथियार हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी प्रबन्ध कर दिया था कि मज़दूरों की जो मांगें हों उनको कानून के ज़रिये ट्राइबुनल के द्वारा दो महीने के अन्दर रफा कर दिया जाय और इस तरह की कोशिश भी उनकी होती थी। लेकिन जब स्वतन्त्रता आयी तो लड़ाई के ज़माने में जो हड़तालों पर प्रतिबन्ध रखा गया था उसको ढीला नहीं किया गया। वह वैसा ही जकड़ा रहा लेकिन मजदूरों की मांगों को जो दो मास में रफा करने की बात थी निश्चित समय में समझौता का जो कानून बनाया गया था उसको ढीला कर दिया गया यही कारण है कि आज मज़दूरों की मांगें वर्षों से खटाई में पड़ी हैं। आज एक अपीलेट ट्राइबुनल कायम करके उनकी तकलीफों को और भी बढ़ा दिया गया [redacted] है। मिल वालों के पास पैसा है। वह अपीलेट ट्राइबुनल के पास जाते हैं। मुकदमा-बाजी में मजदूरों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इससे मजदूर परेशान होते हैं। साथ ही साथ जो अपीलेट ट्राइबुनल बना है उसमें जजों का अभाव है जिसका नतीजा यह होता है कि दो दो साल तक उनके पास मुकदमे पड़े रहते हैं और कोई फैसला नहीं होता है। बहुत से मजदूर छांट दिये गये हैं, बहुत से ससपेंड पड़े हैं। उनके मुकद्दमे ट्राइबुनल के सामने हैं लेकिन उसको फुरसत नहीं कि उनके मुकदमों को देखे और इस तरह से जो दुर्दशा मजदूरों की हो रही है वह आप जानते हैं। कुछ दिन पहले जब यह नया मंत्रिमंडल नहीं बना था तो त्रिदलीय पार्टी की धूम मची हुई थी। सरकार की ओर से उस समय ट्राइबुनल थे। लेकिन लड़ाई के बाद मिल मालिकों के पास पैसा था, मजदूरों के संगठन

थे और वे मिल वालों से अपनी मांगें आसानी से मनवा सकते थे । उस समय सरकार ने कंसिलियेशन मशिनरी और एडजूडीकेशन मशिनरी बनायी और इस तरह जो मजदूरों की बारगेनिंग शक्ति थी उसका फायदा उनको नहीं उठाने दिया । लेकिन आज जब लड़ाई के बाद डिप्रेशन आ रहा है, बेकारी बढ़ रही है, मजदूरों की बारगेनिंग पावर घट गयी है तो सरकार की तरफ से एक नया नारा निकला है और उसमें कहा जाता है कि मिल मालिक और मज़दूर आपस में ही अपना झगड़ा तय करो ।

यह बात सही है कि मज़दूरों को अपने झगड़े अपने आप तय करने के लिये तैयार होना चाहिये और वे तैयार भी हैं । लेकिन सरकार को भी देखना चाहिये कि इस के पीछे कैसी पृष्ठ भूमि होनी चाहिये जिस से कि यह झगड़े खत्म हो सकें । अभी यूनियन के सम्बन्ध में एक ट्रेड यूनियन ऐक्ट बना हुआ है । लेकिन किस ट्रेड यूनियन को मिल मालिक रिकग्नाइज करें, किस को मंजूर करें या न करें, इसके विषय में कोई क़ानून बम्बई के अलावा और किसी जगह नहीं है । न सैंट्रल ऐक्ट में है, न कहीं और राज्य में है। ऐसी हालत में मिल मालिक आज क्या करते हैं ? वह अपनी तरफ़ से दस प्रतिशत या पांच प्रतिशत मजदूरों की यूनियन बनाते हैं और उनके साथ समझौता करते हैं । उन समझौतों को सरकार स्वीकृति देती है और कहती है कि बाई-पारटाइट ऐग्रीमेंट हुआ है अतः सभी मज़दूरों पर वह लागू होगा । मैं समझता हूं अगर सरकार चाहती है कि जो यह उन का नया स्लोगन, बाई पारटाइट ऐग्रीमेंट का नारा, सफल हो तो उसको जल्द से जल्द इस तरह की हालत को देखते हुए कोई क़ानून बनाना चाहिये, जिसमें कह दिया जाय कि किस तरह के यूनियन से समझौता मिले, किस तरह के यूनियन को स्वीकृति दी जाय ।

कल परसों की बात है कि बर्नपुर तथा और और जगहों का ज़िक्र किया गया कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है । लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि मजदूरों की ओर से नहीं, बल्कि मिल मालिकों की ओर से गो स्लो हो रहा है । जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक़ वह काम नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उतना कैपिटल भी नहीं लगा रहे हैं । वे स्ट्राइक पर हैं, वह गो स्लो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं । लेकिन आज मजदूरों के लिये ही स्ट्राइक का कानून है, मज़दूरों के लिये ही गो स्लो का क़ानून है । मज़दूरों के लिये ही प्राइम मिनिस्टर इत्यादि लैक्चर देते हैं कि प्रोडक्शन अधिक होना चाहिय उत्पादन अधिक होना चाहिये लेकिन इन मिल मालिकों के लिये गो स्लो के बारे में, इन मिल मालिकों के स्ट्राइक के बारे में कुछ नहीं कहते, उनके खिलाफ़ कोई भी क़ानून नहीं बनाते । उनके खिलाफ़ किसी तरह की बात नहीं होती है । मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिये भी उसी तरह का क़ानून होना चाहिये ।

मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार की ओर से जब कोई क़ानून बनता है, जब प्राइवेट सैक्टर के लिये कोई क़ानून बनाना चाहती है, तो मैं चाहता हूं कि उसको अपने कर्मचारियों को भी देखना चाहिये कि उन के कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है । हमारे फायनैन्स मिनिस्टर साहब बतलाते हैं कि सात वर्ष ही स्वतन्त्रता को हुए हैं । इस बीच में क्या किया जा सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सात वर्ष का समय जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गुज़रा है, इस बीच में आप अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते थे । अंग्रेज़ों ने नियम बनाये थे कि रिकाग्निशन आफ यूनियन किस तरह से होगा । उन लोगों ने कहा

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

था कि वे कोई डिमांड उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में फ़ैसला वे ही करेंगे। कोई भी मैशीनरी सरकारी नौकरों की तकलीफों को दूर करने के लिये अभी तक क़ायम नहीं की गयी। उनके कंडक्ट रूल्स वे ही आज तक बने हुए हैं, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में थे, जिनमें न उनको नागरिक स्वतन्त्रता है, न संगठन करने की स्वतन्त्रता है, न उनको अपनी मांगों को पूरा करने की ही सुविधा है। उनको वह स्वतन्त्रता भी नहीं है कि जो प्राइवेट सैक्टर के मजदूरों को है। मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द क़ानून बनाए या जल्द से जल्द ऐसी कोई मैशीनरी क़ायम करे जिसके द्वारा दो मिलिअन के क़रीब जो कर्मचारी काम करते हैं उनको राहत मिल सके और उनकी तकलीफ़ दूर हो सके।

यही मुझे आप से निवेदन करना था।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): आय व्ययक की इन प्रस्थापनाओं का एक मात्र आधार यह है कि फिर से सामान्य स्थिति पैदा की जाय। मेरे विचार में यह मूल धारणा ही ठीक नहीं है। जैसा कि हम देख चुके हैं १९५२ में मूल्यों में कमी हुई थी किन्तु १९५३ में फिर से मूल्य बढ़ गए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वित्त मंत्री ने यह मान लिया है कि यद्यपि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है तो भी बेकारी पहले से भी अधिक हो रही है किन्तु उन्होंने हमें इसका कोई हल नहीं बताया है। उन्होंने केवल योजना के कार्यान्वित हो जाने के पश्चात सारी स्थिति ठीक हो जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है। अन्त में निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि योजना उसी रूप में कार्यान्वित की जा सकेगी या नहीं, अभी इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इस के लिये न तो राज्यों ने अपना अंश दिया है और न जनता से ऋण प्राप्त हो सका है। ऐसी दशा में आशा यही की जाती है कि विदेशी सहायता का सहारा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली राशि पर भरोसा करना व्यर्थ ही होगा। योजना के लिये हमारे पास धन नहीं है और जितना है वह हम इस पर व्यय नहीं कर पा रहे हैं। इसी कठिनाई को हमें हल करना है। केवल अधिकारी की नियुक्ति करने से काम नहीं चल सकता जब तक कि प्रशासन को पंचवर्षीय योजना के आधार पर शीघ्रगामी नहीं बनाया जायगा।

पाकिस्तान से ९ करोड़ रुपये की जो राशि हमें मिलनी है उस पर तो हमें अभी निर्भर करना ही नहीं चाहिये और न आय-व्ययक में उसका उल्लेख ही किया जाना चाहिये था। हमारे वित्त मंत्री को यह विश्वास है कि यह ९ करोड़ रुपया हमें वहां से मिल ही जायगा किन्तु आयव्ययक में इस राशि की व्यवस्था करना उनकी भूल है क्योंकि पाकि-स्तान के आयव्ययक में इस प्रकार के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पाकिस्तान हमारे साथ जितना ही अशिष्टता का व्यवहार करता है, उतना ही हम पाकिस्तान पर विश्वास करते जाते हैं, मैं इसका कारण नहीं समझ पाता हूं।

यह कहा जाता है कि पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता मिलने से हमारे देश को खतरा हो सकता है और वह हमारा पक्का शत्रु बनता जा रहा है किन्तु हम उस ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल शान्ति, शान्ति कह देने से ही शान्ति नहीं

मिल जायगी । हमें तो युद्ध के लिये तैयार होना पड़ेगा और तभी यह समस्या हल हो सकेगी ।

क्या आपत्ति का सामना करने के लिये हमारी नैतिक शक्ति ही पर्याप्त होगी ? नहीं, कभी नहीं अतः यह विचार त्याग कर हमें भी युद्ध का सामना करने के लिये समुचित साधन जुटाने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि हमें अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़े । मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अमरीकी सैनिक सहायता प्राप्त कर कमज़ोर बनता जा रहा है और हम उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं । हमें अपने को यह कह कर धोखा नहीं देना चाहिये कि पाकिस्तान हमारा पक्का शत्रु नहीं बन रहा है । पाकिस्तान इसी अमरीकी सहायता के बल पर काश्मीर को हड़पने की घात में है । एक ओर तो सभाओं आदि के द्वारा हमें संकट की सूचना दी जाती है और दूसरी ओर आयव्ययक से यह जान पड़ता है कि कोई चिन्ता की बात नहीं, सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं । केवल सेना पर ही हम निर्भर नहीं कर सकते : अतः नागरिक सुरक्षा की ओर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे हम सभी ओर से अपने देश की रक्षा कर सकें । सरकार की ओर से हमें कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिलती कि हमें भी इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

शरणार्थियों की समस्या भी अभी तक हल नहीं हो सकी है । यह कहना भ्रमात्मक होगा कि आवास समस्या को हल कर दिया गया है । छः माह पूर्व क्षतिपूर्ति का प्रश्न उठाया गया था किन्तु अभी तक बहुत ही थोड़े शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति की गई है ।

कैम्प कालेज जिसके विद्यार्थी अध्ययन कार्य के साथ-साथ जीविकोपार्जन भी करते हैं । इस प्रकार के अन्य कालेज अथवा विश्व विद्यालय स्थापित करने के स्थान पर सरकार इसको बन्द कर देने का विचार कर रही है । ऐसा किसी भी दशा में नहीं होना चाहिये अन्यथा शरणार्थियों तथा देश के अन्य नवयुवकों के साथ बड़ा अन्याय होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, इस सामान्य चर्चा पर वाद-विवाद करना अन्य किसी भी वाद-विवाद की अपेक्षा कहीं कठिन है । इसका कारण इसका व्यापक क्षेत्र ही नहीं अपितु मुझे अपने बिखरे विचारों को एकत्र करना पड़ता है और माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने के लिये भी तैयारी करनी पड़ती है : अत : इस पर चर्चा समाप्त हो जाने के पश्चात् ही मैं उत्तर देना उचित समझता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वित्त मंत्री चाहें तो कल उत्तर दे सकते हैं । इसका निर्णय करना मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात मैं अभी के लिये नहीं वरन् भविष्य के लिये कह रहा हूं । कठिनाई यह है कि मैं राज्य परिषद् में भी सामान्य चर्चा का उत्तर दे चुका हूं और उसकी आलोचना होने पर मुझे फिर से वे ही बातें कहनी पड़ती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस सदन में दिये गए भाषण की एक प्रति यहां भी परिचालित करवा दिया करें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं भविष्य में इस बात को ध्यान में रखूंगा । मन्त्रियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहना चाहिये जिससे वे यह जान सकें कि उनके मंत्रालयों के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ।

इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा, कुटीर उद्योगों तथा शरणार्थियों के आवास आदि पर उसी समय विस्तारपूर्वक विचार किया

[श्री सी० डी० देशमुख]

जाय जबकि मांगों पर वाद-विवाद हो न कि इस समय जबकि अन्य सामान्य विषयों पर वार्ता हो रही है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं उनकी सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करता हूं किन्तु उन सभी बातों का उत्तर देना सम्भव नहीं हो पाता।

मैं वास्तव में किसी की भी सच्चाई पर सन्देह नहीं कर सकता वरन् हर प्रकार की आलोचना का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि देश के आर्थिक विकास की समस्या एक सर्व-साधारण की समस्या है जो वार्षिक आय-व्ययक के द्वारा हल की जा सकती है। उस समय बड़ी कठिनाई होती है जबकि माननीय सदस्य इस मामले को बड़ा ही निराशा-वादी दृष्टिकोण बना लेते हैं और सामान्य आंकड़ों के सम्बन्ध में भी संशय करने लगते हैं। उदाहरणार्थ थोक भावों अथवा जीवन-यापन सम्बन्धी आंकड़ों आदि में, जो प्रकाशित हो चुके हैं, उतार चढ़ाव के बारे में यह कहना कि वित्त मंत्री किसी को गुमराह करना चाहते हैं अथवा वास्तविकता को छिपा रहे हैं उचित नहीं जान पड़ता। ऐसी आलोचना न्यायोचित आलोचना नहीं कही जा सकती।

आंकड़ों से सही निष्कर्ष निकालना कोई सरल कार्य नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। मैंने पिछले अवसरों पर बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये थे किन्तु मैं जो बात जानना चाहता था वह नहीं जान सका अर्थात् बीते समय में देशनांकों के आधार पर उनका रुख अब किस ओर जा रहा है इसकी पूर्व घोषणा करना बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने तो समझा था कि जब मैं यह ग्राफ प्रस्तुत कर रहा हूं तो माननीय सदस्य जान लेंगे कि इनमें किस प्रकार उतार-चढ़ाव होता रहता है। ये निर्वाह व्यय के आंकड़ों का ग्राफ है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री माननीय सदस्यों को बता सकते हैं कि इसमें कितनी रेखायें हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : रेखाओं की अनिश्चितता ही तो प्रमुखता रखती है; वह घटती बढ़ती रहती है। इसी को सांख्यिकी 'फिटेड कर्व' कहते हैं, यह एक ऐसा ग्राफ होता है जिससे रुख का पता लगता है।

यदि उस दृष्टिकोण से इन आंकड़ों को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि जो सामान्य निष्कर्ष हमने निकाला है, वही सही है; कि १९४९ में हम जिस अवस्था में थे लगभग वही अब भी है केवल जहां तक जीवन-यापन के आंकड़ों का सम्बन्ध है उसमें १० प्रतिशत कमी हुई है और मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह स्थिति अधिक प्रतिकूल नहीं थी। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है यदि माननीय सदस्य निराशाजनक विचार रखते हैं और यह समझते हैं कि यह विनाश का अग्रदूत है तो वे अपना ऐसा दृष्टिकोण स्वतन्त्रतापूर्वक रख सकते हैं। मुझे केवल यह भय है कि उस हालत में वे जिन उपचारों का सुझाव देंगे, वे सम्भवतः बहुत उचित नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ये ग्राफ़ आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के केन्द्रीय हाल में रख दिये जाते थे, यदि ये वहां रख दिये जायें, तो माननीय सदस्य उन्हें देख सकेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मेरे विचार में यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमें तथ्यों के बारे में सहमत होना चाहिए। उदाहरणतया यदि उत्पादन की मात्रा के सामान्य देशनांक के बारे में भी विवाद हो——यदि यह कहा जाय कि कुछ हलके इंजीनियरिंग या अन्य उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई है——तो तर्क करना बहुत कठिन हो

जायेगा । सहमति होना आवश्यक है । मुझे इस बात की बहुत चिन्ता है कि सब माननीय सदस्यों को, चाहे वे किसी दल से सम्बन्ध रखते हों, तथ्यों के बारे में सहमत होना चाहिए । मैं इस समय निष्कर्षों के बारे में नहीं कह रहा हूं ।

श्री के० के० बसु : यह विवादास्पद है । हम कहते हैं कि इस से वास्तविक आर्थिक विकास का पता नहीं चलता ।

श्री सी० डी० देशमुख : जब सामान्य देशनांक १०० से १३६ तक बढ़ गया है, तो सामान्य स्थिति में अवश्य सुधार हुआ होगा । यह कहने का कोई लाभ नहीं कि चाय पटसन के उत्पादन में भारी कमी हुई है। इसके साथ एक उतनी ही सन्तोषजनक वृद्धि भी हुई है . .

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : जनसंख्या की दृष्टि से ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूं कि हमें तथ्यों के सम्बन्ध में सहमत होना चाहिए । तथ्य यही है और एक सामान्य आधार पर हम आगे तर्क दे सकते हैं ।

अब मैं आयव्ययक के रूप के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे उस माननीय सदस्य से बहुत सहानुभूति है, जिन्होंने यह शिकायत की है कि आयव्ययक पत्र हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं । आयव्ययक तैयार करने के लिए वास्तव में समय बहुत कम होता है, क्योंकि प्रतिदिन नये आंकड़े आते रहते हैं और इन्हें इकट्ठा करना और संकलित करना होता है । किंतु मैं अनुभव करता हूं कि यह इस बात का उत्तर नहीं है । किसी न किसी समय हमें अपना आयव्ययक हिन्दी में प्रस्तुत करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी यह काम शुरू किया जाये, उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से हमें मालूम होगा कि कठिनाइयां क्या हैं। ६ वर्ष बाद मैं यह उत्तर नहीं दे सकूंगा । सम्भवतः हम कुछ विशेष कर्मचारी जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ली हुई होगी नियुक्त करने पड़ेंगे, जो कि साथ साथ आयव्ययक पत्रों का अनुवाद करते जायेंगे । अतः अगले वर्ष मैं बतला सकूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ।

कतिपय माननीय सदस्यों ने व्याख्यात्मक ज्ञापन में कुछ चीज़ों के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में शिकायत की है । डा० लंका सुन्दरम् ने ऋणों और विशेष विकास सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में कुछ बातें कही हैं। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में उन्हें अधिक विस्तार से उत्तर दे सकूंगा अथवा यदि यह संभव न हुआ तो मैं उन के भाषण की प्रतिलिपि के आधार पर एक नोट भेज सकूंगा । उन के भाषण को सुन कर मैं उन्हें पूरा उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु जैसा कि मैं ने व्याख्यात्मक ज्ञापन में बतलाया है, जो कि पृष्ठ २ की कंडिका ६ में और पृष्ठ १५ में लिखा हुआ है । आयव्ययक के विवरण में प्रत्येक मद के अन्तर्गत शुद्ध राशियां दी हुई हैं और अनुदानों की मांगों में मोटी राशि दी हुई है । इन दोनों का विस्तृत व्यौरा ज्ञापन के अनुबन्ध ८ में पृष्ठ १६६ से १७९ तक दिया हुआ है । ऋण की राशियां और उनके अंश जो कि विशेष विकास विधि से पूरे किये गये हैं, पृष्ठ १५९३–१६००—अनुदानों की मांगें, अंक ३—पर दिये हुए हैं । मुझे आशा है कि जिन सदस्यों को रुचि है, वह यह पृष्ठ संख्या नोट कर लेंगे । विशेष विकास निधि में जमा की गई और उस से निकाली गई राशियां भी आयव्ययक सम्बन्धी विवरण के पृष्ठ १८ और २२ पर दी हुई हैं । उन्हों ने भविष्य में ऋणों और विदेशी सहायता के क्रमशः आंकड़ों को देने का सुझाव दिया है मेरे

[श्री सी० डी० देशमुख]

विचार में यह एक बड़ा उपयोगी सुझाव है। मैं इसे पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

इस के बाद मेरे विचार में डा० कृष्ण-स्वामी को भी व्याख्यात्मक ज्ञापन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हुई थी। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये थे। पहला व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ५३ से ५७ पर विकास सम्बन्धी व्यय का आंकड़ा है। इस ब्यौरे में विभिन्न अनुदानों की मांगों के लिए इस वर्ष के आयव्ययक में सम्मिलित उपबन्ध तथा विगत वर्षों में हुआ वास्तविक व्यय भी दिया हुआ है। इस प्रकार उन्हों ने जो दो बातें कही थीं, अर्थात हाथकर्घा और खादी उद्योग के पिछले वर्ष के आंकड़े मांग संख्या २——उद्योग ——अनुदानों की मांगें, पृष्ठ ९ पर मिलेंगे। दूसरा मशीनी औज़ारों के कारखाने के सम्बन्ध में उपबन्ध है जो कि व्याख्यामत्क ज्ञापन के पृष्ठ ९६ पर औद्योगिक विकास के अन्तर्गत दिया हुआ है। संशोधित आंकड़ों में भारी बचत का कारण इस कारखाने का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ लि० नामक एक गैर सरकारी लिमिटिड कम्पनी को सौंप देना है, जो कि इस प्रविष्टि के एक दम बाद दी हुई है और इस के लिए इस वर्ष ५० लाख रुपये का और अगले वर्ष २ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ९६ पर इस की व्याख्या की हुई है। उन्हों ने योजना की प्रगति का भी विस्तृत ब्यौरा मांगा था। पिछली रिपोर्ट के अनुसार योजना आयोग एक प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसे आय-व्ययक सम्बन्धी पत्रों के साथ तैयार करना कठिन है क्योंकि वास्तविक पत्र, विशेष रूप से राज्यों के, जनवरी, फरवरी तक, जब कि आय-व्ययक को अन्तिम रूप दिया जाता है, उपलब्ध नहीं होते। इस के बाद उन्हों ने यह पूछा था कि क्या पूंजी व्यय की राजस्व से पूर्ति बराबर बराबर किस्तों में होगी या यह प्रति वर्ष के आयव्ययक की शक्ति के अनुसार अलग अलग होगी। इरादा यह है प्रत्येक वर्ष के व्यय की पूर्ति आगामी वर्ष में १५ वार्षिक किस्तों में की जायेगी। ये बातें आयव्ययक के रूप के बारे में थीं।

आयव्ययक के तथ्यों के सम्बन्ध में, मैं उस आलोचना का उत्तर देना चाहूंगा जो कि असैनिक प्रशासन के व्यय में वृद्धि के बारे में की गई है। इस का उत्तर मैं ने राज्य परिषद् में भी दिया था। अगला वर्ष योजना का चौथा वर्ष है। जैसा कि मैं ने अपने भाषण में कहा है, हमें अपने लक्ष्य उचित समय में प्राप्त करने हैं। इस लिए व्यय का अधिक होना अनिवार्य है। असैनिक व्यय में विकास व्यय सम्मिलित है। माननीय सदस्य योजना को क्रियान्वित करने में शीघ्रता लेने की मांग करते हुए यह शिकायत नहीं कर सकते कि व्यय में वृद्धि की गई है। १९५२–५३ या योजना के दूसरे वर्ष के लिए, अन्तिम योजना दिसम्बर १९५२ में बनाई गई थी, जब कि लगभग आधा वर्ष समाप्त हो चुका था और योजना के व्यय की मात्रा कम थी। मैं अतिरिक्त मदों का ब्यौरा देता हूं :

सामान्य प्रशासन	३ करोड़ रुपये
पुलिस	१ करोड़ रुपया
आदिम जाति क्षेत्र	२·२ करोड़ रुपये
वैदेशिक कार्य	०·५ करोड़ रुपये
वैज्ञानिक विभाग	२·५ करोड़ रुपये
शिक्षा	९·५ करोड़ रुपये

यह बहुत अधिक नहीं है; यह शिक्षा मंत्रालय की कुछ योजनाओं को पूरा करने लिए है। फिर——

चिकित्सा तथा लोक

स्वास्थ्य	२·५ करोड़ रुपये
कृषि	२·८ करोड़ रुपये
उद्योग तथा संभरण	८·५ करोड़ रुपये
अन्य शीर्षक	१·५ करोड़ रुपये

स से प्रकट होता है कि ३५ करोड़ रुपये की वृद्धि जिस की ओर एक माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, कैसे हुई है। मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्य मेरे उस वक्तव्य को पढ़ सकते हैं, जो कि मैं ने राज्य-परिषद् में दिया था और जिस में मैं ने कुछ अधिक ब्योरा दिया है।

नारियल जटा उद्योग और काफ़ी उद्योग के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। मुझे आशा है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय मेरे सहयोगी इस सम्बन्ध में उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। किन्तु मैं साम्यवादी दल के उपनेता की यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि नारियल जटा उद्योग में प्रति दिन १३½ घंटे काम करने की मजूरी केवल ३½ आने है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यही मुझे बतलाया गया था। मैं इस आंकड़े के सत्य होने के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह नहीं कर रहा कि माननीय सदस्य का दोष है। इन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना उन का कर्तव्य है। वे सम्भवतः चुनाव के सम्बन्ध में दौरे पर गये थे और वे इस शिकायत के गुणावगुण पर विचार नहीं कर सके। उन की यह गलतफ़हमी दूर करना भी मेरा कर्त्तव्य है, क्योंकि मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए उन के पास समय नहीं हो सकता था। मैं इसीलिए इस का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री नम्बियार : यदि यह ३½ आने नहीं है, तो हमें बतलाइये कि यह कितनी है।

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि मैं ने कहा है, मैं इस के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इस उद्योग के श्रमिकों के सम्बन्ध में एक जांच की गई थी। इस का निर्णय यह था कि एक ऐसे अप्रवीण श्रमिक की दैनिक आय, जिस के पास पूरा काम है, १—६—० से कम नहीं है और एक प्रवीण श्रमिक की दैनिक आय २—८—० से ३—८—० तक है। संभव है कि श्री एच० एन० मुकर्जी को जो आंकड़ा बतलाया गया है, वह एक छोटे मोटे काम करने वाले श्रमिक की आय के जिस के पास पूरा काम नहीं है, सम्बन्ध में है या एक घरेलू काम करने वाले श्रमिक की आय के सम्बन्ध में है, जिस का परिवार किसी छोटे कारखाने को सूत तैयार कर के देता है। मैं नहीं जानता कि उस स्थान पर जिस का नाम लिया गया है अर्थात क्रेंगानूर में स्थिति क्या है। राज्य सरकार ने कुछ आंकड़े दिये हैं। आंकड़े ये नहीं हैं। वे उन आंकड़ों से जो कि मैं ने उद्धृत किये हैं अधिक हैं। मैं ने जो आंकड़े बतलाये हैं, वे अधिक नहीं हैं। मैं केवल गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। प्रति दिन १३½ घंटे के काम के लिए ३½ आने की मज़दूरी अत्यन्त अनुचित है और किसी देश में नहीं होनी चाहिए।

कुटीर उद्योगों और अभिनवीकरण सम्बन्धी कुछ सामान्य विषयों के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। जहां तक कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष में इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार का अंशदान कई गुना बढ़ गया है। १९५२-५३ को समाप्त होन वाले चार वर्षों में सरकार ने ५० लाख रुपया खर्च किया है। यह राशि अधिकांशतया राज्यों को सहायता के रूप में दी गई है। १९५३-५४ में यह व्यय दस गुना अर्थात ५८०,००,००० रुपये तक बढ़ गया है। सामान्यतया कुटीर

[श्री सी० डी० देशमुख]

उद्योग में वे सब उत्पादन सम्मिलित हैं, जो कि बड़े उद्योगों के संगठित उत्पादन से भिन्न होते हैं। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले अपने श्रम और कारीगरी पर निर्भर रहते हैं। वे केवल साधारण उपकरण प्रयोग करते हैं और अपने घरों में काम करते हैं। इस प्रकार के थोड़े से उद्योग हाल में विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बन गये हैं। अधिकांशतया यह परम्परागत उद्योग हैं और इन्हें जारी रहने के लिए उत्पादन के आधुनिक तरीकों के मुकाबले में कुछ न कुछ हद तक संघर्ष करना पड़ रहा है। एक ऐसे देश में जहां बहुत कम पूंजी उपलब्ध है और बहुत से लोगों के पास पूरा काम नहीं है इस प्रकार के उत्पादन के तरीकों को विकसित करना अच्छा लगता है, क्योंकि स्पष्ट है कि इन से काम और धन दोनों में वृद्धि होती है। श्री एस० एन० अग्रवाल ने यही बात कही थी और ऐसा होना भी चाहिए।

हम इस बात को मानते हैं कि इस विकास की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। इसीलिये राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस का उल्लेख किया गया। वर्तमान कुटीर उद्योगों की देखभाल करने से ही बहुत सी कठिनाइयां पैदा होती हैं। जब ऐसी समस्यायें उपस्थित हों तो उत्पादन के कुशलतापूर्ण तरीकों को कुछ समय के लिये बन्द करने का विचार किया जाता है। इससे कुछ समय तक के लिये तो लोगों का रोज़गार बना रहेगा किन्तु इस से कुल उत्पादन कम हो जायगा। इसलिये हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि लोगों को काम दिलाने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि की जाय अन्यथा इस के विपरीत करने से सम्पत्ति वितरण के स्थान पर लोगों में निर्धनता बढ़ेगी। राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाने तथा जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिये ऐसी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिये जिन्हें लोग अपने काम के लिये अधिक खरीदें। इसलिये कुटीर उद्योगों के विकास की नीति ऐसी होनी चाहिये जिस से कि उत्पादक अपने माल को बाजार में अधिक बेच सकें। ऐसा तभी हो सकता है जब माल बढ़िया किस्म का हो और क्रयकर्त्ता इसे खरीद सके। इस उद्योग को कुछ समय तक सहायता दी जानी चाहिये किन्तु यदि इस उद्योग का उचित रूप से विकास नहीं किया गया तो यह सहायता भी व्यर्थ जायगी।

इसलिये हमारी नीति यह है :

(१) अपने परम्परागत कुटीर उद्योगों को सहायता देना तथा उन्हें बनाये रखना और उस के साथ उन की हालत को सुधारना, जिस से जनता से मिलने वाली आर्थिक सहायता की आवश्यकता कम हो सके, किन्तु इस में केवल तब ही अपवाद किया जा सकता है जब कि इन्हें बेरोज़गारी दूर करने के लिये चलाया जाय; (२) कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को उन क्षेत्रों में सहायता तथा प्रोत्साहन देना जिन में वे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में अधिक सहायक हो सकें। मैं इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करूंगा कि यह नीति खादी, हथकरघा, रेशम तथा दस्तकारी उद्योगों पर कैसे लागू की जाती है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। १९५३-५४ में हम ने छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायतार्थ ३६ लाख रुपये मंजूर किये। ये कुटीर तथा ग्राम उद्योगों से कुछ भिन्न हैं क्योंकि इन में छोटे छोटे कारखाने के मालिक आते हैं जो कि कुछ थोड़े से मज़दूरों को काम पर लगाते हैं। इस धन का अधिकांश भाग इन उद्योगों के प्रौद्योगिक तरीकों के विकास के लिये लगाया गया है और मैं समझता हूं कि इस से बहुत

अधिक विकास होगा जिस के कारण उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और जीवनस्तर उच्च हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा होगा यदि छोटे पैमाने के उद्योग एक पृथक् बोर्ड के अधीन कर दिये जायें क्योंकि मेरा विचार है कि दस्तकारी तथा छोटे उद्योगों का वर्तमान बोर्ड दो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के मामले में कार्य नहीं कर सकेगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में हमें पूरे देश में पूंजी के उपयोग में मितव्ययता करने, विद्युत शक्ति के उपयोग करने तथा अपने मज़दूरों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने और उपक्रमों की भावना पैदा करने के सुअवसर प्राप्त हैं। इस प्रकार हम ग्राम-अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार आधुनिक तरीकों को अपना सकते हैं। इन सम्भावनाओं से लाभ उठाने के लिये हम ने फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल को बुलाया है। उन्हों ने ऐसे क्षेत्रों में इन समस्याओं का बहुत अधिक अध्ययन किया है और उन की रिपोर्ट के शीघ्र मिल जाने की आशा है। इन सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये हम ने केन्द्र तथा राज्यों में एक आधार रूप ढांचा पहिले ही बना दिया है।

मैं समझता हूं कि अभिनवीकरण के सम्बन्ध में हमें अपने—कम से कम मेरे—विचार प्रकट करना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी उन से सहमत हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की बात को सभी मानते हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट में औद्योगिक विकास तथा नीति के अध्याय में इस का विशेष उल्लेख है। बाज़ार में खरीदारों के प्रभाव में वृद्धि होने के फलस्वरूप हमारे औद्योगिक माल की अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खपत बढ़ाने की आवश्यकता और इन बाज़ारों में अधिकाधिक प्रतियोगिता होने के कारण यह और आवश्यक हो गया है कि इस समस्या का उचित हल निकाला जाय। हम प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकुशलता तथा मज़दूरों की उत्पादन क्षमता सम्बन्धी कार्य करते रहे हैं। विशेषज्ञ उत्पादन क्षमता सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ कर दिये गये हैं। श्रमिक उत्पादन क्षमता के लिये एक संस्था खोलने का विचार है। किस्म नियंत्रण को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और हम प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य-कुशलता के स्तर तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के मामले में प्रोत्साहन दे रहे हैं।

अप्रयुक्त तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर उच्च उत्पादन क्षमता की नई मशीनें लगाना टैक्निकल प्रगति तथा औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है। कार्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता तथा औद्योगिक प्रणालियों के अभिनवीकरण के खर्च को कम करने की आवश्यकता के होते हुए भी इस प्रकार के कार्यों का विरोध किया जाता है क्योंकि इस से कुछ समय के लिये मज़दूर हटा दिये जाते हैं।

योजना आयोग ने इस प्रश्न का श्रम के अध्याय में विशेष रूप से उल्लेख किया है और कुछ काल के लिये हटाये जाने वाले मज़दूरों के हितों के लिये कुछ संरक्षणों का सुझाव दिया है जिस से कि अभिनवीकरण की प्रगति सुविधापूर्वक हो सके। उसने यह भी सुझाव दिया है कि जहां अभिनवीकरण के कारण मज़दूरों को हटाना पड़े वहां नई भरती रोक दी जाय, जिस विभाग में अधिक मज़दूर हों उन्हें दूसरे विभागों में लगा दिया जाय, छंटनी उचित प्रकार से की जाय तथा जो मज़दूर बाद में भरती किये गये हों उन्हें नौकरी से पहिले हटाया जाय आदि। जबकि ऐसे हटाये जाने वाले मज़दूरों पर सामाजिक नीति के कार्य के रूप में इस का कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिये फिर भी अभिनवीकरण को निरुत्साहित करना या बिल्कुल रोक देना देश के सामान्य हित के विरुद्ध होगा।

[श्री सी० डी० देशमुख]

देश में संगठित उद्योग में २५ लाख से कुछ अधिक मज़दूर काम पर लगे हैं और इसी उद्योग के बारे में सामान्य रूप से अभिनवीकरण का प्रश्न उठाया जाता है । औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी मिलने की सुविधाओं को न बढ़ाने से हम अधिकाधिक संख्या में प्रति वर्ष भरती होने वाले मज़दूरों को काम नहीं दे सकेंगे और न ही हम लोगों की शहर में बसने की प्रवृत्ति को रोक सकेंगे । इस के अतिरिक्त, ग्राम-अर्थव्यवस्था में अल्प-रोज़गारी का हिसाब नहीं लगाया गया है । यह स्पष्ट है कि टेक्निकल प्रगति के बारे में अल्प दूरदर्शिता से रोज़गारी दिलाने के सामान्य कार्य में रुकावट नहीं पड़नी चाहिये । मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार कुछ काल के लिये हटाये जाने वाले मज़दूरों के मामलों पर विचार किया जा सकता है, और इस के लिये हम सामान्य हित में एक विकासवान् अर्थव्यवस्था का उपबन्ध करना चाहिये । सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए यह की जाने वाली अर्थव्यवस्था का एक और उदाहरण है ।

सदन को ज्ञात है कि हाल ही में एक अधिनियम बनाया गया था जिस में सेवा निवृत्ति लाभ तथा अस्थायी बेकारी की अवधि में मज़दूरों को लाभ देने के उपबन्ध हैं। सदन को यह भी स्मरण होगा कि किसी विशेष उद्योग में आपात काल उपस्थित होने के कारण सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया क्योंकि उस समय संसद् की बैठक नहीं हो रही थी, जिस से यह मालूम हो सकता है कि जिन मज़दूरों पर छंटनी का प्रभाव पड़ा उन के हितों के संरक्षण के मामले को सरकार कितना महत्व देती है ।

अस्थायी रूप से हटाये गये मज़दूरों की कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें नौकरी दिलाने के लिये पूरा प्रयत्न तो करना ही चाहिये परन्तु हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिस से टैक्निकल उन्नति में बाधा पड़े और नौकरी मिलने के अवसरों में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये । किसी विशेष समय में विभिन्न एकक होते हैं, जिन की कार्य-कुशलता का स्तर भिन्न भिन्न है, कुछ ने अभी अपना कार्य आरम्भ किया है, कुछ विकसित हो रहे हैं, कुछ अवनति की ओर जा रहे हैं, आदि, आदि । तो किसी उद्योग के सम्पूर्ण विकास के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न एककों में जो मज़दूर काम करते हों वे ऐसे हों जो एक एकक से दूसरे एकक में जा सकते हों। हमें तो पूर्ण नियोजन के प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिये । एक ऐसी नीति का, जिस से किसी उद्योग में छंटनी करना असम्भव हो जाय, यही प्रभाव हो सकता है कि अन्य उद्योगों द्वारा नये प्रकार के उत्पादनों एवं उपक्रमों के विकास में बाधा पड़े; इस से हमारी अर्थ-व्यवस्था और इस के साथ साथ हमारे मज़दूर वर्ग को लाभ के स्थान पर हानि ही होगी । हमारे देश की इन विशेष परिस्थितियों में अभिनवीकरण का कार्य धीमी प्रगति से ही होना चाहिये और यथासम्भव किसी योजना के अनुसार ही होना चाहिये । अभिनवीकरण इस प्रकार से हो जिस से विभिन्न उद्योगों में और अधिक विकसित प्रणालियों के फलस्वरूप होने वाली अस्थायी छंटनी नौकरी मिलने के अवसरों की तुलना में कम ही रहे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि यदि योजना के अनुसार ही अभिनवीकरण हुआ तो इन २५ लाख मज़दूरों में से कितने बेकार हो जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि अभिनवीकरण का कार्य काफ़ी लम्बी अवधि में किया जायगा । यह ऐसी बात तो है नहीं कि कोई

एक आदमी इस बात का निर्णय कर दे कि कल से अभिनवीकरण लागू कर दिया जायगा और इस अभिनवीकरण को लागू करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या नवीकरण से पूर्व श्रमिकों को विकल्पित रोजगार दिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने कठिनाइयां कम करने के सम्बन्ध में कहा था और आशा प्रकट की थी कि यथा समय उन के लिए रोज़गार का प्रबन्ध किया जायेगा . . .

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बीच में क्या होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा उत्तर यही है कि टैक्नीकल उन्नति के साथ साथ विशेष व्यक्तियों को हुई अस्थायी कठिनाइयों को दूर करने से समस्या का हल हो सकता है। यदि आप चाहें तो नवीकरण के विनियमन के लिए ढंग निकाला जा सकता है। इस के साथ ही हमें अस्थायी तौर पर विस्थापित हुए श्रमिक लोगों के व्यक्तिगत हितों का इस प्रकार ध्यान रखना है जिस प्रकार हम ने अपने हाल के विधान में रखा है, परन्तु रोज़गार की सामान्य प्रगति के लिए विधान के लिए अनुरोध करना है और अर्थ-व्यवस्था को विस्तार देना है क्योंकि इन्हीं द्वारा समस्याओं का सदा के लिये कोई हल निकल सकता है। मेरा माननीय सदस्यों से यह सुझाव है कि वे इस समस्या पर चर्चा करने के पूर्व मेरी बातों पर कम से कम कुछ ध्यान दें क्योंकि देश की आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं उस पर कुछ निर्भर करता है। जैसा कि मैं ने कहा यह प्रश्न दलों से कदापि सम्बन्धित नहीं है, यह देश के विकास का प्रश्न है जो कि हमारा सामूहिक उद्देश्य है।

जैसा मैं ने पहले कहा है, अब प्रत्येक आय-व्ययक वस्तुतः योजना का एक रूप है, हमें योजना की प्रगति के पुनर्निरीक्षण की ओर मुख्यतः ध्यान देना चाहिये और इस ओर ध्यान देना चाहिये कि अभी बाकी कितना काम करना है। सर्वप्रथम प्रगति के सम्बन्ध में यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने १९५१–५२ से १९५३–५४ तक योजना पर १००० करोड़ रुपये की बजाय, जो आंकड़े मैं ने अनुमान से दिये थे अनुमानतः ९४५ करोड़ रुपया व्यय किया है—यह हाल ही में जब मैं आय-व्ययक विवरण प्रस्तुत कर रहा था, तब प्राप्त हुए आंकड़ों पर आधारित है। इस पूंजी लागत के कार्य के लिए ६०० करोड़ रुपये आन्तरिक संसाधनों से एकत्र किये गये। इस काल में ऋण के रूप में ली गई बाह्य सहायता १२० करोड़ रुपये है। इस से उपलब्ध संसाधनों का कुल योग ७२० रुपये होता है जब कि व्यय ९४५ करोड़ रुपये है। शेष २२५ करोड़ रुपया जमा नकदी में से निकाल कर, प्रतिभूतियों को बेच कर और जारी ऋण को बढ़ा कर, पूरा किया गया। इन तीन वर्षों की कालावधि में केन्द्र के व्यय का अनुमान ४९२ करोड़ रुपया है। इस कालावधि केन्द्र में घरेलू आय-व्ययक के उपलब्ध संसाधन २६० करोड़ रुपये के थे और बाह्य सहायता १२० करोड़ रुपये की थी जिस का कुल योग ३८० करोड़ रुपया होता है। शेष जमा नकदी में से पूरा किया गया है—अथवा क्योंकि अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ, ऐसा किया जायेगा।

मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आयव्ययक घाटे को जारी ऋण बढ़ा कर अथवा प्रतिभूतियां बेच कर पूरा किया जाता है तो घाटे के बराबर नई मुद्रा का उत्पादन नहीं होता, यह कठिन प्रश्न है कि धन कौन दे ? यदि धन जनता से लिया जाये तो जहां तक सम्बन्धित मुद्रा प्रणाली का सम्बन्ध है राज

[श्री सी० डी० देशमुख]

कोष के ये आगम करों और ऋण के रूप में हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि धन रक्षित बैंक से ऋण के रूप में लिया जाये तो उस का यह परिणाम होगा कि मुद्रा संभरण में वृद्धि होगी। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ३१ मार्च १९५१ और ५ मार्च १९५४ के बीच रक्षित बैंक के पास सरकार की प्रतिभूतियों में वृद्धि की बजाय ९४ करोड़ रुपये की कमी हुई है। इस प्रकार मद्रास्फीति सर्वथा नहीं हुई। मैं अनुभव करता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतियां बेचने से मुद्रा-स्फीति नहीं हुई।

एक और बात जिस पर विचार करना है देनगियों के घाटे का बकाया है। मार्च १९५१ के अन्त में भारत का पौंड पावना ८८४ करोड़ रुपया था। अब वह लगभग ७४५ करोड़ रुपया है। यह १३९ करोड़ रुपये की कमी घरेलू मुद्रा संभरण की कमी के लिए महत्वपूर्ण कारक है। संक्षेप में योजना काल के आरम्भ से अब तक केन्द्र और राज्य सरकारों के जमा धन में लगभग उतनी ही कमी हुई है जितनी कि पौंड पावना में हुई है, इस का परिणाम यह है कि आय-व्ययक के घाटों से मुद्रा संभरण में विस्तार नहीं हुआ। आधुनिकतम स्थिति यह है कि मुद्रा संभरण लगभग कोरिया युद्ध से पूर्व के स्तर पर है। बैंक निक्षेपों के परिचालन की गति—जो कि मूल्यों के नियंत्रण के लिए एक और कारक है—१९४९ के ११ की तुलना में १२ हो गई है, जिस से कुछ अधिक कार्य-विधि का पता चलता है, और नोट और मुद्रा की गति में, जिस के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जैसा मैं ने पहले ही कहा है मूल्य कोरिया युद्ध पूर्व स्तर के समीप हैं। हमारे प्रयत्नों अथवा भाग्य के कारण हमारे अनाज के उत्पादन में ४३ करोड़ टन की वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन के अंकक्रम १९४९ के १०६ और १९५० के १०५ की तुलना में लगभग १३३ है मैं ये आंकड़े आत्मसंतोष अथवा बढ़ कर बात करने के लिए नहीं दे रहा परन्तु मुद्रा संभरण और नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था के प्रश्न का ठीक रूप बताना चाहता हूं। इन सूचियों से जो पता चलता है, इस कुल आर्थिक परिस्थिति और बेरोजगारी के आरम्भ से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस स्तर पर नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करने का विचार इस वर्ष किया गया है संभवतः उस में कोई खतरा नहीं होगा और वह अवश्य बुद्धिमत्ता का कार्य है। इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में यह मुख्य बात है जो मैं बताना चाहता हूं।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : आप ठीक कहते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे हर्ष है कि कोई मुझ से सहमत है।

मैं उस कार्य की ओर संकेत करना चाहता हूं जो हमारे समक्ष है। अब योजना पर २२४४ करोड़ रुपये की पूंजी लागत है। जो आय-व्ययक संसाधन हम ने प्राप्त करने हैं वे ८४८·४ करोड़ रुपये के हैं और १९५५–५६ के प्राक्कलन २७५ करोड़ रुपये के हैं। इस प्रकार योजना बनाने के समय उस का जो कुल प्राक्कलन १२५८ करोड़ रुपये का था उस की तुलना में योजना को पूरा करने के लिए अब आय-व्ययक संसाधनों का प्राक्कलन ११२३ करोड़ रुपये है, इस का अभिप्राय यह है कि मुझे भय है कि पंच वर्षीय योजना के लिए १३५ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह केन्द्र के सम्बन्ध में है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह विवरण केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों दोनों के लिए है क्योंकि कुल योजना की राशि २२४४

करोड़ रुपया है। मुझे भय है कि केन्द्र और राज्य दोनों के आय-व्ययक संसाधनों में १३५ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। मुख्य मदें यह हैं (१) रेलवे आय की बचत में ५३ करोड़ रुपये की कमी (२) निक्षेप निधि, और विभिन्न संसाधनों में लगभग ९८ करोड़ रुपये की कमी, और ऐसा मुख्यतः राज्य सरकार के लेखों में होगा। कुछ मदों में वृद्धि होगी जो कि कुल १३५ करोड़ रुपये की हैं।

अब मैं अपनी योजना और इस के लिए घरेलू संसाधनों के बीच अन्तर के विषय में कहता हूं। योजना के अधीन यह ८११ करोड़ रुपये का था।

मेरे द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार ११२१ करोड़ रुपयों का अन्तर आता है। सदन यह ध्यान रखेगा कि पहले के प्राक्कलन तथा नये प्राक्कलन के बीच ३१० करोड़ रुपयों का अन्तर है और इस में १३५ करोड़ रुपये तो वे हैं, जिन के बारे में मैं ने बताया था कि यह मूल योजना में संसाधनों की कमी के कारण हुआ था और १७५ करोड़ रुपए हम ने योजना में बढ़ा दिए हैं। एक ओर तो संसाधनों में कमी पड़ेगी और दूसरी ओर बेरोज़गारी की स्थिति का सामना करने के लिए हम ने योजना में कुछ राशि बढ़ा दी है। इन १७५ और १३५ करोड़ का योग ३१० करोड़ रुपए होता है। अतः ८११ करोड़ रुपयों के साथ ही हमें ३१० करोड़ रुपयों का और प्रबन्ध करना होगा। इस वर्ष के आयव्ययक में बताई गई राशि समेत, जिस का स्पष्टीकरण सभा सचिव ने किया था, इन चार वर्षों में मिली विदेशी सहायता १६५.५ करोड़ रुपए है। इस संख्या में से ७९.९ करोड़ के अनुदान और ८५.६ करोड़ के ऋण दिए जाएंगे। संभव है, हमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण मिलता रहे, क्योंकि अभी ऋण प्राप्त कर सकने की इतनी क्षमता हम में शेष है कि ऐसा ऋण उचित ठहर सके और फिर ये परियोजनाएं भी ठोस और इस की पात्र हैं। अतः मैं ने १९५५-५६ वर्ष के लिए फिर कुछ राशि ली है और परिणाम स्वरूप प्रत्याशित ५२१ करोड़ रुपयों की विदेशी सहायता के स्थान पर हमें योजनाकाल के अन्त तक २३१ करोड़ रुपए मिल चुकेंगे और इस प्रकार २९० करोड़ रुपए का घाटा रह जाता है। इसे उक्त ३१० करोड़ में जोड़ देने से ६०० करोड़ रुपए की राशि बनती है, जो योजना को पूर्णतः कार्यान्वित करने के मार्ग में रोड़ा बन रही है। मूल योजना में हमने २९० करोड़ रुपयों के लिए नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करने की बात सोची थी, पर अब हमें ८९० करोड़ रुपयों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी। पहले चार वर्षों में ही लगभग ४९५ करोड़ रुपयों का घाटा हो चुकेगा और १९५५-५६ वर्ष में योजना का रूप तथा कार्यान्विति आदि बातें यथापूर्व रहने पर हमें लगभग ३९५ करोड़ रुपयों का घाटा झेलना पड़ेगा। यह एक गुरुतर कार्य है और इस का अर्थ है कि हमारे एक वर्ष के साधारण आयव्ययक जितने धन की आप को व्यवस्था करनी होगी। हम यह करेंगे या नहीं, यह पृथक् बात है, जिसे मैं पीछे लूंगा। इन आंकड़ों से आप को उस कठिनाई का कुछ आभास हो जाएगा, जो आज हमारे सामने है। इस के कई कारण हैं—पहले तो हमारे संसाधनों में कमी हो गई है, दूसरे हम ने जान बूझ कर योजना में कुछ राशि जोड़ी है, तीसरे जैसा मैं ने अभी बताया विदेशी सहायता में भी कमी पड़ गई है।

श्री बंसल (झज्झर-रिवाड़ी) : माननीय मंत्री कृपया इस वक्तव्य को परिचालित कर दें।

श्री सी० डी० देशमुख : यह दो भागों में है : एक तो केन्द्र और राज्यों का संयुक्त विवरण है, दूसरा राज्यों का और केन्द्र का पृथक्-पृथक् है। परन्तु माननीय सदस्यगणों

[श्री सी० डी० देशमुख]

द्वारा इस का अध्ययन उपयोगी रहेगा, क्योंकि इस में हमारी गुरुतर समस्या और उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों का पूरा विवरण दिया गया है ।

मैं अपना भाषण आज पूरा न कर सकूंगा । मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं जिन में लगभग आधा घंटा और लगेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उस स्थिति में कल प्रश्न-काल छोड़ा जा सकता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : जान खतरे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन की इच्छा है कि कल प्रश्न-काल न रहे ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह आवश्यक है कि मैं वह वक्तव्य कल की अपेक्षा आज ही दे दूं । कुछ और बातें हैं, जो मैं कल कहूंगा ।

अब मैं करारोपण प्रस्तावों की मुख्य समस्या को लेता हूं । इस के लिए यदि आप आज्ञा ें तो मैं अपने कारण कल बता दूंगा । परन्तु मैं चाहता हूं कि जो बातें सदन में कही गई हैं, उन के बारे में मैं जो कुछ सोचता हूं, वह सदन जान ले । मेरी बात सुनने के बाद सदन समझ जाएगा कि मैं आज ये बातें क्यों बता देना चाहता हूं । इस से मेरे भाषण का सूत्र टट जाता है । और चूंकि मैं ने आज कहने के लिए तैयारी की थी अतः उसे आज ही बता देना उचित है ।

साबुन, जूतों और रेशम पर मेरे कर-प्रस्तावों के बारे में नाना प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं । यह बताया गया है कि इन से मध्य वित्त तथा निर्धन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । मैं ने ऐसी बात कभी नहीं कही कि उत्पादन शुल्कों का जन संख्या के उन वर्गों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । सदन जानता है कि भारत जैसे देश में उस की आवश्यकताओं जितना उत्पादन राजस्व साधारण उपभोग के द्रव्यों पर कर लगाए बिना इकट्ठा नहीं किया जा सकता है । इसी सिद्धान्त के अनुसार दियासलाई और मिट्टी के तेल जैसे दैनिक आवश्यकता वाले पदार्थों को भी उत्पादन शुल्क की सूची में रखा गया है । परन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि कर का भार इतना अधिक न हो, जो निर्धन परिवार सहन न कर पाए । मेरे द्वारा इस समय प्रस्तावित उत्पादन-शुल्कों से लगभग १२ करोड़ रुपयों की राशि इकट्ठी होने की आशा है और इस से एक नगण्य मात्रा को छोड़ कर जीवन निर्वाह-व्यय पर भी विशेष प्रभाव न पड़ेगा । राज्य परिषद् में मैं बता चुका हूं कि नए उत्पादन शुल्कों के फलस्वरूप निर्वाह-व्यय-देशनाक प्रथम प्राक्कलन के अनुसार चौथाई प्रतिशत से अधिक न बढ़ेगी ।

यह भी कहा गया है कि साबुन, जूता और रेशम उद्योग अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उत्पादन-शुल्क का बोझ उपभोक्ता पर डाल सकें । मैं इस तर्क की सारगर्भितता को कम नहीं बताना चाहता । मैं इस बात को कल उठाऊंगा । और मैं यही कहूंगा कि एक अप्रत्यक्ष कर के निर्माता पर और उपभोक्ता पर पड़ने वाले बोझ में निरन्तर अन्तर आता रहता है । आज उपभोक्ता को मिलने वाला लाभ कल परिस्थितिवश निर्माता को मिल सकता है । अस्तु यह तर्क उद्योग के सभी वर्गों पर लागू नहीं हो सकता । मुझे विदित है कि कुछ पदार्थों के दाम, जिन पर नए उत्पादन-शुल्क लगे हैं, कुछ स्थितियों में उत्पादन शुल्क की पूरी मात्रा जितने ही बढ़ गए हैं । साबुन और जूते पर मैं ने दस प्रतिशत से अधिक कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है । फिर भी, जो कुछ परेशानी होगी, उसे मझोले आकार

के कारखानों को, जो इन उद्योगों का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, कुछ रियायत देकर कम किया जा सकेगा। इस बात पर तथा सदन में और मुझे प्राप्त हुए अभ्यावेदनों में रखे गए विविध तर्कों पर विचार करते हुए मैं ने निश्चय किया है कि जूते के बिजली से न चलने वाले कारखानों से ले कर प्रति दिन ४९ व्यक्तियों तक को काम में लगाने वाले कारखानों के विषय में छूट की सीमा तत्काल बढ़ा दी जाए।

साबुन के बारे में किसी भी कर-योग्य कारखाने से प्रति वर्ष १ अप्रैल के बाद निकलने वाले लांड्री साबुन के पहले १२५ टन और नहाने के साबुन के पहले २५ टन पर शुल्क न लगेगा। चूंकि बहुत से छोटे-मोटे कारखाने किसी भी वर्ष में कुल मिला कर १५० टन से अधिक साबुन नहीं बनाते, इस छट के फलस्वरूप उन पर कोई शुल्क न लगेगा। यह १ अप्रैल, १९५४ से प्रभावी होगा।

नकली रेशम पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क के बारे में आलोचना मुख्यतः विक्रय मूल्य के बारे में और वह भी विशेषतः कम पन्ने वाले वस्त्रों के बारे में की गई है। मैं ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और मुझे संतोष है कि शुल्क का कम होना और उस का पुनः समन्वय दोनों ही बातें इस के द्वारा उचित ठहरा दी गई हैं। इसलिए मैं ने निश्चय किया है कि तीन पैसा प्रति गज हथकरघा-उपकर को छोड़कर लगने वाले विद्यमान डेढ़ आना प्रति गज के उत्पादन-शुल्क को तत्काल ही एक आना प्रति वर्ग गज के शुल्क में बदल दिया जाए। यह तो ठीक ही है कि वर्गगज के रूप में लगने वाला शुल्क लम्बाई पर लगने वाले शुल्क की अपेक्षा कहीं उचित है, साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के फलस्वरू छोटे पन्ने वाले नकली रेशम के वस्त्रों को, जो उत्पादन का अधिकांश भाग होते हैं, साथ जोड़ते हुए विद्यमान शुल्क में लगभग ४० प्रतिशत की कटौती हो जाएगी। इस समन्वय से चौड़े पन्ने वाले वस्त्रों को भी लाभ पहुंचेगा। इस समन्वय के फलस्वरूप मुझे लगभग ४० लाख रुपये के राजस्व अथवा प्रत्याशित शुल्क के लगभग चौथाई का त्याग करना पड़ेगा....

एक माननीय सदस्य : और सुपाड़ी ?

श्री सी० डी० देशमुख : छोड़ देने वाली प्रक्रिया के अनुसार सदन समझ गया होगा कि मेरे विचार से सुपाड़ी पर शुल्क कम करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस बात को कल लूंगा।

श्रीमान्, यदि आप आज्ञा दें, तो मैं अब रुक जाऊं और कल अपना भाषण क्रमागत रखूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल प्रश्न-काल न होगा।

इसके पश्चात् सभा मंगलवार, २३ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।